रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-73

REGISTERED NO D (D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1976 (फाल्गुन 30, 1897)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976 (PHALGUNA 30, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1976

सं० ए०-19036/2/76-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री राजिन्दर कुमार शर्मा को दिनांक 31-1-76 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, नई दिल्ली में अस्थायी रूप से पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

स० ए०-20014/42/प्रशासन-1—अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क के अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मित्रा को दिनांक 2-2-76 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कलकत्ता में अपने पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कूच बिहार के पास ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के निदेश भी दे दिए गए हैं।

स० ए०-35018/15/75-प्रशासन-5—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री फनीन्द्र लाल भौमिक पुलिस उप-निरीक्षक, कलकत्ता पुलिस को दिनांक 1 फरवरी, 1976 से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग, कलकत्ता शाखा में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 21 फरवरी 1976

स० आर०-8/74-प्रशासन-5—भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लि०, कोरबा (मध्य प्रदेश) में उप-सतर्कता अधिकारी के रूप में चयन हो जाने पर, श्री भोलन दास, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 12-12-75 के अपराह्न से अपने पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया। उप-सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी सेवाएं दिनांक 12-12-75 से भारत अल्युमीनियम कम्पनी लि०, कोरबा को सौंप दी गई हैं।

2 निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री भोलन दास, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिनांक 31-1-76 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० पी० एफ०/एस०/-1/70-प्रशा०. —निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री एस०के० सक्सेना, लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लखनऊ शाखा को प्रोन्नति पर दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तदर्थ के आधार पर वरिष्ठ लोक-अभियोजक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 23 फरवरी 1976

सं० ए०-19036/1/76-प्रशासन-5 —निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, आन्ध्र प्रदेश राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्ति निरीक्षक श्री के० सुब्बन्ना को दिनांक 10-2-76 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

गुलजारी लाल अग्रवाल
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान
(परीक्षा स्कंध)

उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1976
नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1976

सं० 13/9/75-प्रबन्ध (1)—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में वृद्धि करने हेतु सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली के परीक्षा स्कन्ध, द्वारा 17 और 18 सितम्बर, 1976 को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली मद्रास, नागपुर तथा विदेशों में स्थित कुछ चुने हुए भारतीय दूतावासों में एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

2. पात्रता की शर्तें :—उम्मीदवार स्थायी अथवा नियमित रूप से लगा हुआ अस्थायी अधिकारी होना चाहिए जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में काम करता हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरी करता हो :—

(क) सेवा अवधि :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में 1-1-1976 को पांच वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा से कम न हो।

(ख) आयु :—1 जनवरी, 1976 को 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और कुछ अन्य निर्धारित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी।

(ग) टंकण परीक्षा :—जब तक अवर श्रेणी ग्रेड में पुष्टि के लिए संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) द्वारा आयोजित मासिक/त्रैमासिक टंकण परीक्षा से छूट प्राप्त न हो, उसे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को अथवा इससे पहले ऐसी परीक्षा पास होनी चाहिए।

3. फीस :—13/- (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 3/- रु०)।

4. पूरे विवरण तथा आवेदन पत्र सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध), पश्चिम खण्ड-I, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022 को 1.00 रुपया (रजिस्ट्री द्वारा आवेदन पत्र मंगवाने के लिए 2.00 रुपये) के रेखित ("प्राप्त कर्त्ता लेखा") भारतीय पोस्टल आर्डर जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) को रामकृष्णपुरम् (वितरण) डाकघर, नई दिल्ली पर देय हों, भेज कर अथवा संस्थान के बिक्री काऊन्टर पर नकद भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।

5. भरे हुए आवेदन पत्र संस्थान को 19 मई, 1976 (2 जून, 1976 विदेशों में तथा अंडमान एवम् निकोबार द्वीप समूह में तथा लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए) तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

उच्च श्रेणी ग्रेड (रेल बोर्ड) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1976

सं० 13/9/75-प्रबन्ध (2)—रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में वृद्धि करने हेतु सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली के परीक्षा स्कन्ध, द्वारा 17 और 18 सितम्बर, 1976 को दिल्ली में एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

2. पात्रता की शर्तें :—उम्मीदवार स्थायी अथवा नियमित रूप से लगा हुआ अस्थायी अधिकारी होना चाहिए जो रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा मे काम करता हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरी करता हो :—

(क) सेवा अवधि :—रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड मे 1-1-1976 को पांच वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा से कम न हो।

(ख) आयु :—1 जनवरी, 1976 को 45 वर्ष से अधिक नहीं हो। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और कुछ अन्य निर्धारित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी।

(ग) टंकण परीक्षा :—जब तक अवर श्रेणी ग्रेड मे पुष्टि के लिए संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) द्वारा आयोजित मासिक/त्रैमासिक टंकण परीक्षा से छूट प्राप्त न हो, उसे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को अथवा इससे पहले ऐसी परीक्षा पास होनी चाहिए।

3. फीस :—रु० 12/- (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 3/- रु०)।

4. पूरे विवरण तथा आवेदन पत्र सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) पश्चिम खण्ड-1, राम-कृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022 को 1-00 रुपया (रजिस्ट्री द्वारा आवेदन पत्र मंगवाने के लिए 2-00 रुपये) के रेखित ("प्राप्त कर्त्ता लेखा)") भारतीय पोस्टल आर्डर जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) को राम-कृष्णपुरम (वितरण) डाकघर, नई दिल्ली पर देय हों, प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के बिक्री काऊन्टर पर नकद भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।

5. भरे हुए आवेदन पत्र संस्थान को 19 मई, 1976 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

मदन लाल
निदेशक (परीक्षा)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, के० रि० पु० दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी 1976

सं० ओ०-II-916/73-स्थापना--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के के० रि० पु० दल से त्याग-पत्र उनके समक्ष दिये हुये दिनांक से स्वीकृत करते हैं :--

1. डा० बालाकृष्णा बस्तीया 15-12-75 पूर्वाह्न
2. डा० पी० बी० वेन्केटेश्वरा 25-12-75 पूर्वाह्न

दिनांक 18 फरवरी 1976

सं० ओ०-II-117/71-स्थापना --राष्ट्रपति, स्वर्गीय श्री पी० के० वैलायुधन, सहायक कमान्डेंट, रिजर्व, पुलिस दल, को मौलिक रूप में उप-पुलिस, अधीक्षक के पद पर दिनांक, 1-7-74 से नियुक्त करते हैं।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

समन्वय निदेशालय

पुलिस बेतार

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1976

सं० ए०-38/5/74-वायरलैस--निदेशक, पुलिस दूर संचार समन्वय निदेशालय, (पुलिस बेतार) के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त निदेशालय में अगले आदेशों तक स्थानापन्न अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- नियुक्त करते है :---

1. श्री पी० जे० जकरिया . 1-1-1976 (पूर्वाह्न)
2. श्री भी० सितारमन . 2-2-1976 (पूर्वाह्न)
3. श्री ख० सैफुला . 21-1-1976 (पूर्वाह्न)

सं० ए०-36/19/75-बेतार--अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप प्रशासन द्वारा श्री बी० के० मित्रा, अतिरिक्त सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) को पुलिस रेडियो अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु चुने जाने के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 3 अक्टूबर, 1975 (पूर्वाह्न) को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया।

छत्रपति जोशी,
निदेशक
पुलिस बेतार

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 फरवरी 1976

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा०-1--राष्ट्रपति, निरीक्षक एस० पी० द्विवेदी को दिनांक 17 जनवरी, 76 के अपराह्न से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, टी० आई० एफ०, नैनी का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं, जिन्होंने श्री शिवराज सिंह के स्थान पर उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया। दिल्ली को स्थानान्तरित होने पर श्री शिवराज सिंह ने पद का कार्यभार 17 जनवरी, 76 के अपराह्न से छोड़ा।

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा०I--राष्ट्रपति, निरीक्षक एस० के० बनर्जी को दिनांक 12 जनवरी, 76 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 12 फरवरी 1976

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा०-1-- राष्ट्रपति, निरीक्षक के० सी० भूम्बला को दिनांक 21 जनवरी 76 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास, का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने श्री के० ए० बेलिअप्पा के स्थान पर उसी तारीख के पूर्वाह्न से उसी पद का कार्यभार सम्भाल लिया। श्री के० ए० बेलिअप्पा ने दिनांक 21 जनवरी, 76 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(1)/4/75-प्रशा०-1--दुर्गापुर से स्थानान्तरित होने पर, श्री पी० सी० वधवा, आई० पी० एस० (हरियाणा 1952) ने श्री पी० पी० सिंह, आई० पी० एस० (बिहार 1956) के स्थान पर दिनांक 19 जनवरी, 76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप-महानिरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया। उनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा। दुर्गापुर को स्थानान्तरित होने पर, श्री सिंह ने उसी तारीख से पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 16 फरवरी 1976

सं० ई०-16013(2)/4/75-प्रशा०-1--मेघालय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर श्री आर० चोंगथू, आई० पी० एस० (आसाम-1962) ने दिनांक 27 जनवरी 76

के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पूर्वी क्षेत्र के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया। उनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा।

दिनांक 23 फरवरी 1976

सं० ई०-32015(2)/4/75-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, पुनर्नियुक्ति पर, ले० कर्नल एम० श्रीवास्तव को दिनांक 27 जनवरी, 76 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ग्रुप कमांडेंट नियुक्त करते है। उनका मुख्यालय कलकत्ता मे होगा।

एल० एस० बिष्ट,
महानिरीक्षक

वित्त मंत्रालय
(अर्थकार्य विभाग)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
नासिकरोड़, दिनांक 10 फरवरी 1976

सं० 1889/(ए०)—श्री डी० पी० जाबोटकर जिनकी मुद्रांक पूर्ति अधिकारी के रूप मे तदर्थ नियुक्ति अधिसूचना सं० 3596/ए० दि० 18-3-75 के अनुसार हुई थी, अब वे दि० 24-1-76 से नियमित कर दिये गये है।

श्री वाय० आर० वैद्य जिनकी तदर्थ नियुक्ति श्री डी० पी० जांबोटकर के रिक्त पद पर मुद्रांक पूर्ति अधिकारी के रूप मे अधिसूचना सं० 1038/ए० दिनांक 6-10-75 के अनुसार हुई थी अब वे स्थानापन्न रूप मे दि० 24-1-76 से काम करते रहेंगे।

वि० ज० जोशी,
महाप्रबंधक,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
महालेखाकार कार्यालय, उड़ीसा
भुवनेश्वर-751001, दिनांक 3 फरवरी 1976

सं० का० आ० सी० 1389—महालेखाकार, उडीसा, भुवनेश्वर ने श्री बी० एन० मूर्ति, लेखा-अधिकारी को 5-2-76 से 30-4-76 तक 86 दिनो की अर्जित छुट्टी सेवा निवृत्त पूर्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया है।

अवकाश समाप्ति के दिन 30-4-76 अपराह्न से श्री बी० एन० मूर्ति सेवा निवृत्त होंगे।

जी० आर० सूद,
सहायक महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार महाराष्ट्र-I का कार्यालय
बम्बई-400020, दिनांक 10 फरवरी 1976

सं० एडमिन०, 1/आई० ए० डी०/31-वोल्यूम-II—महालेखाकार महाराष्ट्र I बम्बई अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट किये गये दिनाक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से लेखा अधिकारी नियुक्त करते है —

क्रम सं०	नाम	दिनाक	
1.	श्री व्ही० एस० रगनाथन्	22-11-75	पूर्वाह्न
2.	श्री बी० पी० गोरे	22-11-75	अपराह्न
3	श्री एस० डी० करंदीकर	24-11-75	पूर्वाह्न
4	श्री पी० ई० टोणगांवकर	21-11-75	अपराह्न
5.	श्री एन० सीयारामन्	1-1-76	अपराह्न
6	श्री सी० आर० नारायणन्	1-1-76	पूर्वाह्न
7.	श्री सी० एस० आर० श्रीपादम्	31-12-75	अपराह्न

ए० बी० पालेकर,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

मुख्य लेखा परीक्षक
उत्तरी रेलवे
नई दिल्ली-1, दिनांक 17 फरवरी 1976

स० प्रशासन/17-14/72/33098—अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा के अस्थायी सदस्य श्री खेम राज आतम अनुसूचित जाति, अनुभाग अधिकारी को आगामी आदेश तक दिनांक 9 फरवरी, 1976 से स्थानापन्न तौर पर मण्डल सेवा लेखा परीक्षक कार्यालय, उत्तर रेलवे, जोधपुर मे लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप मे नियुक्त किया गया है।

सं० प्रशासन/17-14/72 (33098)—अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा, के स्थायी सदस्य श्री इन्द्रजीत सिह, अनुभाग अधिकारी को आगामी आदेश तक दिनांक 9 फरवरी, 1976 पूर्वाह्न से स्थानापन्न तौर पर मण्डल लेखा परीक्षक कार्यालय, उत्तर रेलवे फिरोजपुर मे लेखा परीक्षाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

के० एस० रगामूर्ती,
मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा लेखा विभाग
कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियन्त्रक
नई दिल्ली–22, दिनांक 16 फरवरी 1976

स० 40011(2)/75-प्रशा० ए०—(1) वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियो को प्रत्येक के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेशंन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा।

क्रम सं०	नाम रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेशन स्थापना को अंतरण की तारीख	संगठन
1	2	3	4	5
1.	श्री शीतल चन्द्र चटर्जी (पी० 21)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-76	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।

1	2	3	4	5
सर्व श्री				
2.	वेद प्रकाश सरदाना (पी०/363)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-76	रक्षा लेखा नियन्त्रक, उत्तरी कमान, जम्मू।
3	डी० एन० माडके (पी०/579)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-76	रक्षा लेखा नियन्त्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
4	जी० बी० पारखी (पी०/633)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-76	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (अफसर) पूना।

श्री डी० एन० माडके स्थायी लेखा अधिकारी को सेवा निवृत्ति पूर्व 5-2-76 से 31-3-76 तक 56 दिन की अर्जित छुट्टी मजूर की गई है।

(2) सिविल सेवा विनियमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459 (अ) के प्रावधाना के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का नोटिस दे दिए जाने पर, अनुसधान एव विकास सगठन, सी० वी० आर० डी० ई० अवादी के साथ प्रतिनियुक्ति पर सेवारत और रक्षा लेखा नियन्त्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता की प्रोफार्मा नफरी पर विद्यमान श्री पी० वी० अनन्त नारायणन स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर स० पी०/160) को 1 अप्रैल 1976 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा।

एस० के० सुन्दरम
रक्षा लेखा अपर महानियन्त्रक

रक्षा मन्त्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरिया सेवा,

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरिया

कलकत्ता-700016, दिनांक 22 जनवरी 1976

स० 7/76/जी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियो को डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०/उप-प्रबन्धक के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से पुष्ट करते हैं :—

1. श्री एच० दत्ता, 15 जून, 1970
स्थानापन्न सीनियर डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० (अवकाश प्राप्त)
2. श्री बी० हौरीदोष, 15 जून, 1970
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक
3. श्री बी० के० खोसला, 15 जून, 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
4. श्री एस० एन० दास, 15 जून, 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
5. श्री आई० पी० मिश्र, 15 जून, 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
6. श्री एम० सरूप, 12 सितम्बर, 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
7. श्री सी० आर० घोष, 12 सितम्बर, 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
8. श्री के० विश्वनाथन्, 12 सितम्बर, 1970
स्थायी प्रबन्धक
9. श्री आर० सी० चौला, 12 सितम्बर, 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
10. श्री जी० सी० खन्ना, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
11. श्री पी० के० सोनी, 12 सितम्बर 1970
स्थायी प्रबन्धक
12. श्री जी० आर० चारी, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
13. श्री ए० एम० वात्ने, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
14. श्री आर० एम० चौधुरी, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
15. श्री एम० जी० जोशी, 12 सितम्बर 1970
स्थायी प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
16. श्री सी० पी० मेहता, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उपप्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
17. श्री ए० डब्ल्यू० भारती, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
18. श्री टी० के० श्रीनिवासन्, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
19. श्री बी० के० दत्ता, 12 सितम्बर 1970
स्थायी प्रबन्धक
20. श्री जी० एफ० मेसकारीनइस, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न प्रबन्धक
21. श्री एन० सी० मुखर्जी, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उप प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)
22. श्री जे० एस० साइन, 12 सितम्बर 1970
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

23. श्री टी० एन० सेन, स्थानापन्न सीनियर डी० ए० डी० ओ० एफ० — 12 सितम्बर 1970
24. श्री पी० राय, स्थानापन्न सीनियर डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० (अवकाश प्राप्त) — 12 सितम्बर 1970
25. श्री सुधीर कुमार घोष, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (दिवंगत) — 12 सितम्बर 1970
26. श्री बी० सी० नियोगी, स्थानापन्न सीनियर डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० — 12 सितम्बर 1970
27. श्री एल० आई० एस० हेनरी, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
28. श्री एन० एन० मंडल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 12 सितम्बर 1970
29. श्री एस० एन० धीर, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 12 सितम्बर 1970
30. श्री एच० थॉमस, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 12 सितम्बर 1970
31. श्री डी० एन० सरकार, स्थायी सीनियर डी० ए० डी० ओ० एफ० — 12 सितम्बर 1970
32. श्री बी० एन० थाकर, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
33. श्री के० एम० मोहीले, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
34. श्री एस० पी० कुलकर्णी, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
35. श्री बी० बी० चटर्जी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
36. श्री जीत सिंह, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
37. श्री ए० के० घोष, स्थानापन्न उपप्रबन्धक (दिवंगत) — 12 सितम्बर 1970
38. श्री आर० सिंह, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
39. श्री एस० के० दलाल, स्थानापन्न उप प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
40. श्री एच० पी० एस० अहलुवालिया स्थानापन्न एस० ओ० ग्रेड-1 — 12 सितम्बर 1970
41. श्री एम० समपथ, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
42. श्री सी० आर० गुप्त, स्थानापन्न सीनियर डी० जी० डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० — 12 सितम्बर 1970
43. श्री बी० डी० विश्वास, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
44. श्री एल० एम० श्रीरामन्, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
45. श्री के० के० ओबेर स्थानापन्न प्रबन्धक (दिवंगत) — 12 सितम्बर 1970
46. श्री एस० आर० चक्रवर्ती, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
47. श्री वी० एस० दक्षिणामूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
48. श्री वी० वी० एस० राव, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
49. श्री एफ० ई० जोली, स्थानापन्न प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 12 सितम्बर 1970
50. श्री वी० लाल, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
51. श्री के० आर० पदमानाभन, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
52. श्री आर० पदमानाभन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
53. श्री मुन्नू लाल, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
54. श्री डी० के० सरकार, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
55. श्री के० पी० सिंह, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
56. श्री जे० के० जैन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
57. श्री एस० मुखर्जी, स्थानापन्न प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
58. श्री ए० के० रास्तोगी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
59. श्री डी० के० दे सरकार, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
60. श्री एस० के० भाटिया, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
61. श्री ओ० पी० गुरुवारा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
62. श्री एस० आर० राव, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
63. श्री दीपक चौधरी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
64. श्री एम० एम० मेनन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
65. श्री आर० के० अग्रवाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
66. श्री आर० गोविन्दराजन्, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970

67. श्री डी० एस० प्रसाद, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० — 12 सितम्बर 1970
68. श्री जे० पी० दासगुप्ता, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० — 12 सितम्बर 1970
69. श्री आर० एन० बोस, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
70. श्री बी० सी० पाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
71. श्री आई० एस० अहलुवालिया, स्थानापन्न उप प्रबन्धक — 12 सितम्बर 1970
72. श्री आर० सी० गुप्ता, स्थानापन्न उप प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
73. श्री एम० एन० भट्टाचार्जी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 13 सितम्बर 1970
74. श्री टी० पी० सुन्दरम्, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 13 सितम्बर 1970
75. श्री आर० पी० जौहरी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
76. श्री सी० एस० रानपीसी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
77. श्री जे० सी० दुरेजा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
78. श्री सी० वेनुगोपाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
79. श्री एन० एल० एस० मूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
80. श्री एम० बी० जी० जी० बटचा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 13 सितम्बर 1970
81. श्री सी० पी० के० मेनन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 13 सितम्बर 1970
82. श्री डी० के० दास गुप्ता, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 20 सितम्बर 1970
83. श्री एस० बनर्जी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 21 सितम्बर 1970
84. श्री जी० सरकार, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 1ली अक्तूबर 1970
85. श्री बी० एम० गुप्ता, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 24 नवम्बर 1970
86. श्री सी० पी० अग्रवाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 4 जनवरी 1971
87. श्री एम० सिंह, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 16 जनवरी 1971
88. श्री आर० मोहनारामन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
89. श्री जे० सिंह, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
90. श्री एन० वेंकटरामन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
91. श्री के० सुन्दरामूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
92. श्री एस० लक्ष्मीनारायण, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
93. श्री श्रीकृष्ण दास, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
94. श्री आर० शिव प्रसाद, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
95. श्री एस० के० घोष, उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
96. श्री डी० आई० श्रीवास्तव, स्थानापन्न उप प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
97. श्री पी० सत्यनारायण, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
98. श्री टी० के० बनर्जी, स्थानापन्न उप प्रबन्धक — 1ली अप्रैल 1971
99. श्री के० पी० एस० मेनन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 10 सितम्बर 1971
100. श्री जी० आर० सुन्दरम्, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० — 10 सितम्बर 1971
101. श्री के० गुप्ता, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० (अवकाश प्राप्त) — 26 सितम्बर 1971
102. श्री एम० मित्रा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
103. श्री ए० रामामूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
104. श्री एस० कृष्णामूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
105. श्री वी० कृष्णामूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
106. श्री एस० के० वाधवन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
107. श्री एल० एन० शर्मा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त) — 26 सितम्बर 1971
108. श्री ए० डब्ल्यू लालवानेय, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
109. श्री ए० के० मिश्रा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
110. श्री एन० एस० शर्मा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक — 26 सितम्बर 1971
111. श्री के० एन० चटर्जी, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० (अवकाश प्राप्त) — 26 सितम्बर 1971

112. श्री पी० एम० देशपाण्डे, 26 सितम्बर 1971
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

113. श्री एस० एन० तिवारी, 26 सितम्बर 1971
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

114. श्री एन० सी० पाल, 1 अक्तूबर 1971
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

115. श्री एच० एल० शर्मा, 14 नवम्बर 1971
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

116. श्री जी० एन० बनर्जी, 1 दिसम्बर 1971
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

117. श्री बलवीर सिंह, 15 दिसम्बर 1971
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

118. श्री वी० के० शर्मा, 4 जनवरी 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

119. श्री बलदेव राम, 11 जनवरी 1972
स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०

120. श्री आर० रामानाथन, 20 जनवरी 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

121. श्री एम० जी० भाटी, 1 फरवरी 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

122. श्री के० एस० रत्नास्वामी, 20 फरवरी 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

123. श्री डी० संथानम, 1 अप्रैल 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

124. श्री के० डी० बोस, स्थानापन्न 8 अप्रैल 1972
उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

125. श्री जे० जी० बेलान, 30 अप्रैल 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

126. श्री एम० के० मेनन, 1 मई, 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

127. श्री के० कुनहीरामन, 17 जुलाई 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

128. श्री आर० डी० सपरी, 29 अगस्त 1972
स्थानापन्न प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

129. श्री टी० आर० मूर्ति, 9 अक्तूबर 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

130. श्री एस० एस० सेशन, 9 अक्तूबर 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)

131. श्री के० के० सोधी, 7 नवम्बर 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

132. श्री एम० सिंगराम, 17 दिसम्बर 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

133. श्री जी० खेरा, 30 दिसम्बर 1972
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

134. श्री टी० रामाकृष्णा, 1 जनवरी 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

135. श्री के० एम० एल० भटनागर, 1 जनवरी 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (दिवंगत)

136. श्री जी० अग्रवाल, 1 अप्रैल 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

137. श्री एस० एन० गुप्ता, 14 अप्रैल 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

138. श्री वी० कृष्णन, 20 अप्रैल 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

139. श्री ए० के० बनर्जी, 10 जुलाई 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

140. श्री आर० संकरा रामन, 3 सितम्बर 1973
स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०

141. श्री के० राव चौधुरी, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

142. श्री एस० के० पी० विश्वनाथन, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

143. श्री पी० रमैया, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

144. श्री डी० ए० श्रीनिवासन, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

145. श्री बाई० पी० अरोरा, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

146. श्री ए० सी० पिलाई, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

147. श्री के० सी० सिक्का, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न उप-प्रबन्धक

148. श्री एस० कृष्णामूर्ति, 15 अक्तूबर 1973
स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०

दिनांक 13 फरवरी 1976

सं० 12/76/जी०—डी० जी० ओ० एफ०, निम्नलिखित स्थायी अधीक्षकों को दिनांक 1ली मार्च, 1968 से सहायक स्टाफ अफसर (श्रेणीII—राजपत्रित) की श्रेणी में, आगामी आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री समरेन्द्र नाथ मित्रा (अब अवकाश प्राप्त)
2. श्री विश्वनाथ चटर्जी (अब अवकाश प्राप्त)
3. श्री शम्भु नाथ सिन्हा (अब अवकाश प्राप्त)
4. श्री कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्य,
5. श्री धर्म चन्द वर्मा (अब दिवंगत)

6. श्री धीरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवा
7. श्री अले हसन (अब अवकाश प्राप्त)
8. श्री के० ए० वी० लिंगम् (अब अवकाश प्राप्त)
9. श्री मनोरंजन भट्टाचार्य (अब अवकाश प्राप्त)
10. श्री गोबिन्द चन्द्र भट्टाचार्य
11. श्री मनमोहन लाल नन्दा
12. श्री अमुल्य कुमार घोष चौधुरी (अब अवकाश प्राप्त)
13. श्री रवीन्द्र नाथ बोस
14. श्री प्रकाश चन्द्र दत्ता (अब अवकाश प्राप्त)

सं० 13/76/जी०—डी० जी० ओ० एफ०, निम्नलिखित स्थानापन्न अधीक्षकों को सहायक स्टाफ अफसर (श्रेणी II राजपत्रित) की श्रेणी में स्थानापन्न हैसियत से उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखों से आगामी आदेश न होने तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री हर पद चौधुरी (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
2. श्री हरि भूषण घोष, 1 ली मार्च, 1968
3. श्री प्रफुल्ल नाथ सान्याल, 1 ली, मार्च, 1968।
4. श्री तीर्थ प्रसाद बाग्ची (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
5. श्री बनाई लाल मुखर्जी, 1 ली मार्च, 1968
6. श्री हरि पद चटर्जी, 1ली मार्च, 1968।
7. श्री मनीन्द्र नाथ मोइत्रा (अब अवकाश प्राप्त) 1ली, मार्च, 1968।
8. श्री शिवानन्द ब्रह्मचारी (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
9. श्री पुलिन बिहारी घोष (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
10. श्री सत्य व्रत नाग, 1ली मार्च, 1968।
11. श्री गोपाल चन्द्र दासगुप्ता (अब अवकाश प्राप्त), 1 ली मार्च, 1968।
12. श्री तिमिर रंजन दत्ता, 1ली मार्च, 1968।
13. श्री अभिय रजन बोस, 1ली मार्च, 1968।
14. श्री निर्मल चन्द्र सेन गुप्ता, 1ली मार्च, 1968।
15. श्री भूपति भूषण विश्वास, 1ली मार्च, 1968।
16. श्री शान्ति कुमार बनर्जी, 1ली मार्च, 1968।
17. श्री राजेश्वर मित्रा (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
18. श्री क्षिरोद लाल सेन गुप्ता, 1ली मार्च, 1968।
19. श्री अमरेन्द्र नाथ चौधुरी, 1ली मार्च, 1968।
20. श्री प्रवाश कुमार मुखर्जी (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
21. श्री कृष्ण लाल देवनाथ, 1ली मार्च, 1968।
22. श्री सुरेश चन्द्र बनर्जी (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
23. श्री कालीपद मुखर्जी, 1 ली मार्च, 1968।
24. श्री एम० शिवशंकरन (अब अवकाश प्राप्त), 1 ली मार्च, 1968।
25. श्री नारायण दास चौधुरी, 1 ली मार्च, 1968।
26. श्री सुबोध चन्द्र चौधुरी (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
27. श्री गुरु प्रसाद मजुमदार (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
28. श्री सुनील कुमार दत्ता (अब अवकाश प्राप्त), 1 ली मार्च, 1968।
29. श्री भवानी प्रसाद दत्ता (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
30. श्री नलिनी मोहन चटर्जी, 1ली मार्च, 1968।
31. श्री सुबोध कुमार मित्तर (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
32. श्री सुधीर चन्द्र बोस (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
33. श्री पतित पावन जाना (अब अवकाश प्राप्त), 1 ली मार्च, 1968।
34. श्री बिपुलेन्द्र नाथ मित्रा, 1ली मार्च, 1968।
35. श्री ब्योमकेश मानिक, 1ली मार्च, 1968।
36. श्रीमती अत्रेयी मजुमदार (अब अवकाश प्राप्त), 1ली मार्च, 1968।
37. श्री जीवन कृष्ण बनर्जी (अब अवकाश प्राप्त) 14वीं अगस्त, 1968।
38. श्री विभूति लाल बनर्जी (अब अवकाश प्राप्त), 14वीं अगस्त, 1968।
39. श्री नरेन्द्र मोहन गांगुली (अब अवकाश प्राप्त), 14वीं अगस्त, 1968।
40. श्री रघुनाथ दासगुप्ता, 14वीं अगस्त, 1968।
41. श्री शीतल चन्द्र मजुमदार (अब अवकाश प्राप्त), 14वीं अगस्त, 1968।
42. श्री अमिलेश्वर मुकर्जी (अब अवकाश प्राप्त) 11वीं नवम्बर, 1968।
43. श्री महिम रंजन घोषाल, 10वीं दिसम्बर, 1968।
44. श्री वी० वेंकिटेश्वरन (अब अवकाश प्राप्त), 10वीं दिसम्बर, 1968।
45. श्री वी० कैलाशम, 6वीं अक्तूबर, 1969।
46. श्री पार्वती कुमार गोस्वामी, 6वीं अक्तूबर, 1969।
47. श्री अन्नदा मोहन घोष, 6वीं अक्तूबर, 1969।
48. श्री हेमतोष कुमार नाथ (अब अवकाश प्राप्त), 6वीं अक्तूबर, 1969।
49. श्री अनिमेश दासगुप्ता, 2री दिसम्बर, 1969।
50. श्री निर्मल चन्द्र दास, 15वीं दिसम्बर, 1969।
51. श्री राधा रमन चटर्जी (अब अवकाश प्राप्त), 25वीं जून, 1970।
52. श्री प्रशान्त कुमार मल्लिक, 18वीं अगस्त, 1970।
53. श्री साधन बिहारी सरकार (अब अवकाश प्राप्त), 25वीं सितम्बर, 1970।
54. श्री मोहिनी मोहन कर (अब अवकाश प्राप्त), 30वीं सितम्बर, 1970।

55. श्री रजीत कुमार दास, 14वी दिसम्बर, 1970।

56. श्री प्रभात चन्द्र नाथ, 1ली अप्रैल, 1971।

57. श्री गणेश लाल गांगुली (अब अवकाश प्राप्त), 1ली अप्रैल, 1971।

58. श्री विभूति भूषण चौधुरी, 13वी दिसम्बर, 1973।

59. श्री कालिका प्रसाद सुकुल, 13वी दिसम्बर 1973।

60. श्री मनोज कुमार सेन, 13वी दिसम्बर, 1973।

61. श्री मानिक लाल गांगुली, 13वी दिसम्बर, 1973।

62. श्री राम नारायण प्रसाद देव, 13वी दिसम्बर, 1973।

63. श्री निर्मल्य भूषण चक्रवर्ती 13वी दिसम्बर, 1973।

64. श्री सविता प्रकाश गोस्वामी, 13वी दिसम्बर, 1973।

65. श्री परिमल चन्द्र बोस (अब अवकाश प्राप्त), 13वी दिसम्बर, 1973।

66. श्री शिवचन्द्र सरकार, 14वी दिसम्बर, 1973।

67. श्री विजय भूषण चौधुरी, 11वी जनवरी, 1974।

68. श्री सिलिर कुमार मित्रा, 14वी दिसम्बर, 1973।

69. श्री प्रमोद चन्द्र राय, 14वी दिसम्बर, 1973।

70. श्री बारीन्द्र नाथ घोष, 14वी दिसम्बर, 1973।

71. श्री धीरेन्द्र नाथ साहा, 14वी दिसम्बर, 1973।

72. श्री रमनी रंजन नाग, 14वी दिसम्बर, 1973।

73. श्री अजित कुमार बोस (अब दिवंगत), 14वी दिसम्बर, 1973।

74. श्री अजित कुमार देव (अब अवकाश प्राप्त), 14वी दिसम्बर, 1973।

75. श्री किशन मोहन, 1ली जनवरी, 1974।

76. श्री जोगेश चन्द्र राय (अब अवकाश प्राप्त), 11वी जनवरी, 1974।

77. श्री जोगेश चन्द्र सेन, 11वी जनवरी, 1974।

78. श्री मनोरंजन नाग (अब अवकाश प्राप्त) 11वी जनवरी, 1974।

79. श्रीमती जनु राजगोपालन, 11वी जनवरी, 1974।

80. श्री सुबोध चन्द्र राय, 28वी फरवरी, 1974।

81. श्री एन० वी० सेन शर्मा, 20वी अगस्त, 1974।

82. श्री कालिपद मजुमदार, 20वी अगस्त, 1974।

83. श्री दुलाल चरण दास, 20वी अगस्त, 1974।

84. श्री सुशील कुमार दास, 9वी सितम्बर, 1974।

85. श्री सुनील कुमार सेनगुप्ता, 20वी सितम्बर, 1974।

86. श्री कालिदास गुहा, 10वी अक्तूबर, 1974।

87. श्री नारायण गंगोपाध्याय, 2री दिसम्बर, 1974।

88. श्रीमती ज्योत्सनासेन, 2री दिसम्बर, 1974।

89. श्री श्यामल पाइन, 2री जनवरी, 1975।

90. श्री सुधीर चन्द्र दास, 2री जनवरी 1975।

91. श्री रवीन्द्र नाथ हाजरा, 2री जनवरी 1975।

92. श्री प्रिय गोपाल गोस्वामी 29वी मई 1975।

93. श्री प्रदीप कुमार बसु 29वी मई 1975।

94. श्री निशिर कुमार चक्रवर्ती 1ली सितम्बर, 1975।

95. श्री निरंजन गुप्ता, 3री अक्तूबर, 1975।

96. श्री लक्ष्मी नारायण सामन्त, 4थी नवम्बर, 1975।

97. श्री सुशील कुमार दत्ता, 4थी नवम्बर, 1975।

98. श्री दिलीप सेन, 4थी नवम्बर, 1975।

सं० 15/76/जी०—डी० जी० ओ० एफ०, निम्नलिखित स्थानापन्न सहायकों को सहायक स्टाफ अफसर (श्रेणी II राजपत्रित) की श्रेणी में स्थानापन्न हैसियत से प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री सुरेन्द्र नाथ विश्वास 13वी जून, 1975 से 26वी जनवरी 1976 तक।

2. श्री अमल कुमार साहा 1ली अगस्त, 1975 से 26वी जनवरी 1976 तक।

महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा

सं० 14/76/जी०—डी० जी० ओ० एफ० ने श्री वैद्यनाथ नटराजन्, डी० जी० ओ० एफ० के स्थानापन्न पी० एस० को स्टेनोग्राफर सेलेक्शन ग्रेड/डी० जी० ओ० एफ० के पी० एस० (श्रेणी-II राजपत्रित) की श्रेणी में स्थानापन्न हैसियत से 9वी मार्च, 1970 से आगामी आदेश न होने तक, सहर्ष नियुक्त किया। (इस महानिदेशालय की अधिसूचना सं० 10/73/जी०, दिनांक 31वी मार्च, 1973 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है)।

एम० पी० आर० पिल्लाय,

सहायक महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

श्रम मंत्रालय

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि, बिहार

करमा, दिनांक 30 अक्तूबर 1975

सं० अभ्रक 4(37)/75—श्री एस० पी० गर्ग, सर्वेक्षक, कोयला खान श्रम कल्याण संस्था, की नियुक्ति सहायक अभियन्ता, अभ्रक खान श्रम कल्याण संस्था के पद पर तिथि 20-9-75 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर अगले आदेश तक की गई।

आर० पी० सिन्हा

कल्याण आयुक्त,

अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष, बिहार,

करमा

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

जगजीवन नगर, दिनांक 10 फरवरी 1976

सं० प्रशासन-12(4)/72—यू० एन० एफ० पी० ए० परियोजन के लिए केन्द्रीय कार्यालय, धनबाद में कोयला खान कल्याण आयुक्त, धनबाद के सहायक सचिव श्री के० के० मुखर्जी को तारीख 19-1-76 (पूर्वाह्न) से कल्याण प्रशासक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

आर० पी० सिन्हा,

कोयला खान कल्याण आयुक्त

धनबाद

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1976

सं० प्रशा० (राज०) I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी-2 के स्थायी आशुलिपिक, श्री यू० सी० चौहान को इस कार्यालय में दिनांक 1 जनवरी, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों के होने तक, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 24 फरवरी 1976

सं० प्रशा० (राज०) I—राष्ट्रपति, मूल नियमावली के नियम 56 के अनुच्छेद (जे०) के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के स्थायी अधिकारी एवं इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), श्री एम० एम० सांधी को 20-12-1975 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की स्वीकृति देते हैं।

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

मद्रास-600001, दिनांक 4 फरवरी 1976

विषय:—आयात लाइसेंस संख्या पी० एल० 2734305/सी०/एक्स एक्स/56/एम०/39-40/पी० 11, दिनांक 8-7-75 केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई को सर्वश्री राधा सिल्क इम्पोरियम नं० 1, सन्नाधि स्ट्रीट माइलपुर, मद्रास 4 के नाम से प्राधिकारी पत्र के साथ जारी की गई सीमाशुल्क प्रति को रद्द करना।

उक्त उल्लिखित लाइसेंस केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई को सर्वश्री राधा सिल्क इम्पोरियम नं० 1, सन्नाधी स्ट्रीट, माइलपुर, मद्रास-4 के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ कच्चे रेशम का आयात करने के लिए प्रदान किया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है। यह बताया गया है कि लाइसेंस के अप्रयुक्त मूल्य 1,07,787 रुपए के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था। अपने दावे के समर्थन में सर्वश्री राधा सिल्क इम्पोरियम (प्रा०) लि० माइलपुर, मद्रास-4 ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रदान की जानी चाहिए। उक्त उल्लिखित लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

(मिसिल संख्या : एन० एस० एफ०/6/जे० एस०-74/ई० पी० सी०-3 से जारी)

ई० दा० रशीद,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, अयात-निर्यात

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-400020, दिनांक 17 फरवरी 1976

सं० ई० एस० टी० 1-2(615)—श्रीमती राष्ट्रपति, बुनकर सेवा केन्द्र, बम्बई के सहायक निदेशक, द्वितीय श्रेणी (पी० और डी०) श्री शामन्ना रवीन्द्रन को 12 दिसम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से, अन्य आदेश होने तक, उसी केन्द्र में सहायक निदेशक प्रथम श्रेणी (पी० और डी०) के पद पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र पाल कपूर,
वस्त्र आयुक्त

बम्बई-400020, दिनांक 18 फरवरी 1976

सं० ई० एस० टी० 1-2(657)—वस्त्र आयुक्त, अपने बम्बई स्थित प्रादेशिक कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक (टेक्नीकल) श्री जगदीश प्रसाद त्यागी को 20 जनवरी, 1976 के पूर्वाह्न से, अन्य आदेश होने तक, उसी कार्यालय में सहायक निदेशक द्वितीय श्रेणी (नान टेक्नीकल) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

का० रा० नीलकंठन,
उप निदेशक

कम्पनी कार्य विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1976

सं० प्र०-1/1(825)—स्थायी अधीक्षक तथा पूर्ति निदेशक (वस्त्र) बम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री एम० डी० नायर दिनांक 31 जनवरी, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 20 फरवरी 1976

सं० प्र० 1/1(1013)—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशक, बम्बई के कार्यालय में गोदी निरीक्षक श्री एन० एल० परमेश्वरम को दिनांक 2 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी कार्यालय बम्बई में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री परमेश्वरम की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तथा उच्च न्यायालय दिल्ली में श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के अधीन होगी।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन),
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

प्रशासन शाखा-6

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1976

सं० प्र०-6/247(398)/62-II—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधीन उत्तरी निरीक्षण मंडल, नई दिल्ली में भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-I के ग्रेड-II की इंजीनियरी शाखा में उप निदेशक निरीक्षण श्री जी० आर० भाटिया दिनांक 31 जनवरी, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 20 फरवरी 1976

सं० प्र०-6/247(291)/73—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधीन कलकत्ता निरीक्षण मंडल में स्थायी भंडार परीक्षक तथा स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) श्री एस० के० तरफदार दिनांक 31-12-75 (अपराह्न) से एफ० आर०-56(जे०) के अधीन सरकारी सेवा से निवृत्त कर दिए गए।

दिनांक 21 फरवरी 1976

सं० प्र०-6/247(149)/56—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधीन कलकत्ता निरीक्षण मंडल में स्थायी भंडार परीक्षक तथा स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) श्री एच० के० घोष दिनांक 31-1-76 (अपराह्न) से एफ० आर०-56(जे०) के अधीन सरकारी सेवा से निवृत्त कर दिए गए।

सं० प्र०-6/247(125)/58-III—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीन निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-I के ग्रेड-III की इंजीनियरी शाखा के निरीक्षण अधिकारी श्री देवव्रत चौधुरी दिनांक 31 जनवरी, 1976 के अपराह्न से वर्तन आयु (58) वर्ष होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० प्र०-6/247 (509)/65—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीन निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-I के ग्रेड-III की इंजीनियरी शाखा में निरीक्षण अधिकारी श्री बी० बी० मित्रा दिनांक 31 जनवरी, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सूर्य प्रकाश,
उप निदेशक (प्रशासन),
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

कार्यालय मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1976

स० ए०-32014/75-76/प्रशासन (समन्वय)/5627-29—मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, पूर्ति, पुनर्वास तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संगठन के श्री ओ० पी० शर्मा, अनुभाग अधिकारी (वेतन तथा लेखा) को 30-1-76 अपराह्न से मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय में आगामी आदेश तक वेतन तथा लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

इनकी पदोन्नति से नामिका (पेनल) में इनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों और अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी पदोन्नति मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी के संगठन (वेतन तथा लेखा अधिकारी) भर्ती नियम 1974 की शर्तों के अध्यधीन है।

जे० बी० दत्ता,
वेतन तथा लेखा अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 20 फरवरी 1976

सं० स्था० 1-5047/1117-एल० पी० आर०—भारत के महासर्वेक्षक, श्री हरिदेव, रजिस्ट्रार, महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, को सेवाकाल की अवधि के समाप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी, 1976 अपराह्न से सरकारी सेवा से सहर्ष निवृत्त करते हैं।

सं० स्था० 1-5048/1117-एल० पी० आर०—भारत के महासर्वेक्षक, श्री बी० आर० पन्त, स्थापना एवं लेखा अधिकारी, मानचित्र अभिलेख एवं निर्गम कार्यालय (मा० प्र०), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, को दिनांक 30 नवम्बर, 1975 अपराह्न से सेवाकाल की अवधि के समाप्त होने पर सरकारी सेवा से सहर्ष सेवा निवृत्त करते हैं।

धर्म पाल गुप्ता,
मेजर इंजीनियर्स,
सहायक महासर्वेक्षक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1976

सं० 2/12/75-एस० तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एल० डी० शर्मा, वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक, आकाशवाणी, जोधपुर को 21-1-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, जम्मू में स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1976

इस निदेशालय की अधिसूचना सं० ए० 31014/1/74-स्टाफ-छः (वाल्यूम दो) दिनांक 4-12-75 में कृपया निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :—

क्रम संख्या 39 के सामने
श्री एस० सत्याधर्मा के स्थान पर
श्री एस० सत्यनारायण पढ़ा जाय।

क्रम सं० 73 के सामने
श्री बी० एन० मैथ्यू के स्थान पर
श्री बी० एम० मैथ्यू पढ़ा जाय।

क्रम सं० 75 के सामने

श्री एम० एन० अथारलु के स्थान पर
श्री एम० एन० अथावले पढ़ा जाय।

प्रेम कुमार सिन्हा,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनाक 19 फरवरी 1976

स० 2/37/60-एस०-दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री आर० पी० सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी, आकाशवाणी, लखनऊ को दिनाक 9-12-75 (पूर्वाह्न) से दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, लखनऊ मे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिए नियुक्त करते है।

दिनाक 23 फरवरी 1976

स० 10/49/61-एस०-दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री पी० मोहम्मद, वरिष्ठ लेखाकार, केन्द्रीय विक्रय एकक, आकाशवाणी, बम्बई को दिनाक 27-1-76 (पूर्वाह्न) से रेडियो कश्मीर, श्रीनगर मे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, कार्य करने क लिए नियुक्त करते है।

2 श्री मोहम्मद का 3-2-1976 को देहवसान हो गया।

इन्द्र सैन पाधी,
अनुभाग अधिकारी,
कृते महानिदेशक,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनाक 19 फरवरी 1976

स० ए० 19012/2/74-स्थापना-2—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक श्री एन० एन० बहल को इस निदेशालय मे 4 फरवरी 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी नियुक्त करते है।

रोशन लाल जैन,
उप निदेशक (प्रशासन),
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार, निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनाक 19 फरवरी 1976

स० 9-15/75-एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने श्रीमती मेहर सुल्ताना जफर को 22 अप्रैल 1972 से राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय नई दिल्ली, मे अंग्रेजी की प्राध्यापिका के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है।

स० 11-2/75-एडमिन-1—श्री एस० श्रीनिवासन ने 31 जनवरी 1976 के अपराह्न को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय मे प्रशासन एव सतर्कता निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

स० ए० 12022/1/76-(सी०एस०एस०एस०)/एडमिन-1—राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सवर्ग के ग्रेड-2 आशुलिपिक श्री डी० एन० ढींगरा को 9 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय मे वरिष्ठ निजी सहायक (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त किया है।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप निदेशक प्रशासन

दिल्ली दुग्ध योजना

नई दिल्ली-8, दिनाक 20 फरवरी 1976

स० 3-2/75-स्थापना (विशेष)—श्री एस० सी० सूरी, डेरी पर्यवेक्षक/सहायक प्रबधक को 22-10-75 से 6 माह से अनधिक अवधि के लिए अथवा अन्य कोई नियमित व्यवस्था किए जाने तक, जो भी पहले हो, दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन, प्रबधक, दुग्ध सग्रहण और अवशीतन केन्द्र/पारी प्रबधक (राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) के पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त किया गया है। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ एव अस्थायी है।

आनन्द मोहन लाल,
अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग
भारी पानी परियोजनाए

बम्बई-400008, दिनाक 29 जनवरी 1976

सदर्भ स० भापाप/स्था०/1/ब-22/597—भारी पानी परियोजनाओ के, विशेष-कार्य-अधिकारी, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के, श्री अच्युत मुकुद वैद्य, स्थायी सहायक लेखापाल तथा सहायक लेखा अधिकारी जो अब भारी पानी परियोजनाओ (मुख्य कार्यालय) मे उसी ग्रेड मे प्रतिनियुक्त है, को भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन) मे, श्री गोपाल कृष्ण, लेखा अधिकारी-II जो छुट्टी पर है के स्थान पर 1 दिसम्बर 1975 (पूर्वाह्न) से 31, दिसम्बर 1975 (अपराह्न) तक के लिए लेखा अधिकारी-II स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है।

दिनाक 12 फरवरी 1976

सदर्भ स० भापाप/स्था०/1/शि-25/1014—भारी पानी परियोजनाओ के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री शिवपुत्ररेवप्पा शिदल्याली, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल जो अब भारी पानी परियोजना (कोटा) मे उसी ग्रेड मे प्रतिनियुक्त है को भारी पानी परियोजना (कोटा) मे 16 जनवरी 1976 से 120 दिन या जब तक भारी पानी परियोजना (कोटा) मे नियमित सहायक लेखा अधिकारी की नियुक्ति हो जो भी पहले हो, तक के लिए सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते है।

संदर्भ सं० भापाप/स्था०/1/म-13/1013—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष-कार्य-अधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री वसंत कृष्णा, महागांवकर, स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजनाएं (मुख्य कार्यालय) के स्थानापन्न सहायक लेखापाल को उसी परियोजना में जनवरी 31, 1976 से मार्च 19, 1976 तक के लिए श्री ए० एम० वैद्य, सहायक लेखा अधिकारी, जो अब छुट्टी पर हैं के स्थान पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

टी० सी० सत्यकीर्ति,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 13 फरवरी 1976

सं० ई० (1) 03768—वेधशालाओं के उप-महानिदेशक, (जलवायु विज्ञान और भू-भौतिकी) पूना के कार्यालय के श्री एम० एम० वाधवानी स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ 31 दिसम्बर 1975 के अपराह्न से निवर्तन की आयु पर पहुंचने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० ई० (1) 04202—वेधशालाओं के महानिदेशक नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय के श्री जी० अप्पा राव स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ 31 जनवरी 1976 के अपराह्न से निवर्तन की आयु पर पहुंचने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० ई० (1) 06680—वेधशालाओं के महानिदेशक एतद्द्वारा निदेशक, कृषि मौसम विज्ञान पूना कार्यालय के व्यवसायिक सहायक श्री आर० सी० दूबे को 1-1-1976 के पूर्वाह्न से 29-3-1976 तक नब्बासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं।

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री दूबे, निदेशक कृषि मौसम विज्ञान के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

एम० आर० एन० मनियन
मौसम विशेषज्ञ,
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1976

स० ए० 31014/1/75-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित 18 अधिकारियो को 1 फरवरी, 1976 से नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन मे सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में स्थाई रूप से नियुक्त किया है :—

1. श्री बी० बी० दत्ता
2. श्री रामजी सिंह
3. श्री ए० के० नारायणन
4. श्री जे० एस० बेदी
5. श्री एस० के० सेन
6. श्री के० सी० सेनगुप्ता
7. श्री बी० के० राय
8. श्री पी० आई० इडीकुला
9. श्री मोहम्मद अली
10. श्री मधु एस० मेनन
11. श्री एच० देब
12. श्री के० एस० चोपड़ा
13. श्री के० एम० मैथ्यू
14. श्री एस० मधु
15. श्री आर० के० मित्र
16. श्री एस० एस० गिल
17. श्री के० स्वामीनाथन
18. श्री एस० गोविंदराजन

हरबंस लाल कोहली,
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1976

सं० ए०-32013/14/75-ई० सी०—इस विभाग की दिनांक 15 नवम्बर 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के साथ पठित इस विभाग की दिनांक 20 अक्तूबर 1975 की अधिसूचना सं० ए०-32013/14/75-ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री पी० पालोज की तदर्थ आधार पर संचार अधिकारी के रूप में पदोन्नति की अवधि 30 अप्रैल 1976 तक अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दी है।

इस विभाग की दिनांक 9/10 जनवरी 1975 की अधिसूचना सं० ए० 32013/6/72 ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री आर० एच० सुब्रह्मण्यम की भी तदर्थ आधार पर नागर विमानन विभाग मे संचार अधिकारी के रूप में पदोन्नति की अवधि 30 अप्रैल 1976 तक अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमे जो भी पहले हो, बढ़ा दी है।

दिनांक 19 फरवरी 1976

सं० ए०-32014/1/75-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता में संचार सहायक श्री साईबाला गुप्ता को 24 जनवरी 1976 से सहायक संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है तथा उन्हें उसी स्टेशन पर तैनात किया है।

सं० ए० 32013/4/75-ई० सी०—राष्ट्रपति ने वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई के श्री टी० आर० शेषाद्री, सहायक तकनीकी अधिकारी, को 31-1-1976 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है तथा उन्हें क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई क्षेत्र, बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई के कार्यालय में तैनात किया है।

सं० ए०-39012/1/76-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय मे श्री मोहिन्दर कुमार सेठ, तकनीकी अधिकारी का त्यागपत्र 5-2-1976 (अपराह्न) से स्वीकार कर लिया है।

दिनांक 23 फरवरी 1976

सं० ए०-38013/1/75-ई० सी०—निवर्तन आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर नियंत्रक संचार, वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय मे श्री सी० एल० भगु, सहायक संचार अधिकारी ने 31 जनवरी 1976 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

हरबंस लाल कोहली,
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली-110022, दिनांक 18 फरवरी 1976

सं० ए०-19014/85/72-ई० (एच०)—निवर्तन आयु प्राप्त करने पर श्री एस० के० गांगुली ने नागर विमानन विभाग में निदेशक वैमानिक संचार के पद का कार्यभार त्याग दिया तथा 31 जनवरी 1976 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

टी० एस० श्रीनिवासन,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1976

सं० ए०-12032/5/75-ई० ए०—श्री जी०एस० बटुरा सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली ने 29 दिसम्बर, 1975 के अपराह्न से सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया।

चित्तरंजन कुमार वत्स,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

पटना, दिनांक 10 फरवरी 1976

मि० सं० 11(7) 5-स्था०/75/1589—स्थापना आदेश सं० 442/75 दिनांक 6-12-75 जो मि० सं० 11(3) 43-स्था०/73/एल०/75256-84 दिनांक 9-12-75 द्वारा पृष्ठांकित किया गया तथा जिसके द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, निरीक्षक (व० श्रे०) केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 तथा नियमान्तर्गत देय सामान्य भत्तो के सहित के वेतनमान में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, द्वितीय श्रेणी के रूप मे स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, के अनुसरण मे श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद (निवारण) धनबाद के रूप में दिनांक 1-1-76 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 20 फरवरी 1976

मि० सं० 11(7) 5-स्था०/75/1788—इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 410/75 दिनांक 4-11-75 जो मि० सं० 11(3) 43-स्था०/73/लुज०/63725-47 दिनांक 5-11-75, द्वारा पृष्ठांकित किया गया तथा जिसके द्वारा दो निरीक्षक (व० श्रे०), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 तथा नियमान्तर्गत देय सामान्य भत्तों सहित के वेतनमान मे अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, द्वितीय श्रेणी के रूप मे नियुक्ति की गई है। श्री भुदेव नारायण झा, निरीक्षक (व० श्रे०) अधीक्षक, द्वितीय श्रेणी, केन्द्रीय उत्पाद, बांकीपुर रेंज, पटना, के रूप में दिनांक 12-1-76 के अपराह्न में कार्यभार ग्रहण किया।

हरि नारायण साहु,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,
पटना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय,

इलाहाबाद, दिनांक 13 फरवरी 1976

सं० 11/1976—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय मुख्यालय, इलाहाबाद मे तैनात श्री बैजनाथ प्रसाद स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी (मुख्यालय) ने दिनांक 31-1-1976 को (दोपहर के बाद) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय के मुख्यालय, इलाहाबाद मे प्रशासन अधिकारी (मुख्यालय) के कार्यालय का कार्यभार श्री धर्म किशोर सक्सेना सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, मुख्यालय, इलाहाबाद को सौंप दिया और वे उसी तारीख और समय से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

एच० बी० दास
समाहर्ता

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1976

सं० क-32012/9/75-प्रशासन पांच—विभागीय पदोन्नति समिति (श्रेणी-दो) की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री सी० जी० देशपांडे, अनुसंधान सहायक को केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो० -35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान मे नियमित रूप से स्थानापन्न होने के लिए उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि तथा समय से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते है।

2. श्री देशपांडे केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना मे सहायक अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी) के संबंध मे अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

के० पी० वी० मेनन,
अवर सचिव,
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 18 फरवरी 1976

सं० 3-307/73-सी० एच० (ई०) :—डा० एल० वेंकटारत्नम सहायक भू रसायनिज्ञ, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पश्चिम उत्तर क्षेत्र, चण्डीगढ का त्याग पत्र दिनांक 28-11-75 (अपराह्न) से स्वीकार किया गया है।

सं० 3-294/73-सी० एच० (ई०) :—श्री आर० एस० लीहीपाण्डेय सहायक जल भू विज्ञानी केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जिला यूनिट, त्रिवेन्द्रम का त्याग पत्र जो उन्होंने अपने पत्र सं० आर० एस० एल० / आर०-जे० एम० एस०/सी० जी० डब्ल्यू० बी०/ 75-2 दिनांक 15-12-75 दिया। दिनांक 19-1-76 (अपराह्न) से स्वीकार किया गया है।

दिनांक 19 फरवरी 1976

सं० 3-420/75-सी० एच० (ई०) :—श्री जे० के० वर्मा को सहायक जल भू विज्ञानी वर्ग-II (राजपत्रित) के अन्तर्गत वेतनमान 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000 -ई० बी०-40-1200 पर अस्थाई रूप से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में उनके मुख्यालय गोहाटी के साथ दिनांक 20-1-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

सं० 3-414/75-सी० एच० (ई०) :—डा० आत्माराम पाडेय को सहायक जल भू विज्ञानी वर्ग-II (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में उनके मुख्यालय अहमदाबाद के साथ दिनांक 22-11-75 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

सं० 3-411/75-सी० एच० (ई०) :—श्री अजेय कुमार मिश्रा को सहायक जल भू विज्ञानी वर्ग-II (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में उनके मुख्यालय कलकत्ता के साथ दिनांक 30-12-75 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

बी० के० बवेजा, मुख्य जल-भू विज्ञानी

सवारी डिब्बा कारखाना

महाप्रबन्धक का कार्यालय

मद्रास, दिनांक 23 फरवरी, 1976

सं० का० शा० /रा० सा० /9/ विविध II:—श्री एम० डी० खाजा मोहिद्दीन, मुख्य अभिकल्प सहायक (श्रेणी III) को स्थानापन्न रूप से श्रेणी III सेवा में सहायक यांत्रिक इंजीनियर / जिग व टूल के रूप में दिनांक 16-1-76 से 7-2-1976 तक तदर्थ रूप से पदोन्नति की गयी है।

श्री एस० शंकरलिंगम, स्थानापन्न निर्माण प्रबंधक/बिजली (व० मा०) (तदर्थ) को दिनांक 24-1-76 के अपराह्न से अस्थाई सहायक बिजली इंजीनियर/ निर्माण के रूप में रिवर्ट किया गया है।

श्री पी० आर० नारायणन, स्थानापन्न उत्पादन इंजीनियर/ प्रगति/ फर्निसिंग (व० मा०) (तदर्थ) को श्रेणी II सेवा में 7-2-1976 के अपराह्न से प्रत्यावर्तित किया गया है।

एस० सुब्रमणियन, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते महा प्रबन्धक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1976

सं० 4 —पृष्ठांकन संख्या 752-ई/104-11 (ई/ए) दिनांक 24-9-71 के अन्तर्गत प्रसारित उत्तर रेलवे की 18-9-71 की अधिसूचना संख्या 142 के अनुसार 1-1-1966 से दर्जा II की सेवा में अनन्तिम रूप से स्थायी किये गये निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारियों को उसी तारीख से अन्तिम रूप से सहायक चिकित्सा अधिकारी के रूप में स्थाई कर दिया गया है :—

1. डा० जी० सी० चन्द्रा
2. डा० जे० सी० सलूजा
3. डा० डी० एन० चक्रवर्ती
4. डा० आर० सी० मित्रा
5. डा० एस० के० गांगुली
6. डा० डी० आर० राव
7. डा० ए० एन० बोस
8. डा० मनोरंजन सैन
9. डा० एस० डी० एन० सिन्हा
10. डा० एस० सी० पी० वर्मा
11. डा० जे० एन० मेहता
12. डा० पी० सी० चक्रवर्ती
13. डा० पी० डी० चटर्जी
14. डा० के० एल० मुखर्जी
15. डा० एस० जी० बसु
16. डा० बी० झा
17. डा० एस० आर० चक्रवर्ती
18. डा० ए० घोष
19. डा० एन० एन० बसु
20. डा० डी० डी० बनर्जी
21. डा० सुकुमार मंडल
22. डा० के० सी० सूत्रधार
23. डा० के० सी० दास गुप्ता
24. डा० बी० के० चन्द्रा
25. डा० के० सी० मोदक
26. डा० अरुण कुमार
27. डा० एस० पी० बसु
28. डा० निरषद सन्तरा
29. डा० (श्रीमती) एस० श्रीवास्तवा
30. डा० एम० एन० माथुर

31. डा० जे० एस० खालसा
32. डा० एन० के० वर्मा
33. डा० वी० पी० जैन
34. डा० एस० एन० पी० अग्रवाल
35. डा० सी० एम० मुखर्जी
36. डा० एस० राउत
37. डा० एम० एम० गौरी
38. डा० एस० डे
39. डा० एम० आई० खान
40. डा० एम० एम० छवेरिया
41. डा० ए० के० घोष
42. डा० जी० एस० सक्सैना
43. डा० ओ० पी० गोयल
44. डा० आर० पी० माथुर
45. डा० एन० के० कोहली
46. डा० एस० सी० श्रीवास्तव
47. डा० जे० पी० सिंह
48. डा० के० एन० गुप्ता
49. डा० प्रेम प्रकाश
50. डा० शमशाद अली
51. डा० एस० एन० अग्रवाल
52. डा० (श्रीमती) एम० एल० खान
53. डा० एल० आर० मुंजल
54. डा० वी० के० संध्या
55. डा० एस० पी० कोहली
56. डा० एस० पी० आहूजा
57. डा० बी० डी० घोष
58. डा० ओ० पी० मित्तल
59. डा० ए० पी० अरोड़ा
60. डा० (श्रीमती) एस० सलूजा
61. डा० एच० पी० राजमलानी
62. डा० ए० के० जौली
63. डा० एस० एस० एस० सिंघल
64. डा० टी० एन० महरोत्रा
65. डा० एम० एल० दीवान
66. डा० एम० बी० सिंह
67. डा० एम० सी० गुप्ता
68. डा० (श्रीमती) ऊषा गोयल
69. डा० एस० एम० गोविल
70. डा० कुलवन्त राय
71. डा० वी० के० वर्मा
72. डा० के० सी० मिश्र
73. डा० वाई० मान सिंह
74. डा० (श्रीमती) एस० मल्होत्रा
75. डा० राजेन्द्र पाल
76. डा० राजकुमार
77. डा० एस० एन० श्रीवास्तव
78. डा० (श्रीमती) के० राजकुमार
79. डा० (श्रीमती) सतोष शर्मा
80. डा० एस० सी० गुप्ता
81. डा० आर० एन० माथुर
82. डा० ए० के० बोस
83. डा० (श्रीमती) एल० डी० तहिलियानी
84. डा० राम देवानानी
85. डा० ओ० पी० शर्मा
86. डा० एस० के० कपूर
87. डा० जगदीश राज
88. डा० आर० एन० शर्मा
89. डा० बी० पी० श्रीवास्तव
90. डा० जे० एस० बठला
91. डा० आर० के० गोस्वामी
92. डा० शशी वर्मा
93. डा० (श्रीमती) सी० जे० गर्ग
94. डा० (श्रीमती) रश्मी गोयल

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम सामने दी गयी तारीख से इस रेलवे पर दर्जा II की सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के रूप में अनन्तिम रूप से स्थाई किया गया है :—

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम	अनन्तिम रूप से स्थाई करने की तारीख
1.	डा० चिम्मन लाल	15-8-73
2.	डा० एम० एम० बनर्जी	1-4-73

वेद प्रकाश साहनी,
महा प्रबन्धक

कम्पनी कार्य विभाग

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 मेहर पब्लिकेशंस (आन्ध्रा) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 17 फरवरी 1976

सं० 524 टी० (560) :—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेहर पब्लिकेशंस (आन्ध्रा) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 सिटरस प्रॉडक्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 17 फरवरी 1976

सं० 1162 (560) टी० :—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर सिटरस

प्रॉडेक्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

ओमप्रकाश जैन
कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 और नेलै वीनस्प लिमिटेड (इन लिक्डेशन) लिमिटेड के विषय में ।

दिनांक 13 फरवरी 1976

सं० 1919/लिख/ एस० 560 (5) /75 :—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेलै वीनस लिमिटेड (इन लिक्डेशन) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

पी० अन्नपूर्ना
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं नरकाटियागंज शुगर मिल्स लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनांक 21 फरवरी 1976

सं० 16454 (560) (3) :—कम्पनी अधिनियम, 1956 और नरकाटियागंज शुगर मिल्स लिमिटेड के विषय में ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नरकाटियागंज शुगर मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एस० नारायणन
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और भरतपुर डेरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

जयपुर, दिनांक 23 फरवरी 1976

संख्या—सांख्यिकी/1198/ :—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महिने के अवसान पर भरतपुर डेरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अग्रवाल एग्रो इण्डस्ट्रीयल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

जयपुर, दिनांक 23 फरवरी 1976

संख्या-सांख्यिकी/1341 :—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महिने के अवसान पर अग्रवाल एग्रो इण्डस्ट्रीयल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नही किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

रामदयाल कूरील
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय आयकर आयुक्त, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1976

आयकर

फ० सं० जुरि-दिल्ली/2/75-76/40753 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में जारी किए गए पिछले सभी आदेश/ अधिसूचनाओं में संशोधन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली निदेश देते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या के वर्गों और मामले या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे । इनमें वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग, मामले या मामलों के वर्ग शामिल नहीं होंगे तो उक्त अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत किसी अन्य आयकर अधिकारी को सौंपे गए हों या इसके बाद सौंपे जाये :—

क्र सं०	आयकर अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3
1.	आयकर अधिकारी ठेकेदार सर्किल वार्ड 'ए' नई दिल्ली	क /ऐसे सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग, मामले या मामलों के वर्ग जो आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल, दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र में आते हों तथा जिनके नाम अंग्रेजी के 'ए' से 'एम' (दोनों अक्षरों को छोड़कर) अक्षर के अन्तर्गत हो ।

1	2	3
		ख /ऊपर मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।
2.	आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल वार्ड 'बी' नई दिल्ली	क/ ऐसे सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग तथा मामले या मामलों के वर्ग जो ठेकेदार सर्किल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आते हो तथा जिनके नाम अंग्रेजी के 'एन' से 'जेड' (दोनों अक्षरों को मिलाकर) अक्षर के अन्तर्गत हो।
		ख/ ऊपर मद (क) के अन्तर्गत आने वाली फर्मों के सभी साझेदार व्यक्ति।
3.	आयकर अधिकारी ठेकेदार सर्किल वार्ड 'सी' नई दिल्ली	ऐसे सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग तथा मामले या मामलों के वर्ग जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 127 अन्तर्गत सौंपे गए हैं।
4.	आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल वार्ड 'डी' नई दिल्ली	ऐसे सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग तथा मामले या मामलों के वर्ग जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए हैं।
5.	आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल वार्ड 'ई' नई दिल्ली	ऐसे सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग तथा मामले या मामलों के वर्ग जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए हैं।

यह अधिसूचना 20-2-76 से लागू होगी।

संख्या जुरि-दिल्ली/2/75-76-40662:—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त दिल्ली-2, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि ठेकेदार सर्किल, दिल्ली में निम्नलिखित वार्ड बनाए जाएंगे :—

1. ठेकेदार सर्किल वार्ड-'ई'। यह आदेश 20-2-76 से लागू होगा।

जगदीश चन्द
आयकर आयुक्त, दिल्ली-22
नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण कार्यालय

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1494—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2728 जून 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री राज गोपाल अलाईस राम गोपाल सुपुत्र रामजी दास सुपुत्र जवान्द लाल वासी विक्रमपुरा, जालन्धर (अन्तरक)

2. श्री कृष्ण लाल सुपुत्र राम लाल सुपुत्र रामचन्द डबल्यू एफ० 145 अली मोहल्ला जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों को, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2728 जून, 1975 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-1976

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 फरवरी, 1976

निदेश सं० ए० बी० आर०/263/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 50 है तथा जो गली नं० 10, न्यू आबादी, आलमगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कपूर सिंह, गुरदेव सिंह सुपुत्रान श्री शेरसिंह सुपुत्र श्री दयाल सिंह वासी गिदड़वाली तहसील फाजिल्का।
(अन्तरक)
2. श्री सोहन लाल सुपुत्र श्री अर्जन दास सुपुत्र श्री तोता राम गली नं० 10, नई आबादी, अबोहर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायेदार, यदि हों।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० 50, गली नं० 10, नई आबादी, आलमगढ़ (अबोहर) जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 973, जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-2-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 फरवरी, 1976

निदेश सं० ए० बी० आर०/264/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, तथा जो गली ज्ञान टाकी वाली अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में, सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मंगत राय सुपुत्र श्री सौदागर चन्द सुपुत्र श्री रोनी राम वासी गली ज्ञान टाकी वाली, अबोहर।
(अन्तरक)
2. श्रीमती प्यारी सिंह सुपुत्री श्री हीरा सिंह सपुत्र श्री भगवाना सिंह, वासी अबोहर ।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 पर है तथा किरायदार यदि हो।
(वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान गली ज्ञान टाकी वाली, अबोहर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 941, जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 21-2-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(ख) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 फरवरी, 1976

निदेश सं० जी० एस० पी०/265/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो नजदीक नौशेरा बहादर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री पृथी सिंह सुपुत्र श्री केसर सिंह सुपुत्र श्री बुध सिंह, गांव नौशेरा।

(अन्तरक)

2. श्री अजीत सिंह, सरदार सिंह, तारा सिंह, वतन सिंह, सुक्खन सिंह, सज्जन सिंह सपुत्रान, श्री नानक सिंह, गांव नौशेरा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायेदार, यदि हों।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2908, जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में है।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 21-2-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 फरवरी, 1976

निदेश सं० जी० एस० पी०/75-76—यतः मुझे वी० आर० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो नजदीक नौशेरा बहादर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्ट्रीकर्ता आधकारी के कार्यालय गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मिनखी तथा पृथी सुपुत्र श्री केसर सिंह सुपुत्र बुध सिंह गांव नौशेरा।

(अन्तरक)

2. श्री अजीत सिंह, सरदार सिंह, तारा सिंह, चनन सिंह, लक्खन सिंह, सखन सिंह सपुत्रान श्री नानक सिंह, गांव नौशेरा। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायेदार, यदि हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2941, जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदास पुर मे है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 21-2-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 6 मार्च, 1976

निदेश सं० बी० टी० डी०/267/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा, रतन नगर गोनिआना रोड, है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. अजिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री गुरचरन सिंह नजदीक पंज रतन होटल गोनिआना रोड, भटिंडा।

(अन्तरक)

2. मैसर्स पंज रत्न होटल, गोनिआना रोड, भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायेदार, यदि हो तो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा रतन नगर गोनिआना रोड, भटिंडा में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1847 जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में लिखा है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 6-3-76
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 6 मार्च, 1976

निदेश सं० बी० टी० डी०/268/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा, रतन नगर, गोनिआना रोड, है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269ख की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. गुरचरन सिंह सपुत्र श्री रतनसिंह नजदीक पंज रत्न होटल गोनिआना रोड भटिंडा (अन्तरक)

2. मैसर्ज पंज रत्न होटल, गोनिआना रोड, भटिंडा। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायेदार, यदि हो तो। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट रत्न नगर, गोनिआना रोड, भटिंडा में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1868 महीना जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा के कार्यालय में लिखा है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 6-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 6 मार्च, 1976

निदेश सं० एम० एण्ड टी०/269/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा, है तथा जो सुरजा राम मार्कीट, मलोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर, अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री जसवंत सिंह सुपुत्र चौधरी हरजी राम मार्फत जसवंत सिंह एण्ड सन्ज, काटन गिनिंग और प्रैसिंग फैक्टरी, अबोहर।

(अन्तरक)

2. श्री आत्मा राम सुपुत्र वेलेती राम, श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री फूल चन्द, श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री राजा राम मार्फत वलायती राम राजा राम कमीशन ऐजेन्ट, सुरजा राम मार्किट, मलोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायेदार, यदि कोई हो।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा, सुरजा राम मारकीट, मलोट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 711 महीना जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट के कार्यालय में लिखा है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 6-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 3 मार्च, 1976

निदेश सं० 1477—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री रामजीदास सुपुत्र जवन्द कुमार एन० डी० 112, विक्रम पुरा, जालन्धर शहर।
(अन्तरक)
2. श्री मती सरस्वती बाई पत्नी श्री राम लाल सुपुत्र श्री रामचन्द डब्ल्यू० एफ०-145, आली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2624, जून 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 3-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज, जालन्धर

दिनांक 3 मार्च 1976

निदेश सं० 1478—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 4041, जुलाई 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सरदारी पत्नी रामजीदास, विकरमपुरा, जालन्धर।
(अन्तरक)

2. श्रीमती सरस्वती बाई, पत्नी राम लाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू एफ-145, अली मोहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4041, जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 3-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 3 मार्च 1976

निदेश सं० 1484—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4044 जुलाई, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री मोहिन्द्र कुमार पुत्र रामजीदास सुपुत्र जीवन्द लाल वासी विक्रमपुरा, जालन्धर।

(अन्तरक)

2 श्री कृष्ण लाल सुपुत्र रामलाल पुत्र रामचन्द डब्ल्यू० एफ-145, अली मोहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3 जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4044 जुलाई 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 3-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1485—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4042, जुलाई, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री प्रताप चन्द पत्नी रामजीदास सुपुत्र जावन्द लाल निवासी विक्रमपुरा, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री रामप्रकाश पुत्र राम लाल पुत्र राम चन्द डब्ल्यू एफ-अली मोहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3 जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4042 जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76
मोहर.

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1486—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 3767, जुलाई, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रशोतम लाल सुपुत्र रामजीदास सुपुत्र जिवन्द लाल वासी नेहरू ग्राउन्ड रोड, जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री राम प्रकाश, बन्सीलाल, कृष्ण लाल, सुपुत्र राम लाल सुपुत्र राम चन्द वासी डब्ल्यू एफ 145, अली मोहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3767 जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनाक 4 मार्च 1976

निदेश स० 1487—यत. मुझे रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे है तथा जो जालन्धर मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1 श्री प्रताप चन्द सुपुत्र श्री रामजी दास सुपुत्र श्री जवन्त लाल निवासी एन० डी०-112, विक्रम पुरा, जालन्धर।
(अन्तरक)

2 श्री रामप्रकाश सुपुत्र श्री राम लाल सुपुत्र श्री राम चन्द डब्ल्यू० एफ-145, आली मुहल्ला जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा नं० 2 मे है ।
(वह व्यक्ति जसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2620, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76
मोहर:

प्ररूप आई०टी०एन०एस०---- --

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1488---यतः मुझे रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री देवराज सुपुत्र श्री जवन्द लाल एन एल-60, बाजार कलां, जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री राम प्रकाश सुपुत्र श्री राम लाल सुपुत्र श्री रामचन्द निवासी डब्ल्यू एफ-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3005, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश स० 1489—यत: मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3006, जून, 1975 तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात

1. हंस रानी अलाइस सरदारो पत्नी देवराज सुपुत्र जवान्द लाल वासी एन एल-60, बजार कला, जालन्धर द्वारा दर्शना पुत्री देवराज पत्नी नरिन्द्र भल्ला

(अन्तरक)

2. सरस्वती बाई पत्नी रामलाल डब्ल्यू एफ 145, अली मोहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3006, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1490—यत मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3004, जून; 1975 में ह तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सरबारो रानी अलाइस हंस रानी पत्नी देवराज सुपुत्र जवन्दलाल वासी एन एल 60, बजार कलां, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्णलाल सुपुत्र राम लाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू एफ 145, अली मुहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3004, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनाक 4 मार्च, 1976

निदेश स० 1491—यत: मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3036, जून, 1975 मे है तथा जो जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तया पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिये;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात :—

1. उमा पुत्नी देवराज सुपुत्र जवन्दलाल मोहल्ला, माहली गेट, फगवाड़ा, ।

(अन्तरक)

2 श्री बन्सी लाल सुपुत्र रामलाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यु एफ-145, अली मूहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 मे है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3036, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, जालन्धर

तारीख : 4-3-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1492—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 3037, जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. दविन्द्र कुमार सुपुत्र देवराज सुपुत्र जवान्द लाल एन एल-60 बजार कलां, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री राम प्रकाश सुपुत्र रामलाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू एफ़-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3037, जुन, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-3-76

मोहर :

प्रारूप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1493---यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2729, जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. प्रतापचन्द सुपुत्र रामजीदास सुपुत्र जवान्दलाल एन जी० 112, विक्रम पुरा, जालन्धर।
(अन्तरक)

2. श्री रामप्रकाश सुपुत्र रामलाल डब्ल्यु एफ-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)

3 जैसा कि नं० 2 मे है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2729, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-3-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1495---यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3038, जून 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हंसरानी अलाइस सरदारो पत्नी देवराज सुपुत्र जवन्दलाल, एन एल-60, बजार कलाँ, जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्रीमती सरस्वती बाई पत्नी रामलाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू एफ-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति म रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसाकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3038, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर म लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-3-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1496—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3142 जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री उमा सुपुत्र देवराज सुपुत्र जवान्दलाल
मोहली गेट, फगवाड़ा ।
(अन्तरक)

2. श्री बन्सी लाल सुपुत्र रामलाल सुपुत्र रामचन्द
डब्ल्यू एफ-145, अली मुहल्ला, जालन्धर ।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3142, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-3-76
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1497—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दी है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपसे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सरदारो रानी अलाईस हंस रानी सुपुत्री देवराज सुपुत्र श्री जवन्द लाल, एन० एल०-60, बाजार कलां, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्णलाल सुपुत्र राम लाल सुपुत्र श्री राम चन्द डब्ल्यू० एफ०-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3039 जून; 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1498—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3040, जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हंसरानी अलाईस सरदारो रानी विधवा श्री देवराज सुपुत्र जवान्दलाल वासी एन० एल०-60, बजार कलां, जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री बन्सीलाल सुपुत्र राम लाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू एफ० 145 अली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3040 जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1499—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3041, जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जगदीश कुमार सुपुत्र देवराज सुपुत्र जवाल्व लाल एन० एल०-60, बजार कला, जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री बन्सी लाल सुपुत्र रामलाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू० एफ०-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तिरती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हित बद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3041, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० ए० पी०-1500—यत: मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती हुंकरानी अलाईस सरदारो रानी विधवा श्री देवराज सुपुत्र श्री जवन्दलाल निवासी, एन० एल०-60, बाजार कलां, जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री रामप्रकाश, बन्सीलाल, कृष्णलाल, सुपुत्र श्री रामलाल सुपुत्र श्री राम चन्द निवासी डब्ल्यू० एफ०-145, अली मुहल्ला, जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3141, जून 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 4-3-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1501——यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3140, जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1 श्री जगदीश कुमार सुपुत्र देवराज सुपुत्र जवान्दल,ल एन० एल०-60, बजार कलां, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री बन्सी लाल सुपुत्र राम लाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू० एफ०-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3140, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 4-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर
जालन्धर, दिनांक 4 मार्च, 1976

निदेश सं० 1502—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेखों सं० 2618 जून 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजगोपाल अलाईस राम गोपाल सुपुत्र रामजीदास सुपुत्र जवान्दलाल, एन० डी०-112, विक्रमपुरा, जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री कृष्ण लाल सुपुत्र राम लाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू० एफ०-145, अली मुहल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
(4) कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2618 जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख. 4-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० 1503—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2727, जून, 1975 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, जन, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मोहिन्द्र कुमार सुपुत्र रामजीदास सुपुत्र जवान्दलाल वासी एन० डी०-112, विक्रमपुरा, जालधर। (अन्तरक)

2. श्रीमती सरस्वती बाई विधवा श्री रामलाल सुपुत्र रामचन्द डब्ल्यू एफ-145, अली महल्ला, जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2727, जून, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकार
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालधर

तारीख: 4-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-III/जुलाई-1/883 (42)/75-76/—अतः मुझे, चं० वि० गुप्ते, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० डब्ल्यू०-25 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० डी० एल० एफ० यूनाईटेड लि०, 40-एफ० कनाट पलैस, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. मैं० मोहता काटन मिल्स (प्रा०) लि०, 59, गोलफ लिकस, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट की भूमि जिसका नं० 25, ब्लाक नं० 'डब्ल्यू०' है, क्षेत्रफल 1528 वर्ग गज है, जोकि निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली के बाहापुर गांव, दिल्ली की यूनियन टैरीटरी में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लाट नं० डब्ल्यू०-27
पश्चिम : प्लाट नं० डब्ल्यू०-27
उत्तर : सड़क
दक्षिण : अन्य की भूमि

चं० वि० गुप्ते,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज , दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 26-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/ अक्तूबर-1 (15)/975/75-76—यतः मुझे, चं० वि० गुप्ते, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4-ई है तथा जो कनाट पलैस, नई दिल्ली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 10-10-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत के अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मै० भोला नाथ एण्ड ब्रदर्स (एस० यू० एफ०), के द्वारा मै० भोला नाथ ब्रदर्स ज्वैलरस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. मै० लाल चन्द हर नारायण एण्ड अमर चन्द सेठ, 4-ई०, कनाट पलेस, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. मै० रघु मल एण्ड सन्स, दिल्ली (2) मै० देना बैंक (3) मै० आनन्द फाइनैन्स (प्रा०) लि० (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लीजहोल्ड भूमि पर बनी दुकान जिसका नं० 4, फ्लैट नं० 9, ब्लाक नं० 'ई०' है, कनाट पलेस, नई दिल्ली मे, है। जिसमे एक साझा जीना जोकि इस जायदाद और मूल चन्द ट्रस्ट या इसके हिस्सेदारो के बीच प्रयोग किया जाता है, उन सभी अधिकारो सहित निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : साझा रास्ता कनाट हाउस, विक्रेता की जायदाद तथा जायदाद जोकि बेची गई जायदाद के बीच।

पश्चिम : कनाट पलेस, मुख्य सड़क

दक्षिण : साझा दिवार एल० नारायण दत्त ठेकेदार, या इनके हिस्सेदार के बीच

उत्तर : साझा दिवार तथा सीढ़ीयां मूल चन्द की जायदाद या इसके हिस्सेदारों के बीच।

चं० वि० गुप्ते,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, दिल्ली, नई दिल्ली 1

तारीख : 26-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-I दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1 /एस० आर०-III/ अगस्त 1/75-76—अतः मुझे, चं० वि० गुप्ते, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० एस०-222 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-8-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० डी० एल० एफ० यूनाईटिड लि०, 40-एफ०, कनाट पलैस, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती कमलेश कपूर, पत्नी श्री एस० के० कपूर, द्वारा आर० चौपड़ा एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, डी० बी० रोड़, बटाला (पंजाब) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट की भूमि का टुकड़ा जिसका नं० 222, ब्लाक नं० 'एस०' है, और क्षेत्रफल 454 वर्ग गज है, निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली के बाहापुर गांव, दिल्ली की यूनियन टैरीटरी में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व :	सर्विस लेन
पश्चिम :	सड़क
उत्तर :	प्लाट नं० एस०-220
दक्षिण :	प्लाट नं० एस०-224

चं० वि० गुप्ते,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
[अर्जन रेंज I, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 26-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०- /जुलाई II—/(38)900/75-76—अतः मुझे, चं० वि० गुप्ते, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ई-263 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-7-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पताशो देवी, पत्नी चं० चेत सिंह, निवासी मकान नं० 1876, गुरुद्वारा रोड़, कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती चन्द्र मोहीनी निगम, पत्नी डा० इन्द्रेशवर निगम, निवासी ई-263, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट की भूमि पर बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 215 वर्ग गज है, और नं० 263, ब्लाक नं० 'ई०' है निवासी कालौनी गेटर कैलाश-1, नई दिल्ली के याक्वत गांव, दिल्ली की यूनियन टैरीटरी में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : प्लाट नं० ई-261
उत्तर : रोड़
दक्षिण : सर्विस रोड़

चं० वि० गुप्ते,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 26-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/2085/1083/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सी०-32 है तथा जो चिनीओत बस्ती, पहाड़गंज, मुलतानी डान्डा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कृष्ण लाल खन्ना, सुपुत्र श्री बहादुर चन्द खन्ना, निवासी 4/94, रामेश नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमती जनक रानी, पत्नी श्री रघवीर लाल शर्मा निवासी सी-32, चिनीओत बस्ती, मुलतानी डान्डा, पहाड़ गंज, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जो 100 वर्ग गज क्षेत्रफल प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० सी-32 है, चिनीओत बस्ती, मुलतानी डान्डा, पहाड़गंज, नई दिल्ली में है।

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 19-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1084/2195/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 17-सी० है तथा जो भाबु कालोनी फीलमिस्तान के पास, माडल बस्ती, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती राम माला देवी (2) श्री सतीश कुमार (3) श्री शैलेन्द्र कुमार (नाबालिग) (4) कुमारी सीमा रानी (नाबालिग) दोनों श्रीमती राम माला देवी (प्राकृतिक संरक्षक) के द्वारा, निवासी 4578, डिप्टी गंज, सदर बजार, दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री राधे मोहन गोयल (2) श्री बृज मोहन गोयल, सुपुत्र श्री बाबु राम गोयल, निवासी 32, मनोहर मार्किट, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका नं० 17-सी० है, और क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, भाबु लाल कालौनी के अन्दर, फीलमिस्तान सिनेमा के पास, माडल बस्ती नई दिल्ली में है। यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व :	प्लाट नं० 17-डी
पश्चिम :	प्लाट नं० 17-बी
उत्तर :	60′ चौड़ी सड़क
दक्षिण :	15′ चौड़ी सड़क

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 19-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1085/2101/75-76—अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 65 से 85 है तथा जो चौक कूतब रोड, सदर बाजार, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री कृष्ण मोहन बिजली, सुपुत्र श्री सैन दास मेहरा उर्फ बिजली पहलवान, (2) श्रीमती सन्धुरो रानी, पत्नी श्री० कृष्ण मोहन बिजली, निवासी 31-32, न्यू रोहतक रोड़ नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती राम पियारी, पत्नी श्री गियान चन्द (2) श्री गियान चन्द, सुपुत्र श्री एल० हंस राज, निवासी मकान नं० 8, पंजाबी मकान, नैनी, अलाहाबाद (यू० पी०) (3) श्री हरी शंकर, सुपुत्र श्री कस्तूरी लाल, निवासी 73, राजा गार्डन, नई दिल्ली (4) श्रीमती राज रानी, पत्नी श्री कस्तूरी लाल (5) श्रीमती कमला बिग, पत्नी श्री बृज मोहन, निवासी टी०-438, अहाता किदारा, दिल्ली (6) श्री सतीश लाल, सुपुत्र श्री हरी चन्द, निवासी एफ०-55, मलका गंज, दिल्ली। (अन्तरिती)

जैसा कि अनुसूची में दिया गया है (वह व्यक्ति जिसके अधि भोग में सम्पत्ति है)

किरायदारों के नाम (निम्न स्तर)	दुकान नं०
1. मै० बलदेव सिंह एण्ड सन्स	65
2. मै० बाटा इन्डिया लि०	66-67
3. मै० बन्सी लाल रोशन लाल	68
4. मै० नरेन्द्र कुमार अशोक कुमार	69
5. मै० सीता राम किदार नाथ	70-71
6. मै० अमर नाथ वर्मा एण्ड कं०	72-73
7. श्री जोगिन्द्र सिंह	75
8. मै० स्टार लाईट हाउस	75
9 मै० शादी लाल जैन	76
10. मै० फरान्टीअर क्राकरी हाउस	77
11. मै० मोहन प्रकाश स्वर्ण कुमार	82
12. मै० दिल्ली ग्लास हाउस	80-81
13. मै० जयाना ब्राच कं० गाडओन	78-79
14. मै० कृष्ण लाल हरबंस लाल	
15. मै० आर० एस० मुख राज	83
16. मै० सैंटी जरनल स्टोर	84
17. म० बोम्बे ग्लास हाउस पहली मंजिल	85
18. मै० ए० दास एण्ड कं०	74
19. श्री दुर्गा दास नायर	
20. मै० मलीक ट्रेडीग कं०	
21. एच० इन्द्र सिंह	
22. मै० प्रदीप कैवल कं०	
23. मै० मंगत राम एण्ड सन्स	
24. श्री चन्द्र भान	

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दुमंजिला मकान जिसका क्षेत्रफल 6110 वर्ग गज है और म्यूनसिपल नं० 65 से 85 है, चौक कूतब रोड़, सदर बजार, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :

पूर्व :	अन्य की जायदाद
पश्चिम :	रस्ता मण्डी पान
उत्तर :	रोड़
दक्षिण :	लाला चन्न लाल के कब्जे का अहाता।

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 21-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1086/75-76/

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बी०-2 है तथा जो ईस्ट आजाद नगर, शाहदरा इलाका, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में, वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती तेज कौर पत्नी श्री० दीदार सिंह, निवासी बी०-2 ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली-51 (अन्तरक)

2. श्री वास देव मनखण्ड, सुपुत्र श्री शादी राम मनखण्ड, द्वारा स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर, कृष्ण नगर, दिल्ली-51 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 107.5 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० बी०-2 है, ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली में है । यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व :	प्लाट नं० बी०-2 का भाग
पश्चिम :	प्लाट नं० 2-ए
उत्तर :	रोड़
दक्षिण :	प्लाट नं० 2-बी० का भाग

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 27-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II नई दिल्ली-1

4/15 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1087/75-76—

अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० म्युनसिपल नं० 1/53 है तथा जो गांव चन्द्रावाली, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री विनोद कुमार जैन, सुपुत्र श्री बसंत लाल जैन (2) श्रीमती बृज किशोरी जैन, पत्नी श्री बसंत लाल जैन (3) श्रीमती कमला देवी जैन, सुपुत्री श्री बसंत लाल जैन, निवासी 1130, गली सनधीयन फाउनटैन, दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमति विमला वती जैन, पत्नी श्री० सत पाल जैन, निवासी एल०/5728, बलबीर नगर, गली नं० 16, शाहदरा, दिल्ली-32 (अन्तरिती)

3. मैं० हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०, पार्लियामैन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली। (वह व्यक्ति जिसके अभिभोग में सम्पति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1030 वर्ग गज है और खसरा नं० 2828/977/439 2952/980/400, 1967/978/439 तथा 1971/979/440 है, मुन्यसिपल नं० 1/53 है, जोकि राजस्व राज्य के गांव चन्द्रावला बनाम शाहदरा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : अन्य की जायदाद
पश्चिम : अन्य बिल्डिंग
उत्तर : जी० टी० रोड़
दक्षिण : जैन समाज की जायदाद

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 27-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/एस० आर०-II/अक्तूबर/1062 (20)/75-76—अतः मुझे एस० सी० पारीजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० जे०-7/70 का 1/3 भाग राजौरी गार्डन, दिल्ली है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-10-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण पर हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दलीप सिंह, सुपुत्र एस० जसवन्त सिंह, निवासी जे-7/70, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्री खेम चन्द माथला सुपुत्र श्री टोपन दास माथला, द्वारा मै० खेम चन्द माथला, निवासी 506, बरतन मार्किट, सदर बजार, दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला का 1/3 भाग जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट पर बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज है, और नं० जे० 7/70 है, राजौरी गार्डन, ततारपुर गांव के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सर्विस रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : प्लाट नं० जे-711 पर मकान
दक्षिण : प्लाट नं० 7/69 पर मकान

एस० सी० पारीजा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 28-2-1976
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III दिल्ली-1
4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1976

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्यु०/III/एस० आर०-II/अक्तूबर/1061 (19)/75-76—अत मुझे एस० सी० पारीजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जे०-27/70 का 1/3 भाग है तथा जो राजौरी गार्डन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-10-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री कुलविन्द्र सिंह, सुपुत्र एस० जसवन्त सिंह निवासी मकान न० 2103, प्रेम नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2 श्री खेम चन्द बाथला, सुपुत्र श्री टोपन दास बाथला, द्वारा मै० खेम चन्द बाथला, निवासी 506 बरतन मार्किट, सदर बाजार, दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान का 1/3 भाग जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट पर बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्गगज है, और नं० जे-70 है, राजौरी गार्डन, ततारपुर गांव के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व :	सर्विस रोड़
पश्चिम	सर्विस लेन
उत्तर :	प्लाट न० जे०-7/71 पर मकान
दक्षिण :	प्लाट न० जे०-7/69 पर मकान

एस० सी० पारीजा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज III दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1976

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्यु०/III/एस० आर०-II/अक्सूबर/1050(18)/75-76—अतः मुझे, एस० सी० पारीजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है
और जिसकी स० जे०-7/70 का 1/3 भाग है तथा जो राजौरी गार्डन, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-10-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमरजीत सिंह, सुपुत्र एस० जसवन्त सिंह, निवासी 2103, प्रेम नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री खेम चन्द माथला, सुपुत्र श्री टोपन दास भाटला, द्वारा मै० खेम चन्द माथला, निवासी 506 बर्तन मार्किट, सदर बाजार, दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान का 1/3 भाग जोकि फीहोल्ड प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० जे० 7/70 है, और क्षेत्रफल 160 वर्ग गज है, राजौरी गार्डन, तसारपुर गांव के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व :	सर्विस रोड़
पश्चिम :	सर्विस लेन
उत्तर :	प्लाट नं० जे-7/70 पर मकान
दक्षिण :	प्लाट नं० जे०-7/69 पर मकान

एस० सी० पारीजा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III दिल्ली-1
4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनाक 28-2-1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु० III/एस० आर०-II/अगस्त/1000 (14)/75-76—अतः मुझे, एस० सी० पारीजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और और जिसकी स० 83 है तथा जो वैस्ट एवैन्यु रोड़, पजाबी बाग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-8-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री अवतार सिंह सेठी, सुपुत्र एस० तेजा सिंह, निवासी 2/39, पंजाबी बाग, दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री ओंकार सिंह, सुपुत्र एस० सरदार सिंह, लिंग रोड़, कटक (उड़ीसा) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट न० डब्ल्यू० ए०/83 का भाग जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, और जोकि पंजाबी बाग, माधोपुर गांव के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लाट न० डब्ल्यू० ए०/83 का हिस्सा, क्षेत्रफल 366.66 वर्ग गज) है, जोकि पृथपाल सिंह को बेचा गया है ।
पश्चिम . विक्रय मार्किट
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : वैस्ट एवैन्यू रोड़

एस० सी० पारीजा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III दिल्ली
नई दिल्ली-1

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज III दिल्ली-1
4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/एस० आर०-III/अगस्त/999 (12)/75-76— अतः मुझे, एस० सी० पारीजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 83 है तथा जो वैस्ट एवेन्यू रोड़ पजाब बाग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-8-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

1. श्री अवतार सिंह सेठी, सुपुत्र एस० तेजा सिंह, निवासी 2/39, पंजाबी बाग, दिल्ली (अन्तरिक)

2. श्री प्रीथपाल सिंह, सुपुत्र एस० सरदार सिंह, निवासी लिन्क रोड़ कटक (उड़ीसा) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० डब्ल्यू० ए०/83 का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 366.66 वर्ग गज है, पंजाबी बाग, मादीपुर गांव के क्षेत्र में, दिल्ली राज्य, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लाट नं० 81
पश्चिम : प्लाट नं० डब्ल्यू० ए०/83 का भाग जोकि श्री ओंकार सिंह को बेचा गया है, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है।
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : वैस्ट एवैन्यू रोड़

एस० सी० पारीजा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III दिल्ली नई दिल्ली

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 4 मार्च 1976

निर्देश सं० आई. ए० सी०/एक्यू० 1/एस० आर०-III/जुलाई-II (4)/886/75-76—अत, मुझे, चं० वि० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 10 है तथा जो पंचशील मार्ग, नई दिल्ली (चाणक्यापुरी) में स्थित है (और इससे उबाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री जे० एस० सहानी, सुपुत्र श्री माया दास सहानी, निवासी 20, अमरीता शेर गिल मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. मै० राजधानी वाणीज्य लि०, हिमालया हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल करीब 2181.6 वर्ग गज है, और जो प्लाट नं० 30, ब्लाक नं० 48 पर स्थित है, उस जगह पर जो दिल्ली की नयी राजधानी बनाने के लिए एक्वायर हुई है, जिसका मुन्यसिपल नं० 10 है, पंचशील मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अर्न्तगम है, जिस पर दुमंजिला मकान, बरसाती, गैरेज तथा नौकरों के मकान है तथा चारो तरफ सीमा दिवार बनी हुई है, जिस की सीमाएं निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लाट नं० 48, नया प्रीमिसीस नं० 11, पचशील मार्ग, नई दिल्ली

पश्चिम : प्लाट नं० 29, ब्लाक नं० 48, नया प्रीमिसीस नं० 9, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली

उत्तर : सर्विस रोड़

दक्षिण : पूर्वी पश्चिमी मुख्य सड़क

चं० वि० गुप्ते,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 4-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनाक 28 फरवरी 1976

निदेश सं० एल० डी० एच०/आर०/1574/75-76—अत. मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० कृषि भूमि 12 कनाल है तथा जो गाव ढडारी कला, तहसील और जिला लुधियाना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्री मघर सिंह पुत्र श्री रत्ना निवासी गांव ढंडारी कला तहसील और जिला लधियाना (अन्तरक)

2 सर्वश्री दर्शन सिह और नछत्तर सिह पुत्र श्री फकीरीया निवासी गाव ढंडारी कला तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क मे यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 12 कनाल जो कि गांव ढंडारी कला, तहसील और जिला लुधियाना मे स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 2600 जून 1975 मे रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, चण्डीगढ

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निदेश सं० एल०डी०एच०/आर०/1573/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि 12 कनाल है तथा जो गाव ढंडारी कला, तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मघर सिंह पुत्र श्री रत्ना निवासी गांव ढंडारी कला तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरक)

2. सर्वश्री गुरदेव सिंह और सुखदेव सिंह पुत्र श्री फकीरीया निवासी गांव ढंडारी कला, तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 12 कनाल जो कि गांव ढंडारी कला तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2579 जून, 1975 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यलय में लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निदेश सं० एल०डी० एच०/आर०/1572/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कोठी नं० 33-बी० है तथा जो विकास नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री दीन दयाल तलवाड़ पुत्र श्री जगन नाथ तलवाड़ निवासी 33-बी, विकास नगर पखोवाल रोड लुधियाना (अन्तरक)

2. श्री संतोख सिंह पुत्र श्री केहर सिंह और श्री केहर सिंह पुत्र श्री बसावा सिंह निवासी विकास नगर पखोवाल रोड, लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं० 33-बी, विकास नगर पखोवाल रोड, लुधियाना (जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1567 जून 1975 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निदेश एल० डी० एच०/सी०/123/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम को, यह प्राधिकारी विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/2 भाग कोठी नं० 43-बी है तथा जो उधम सिंह नगर लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी अन्य की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हीरा नंद डी-2/31, जनक पुरी दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री सोहन लाल भई पुत्र श्री बन्सी राम 301 नीलम बिल्डिंग, सी० फेस रोड बम्बई-37 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति क अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग कोठी नं० 43-बी, जोकि उधम सिंह नगर लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2974, जून 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा;
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निदेश सं० एल० डी० एच०/सी०/122/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 1/2 भाग कोठी नं० 43-बी है तथा जो उधम सिंह नगर लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम सरूप पुत्र श्री हीरा चन्द 43-बी, उधम सिंह नगर, लुधियाना (अन्तरक)

2. श्री सोहन लाल धई पुत्र श्री बन्सी राम 301 नीलम बिल्डिंग सी-प्रेस रोड बम्बई 37 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग कोठी नं० 43-बी, जोकि उधम सिंह नगर लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2973 जून, 1974 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, चण्डीगढ

156 सैक्टर 9-बी

चन्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निदेश स० एल० डी० एच० /सी०/121/75-76—अतः मझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 46-ए है तथा जो इण्डस्ट्रीयल एरिया ए लुधियाना मे स्थित है (और जिससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री तारा चन्द मोहल्ला बन्धिया, लुधियाना (अन्तरक)

2. श्री राम साहिब पुत्र श्री तीर्थ सिंह 54 इण्डस्ट्रीयल पुरिया 'ए' लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 46-ए, जोकि इण्डस्ट्रीयल एरिया 'ए' लुधियाना मे स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2956 जून, 1975 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय मे लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 16-2-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निदेश सं० एल० डी० एच०/सी०/105/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी-/538 है तथा जो मिल्लर गंज, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अर्जन सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह बी-XV/538, मिल्लर गंज लुधियाना (अन्तरक)

2. मै० बी० डी० ट्रेडर्ज मिल्स रोड, लुधियान (अन्तरिती)

1. मैं खुराना कैमीकलज

(i) मै० ओसीसीएटिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

(ii) मै आर० एस० इलेक्ट्रिक एंड जैनरल सटोरज

बी-XV/538, मिल्लर गंज लुधियाना

(वह व्यक्ति, जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी०-XV/538 जोकि मिल्लर गंज लुधियिना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2255 जून 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यलय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख: 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 1976

निर्देश सं० एल० डी० एच०/सी०/15/5/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० (प्लाट क्षेत्रफल 607 वर्गगज है तथा जो टैगोर नगर, स्विल लाईन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री नरिन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज निवासी कूचा कर्ता राम, घास मण्डी लुधियाना (अन्तरक)

2. श्रीमति राज रानी सैहगल पत्नी श्री ओम प्रैस सैहगल निवासी कूचा मलेरी मल 261/1 लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 607 वर्ग गज जोकि टैगोर नगर स्विल लाईनज लुधियाना मे स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2307 जून 1975 मे रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यलय मे लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 28-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1976

निदेश सं० एल० डी० एच०/सी०/80/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्धन रेंज चण्डीगढ़
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 8 कनाल 0 मरले भूमि है तथा जो गांव सुने तहसील जोर जिला लुधियाना में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यलय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री चनन सिंह पुत्र श्री रण सिंह निवासी गांव सुनेत, तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरक)

2. मुख्य अधिकारी कबीर को अप्रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 कनाल 0 मरले भूमि जो कि गांव सुनेत, तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2045, जून, 1975 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 5 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1976

निदेश सं० एल० डी० एच०/सी०/81/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और

जिसकी सं० 8 कनाल 0 मरले भूमि है तथा जो गांव सुनेत लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गांव सुनेत, तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरक)

2 मुख्य अधिकारी कबीर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, गांव सुनेत, तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 कनाल 0 मरले भूमि जोकि गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2452 जून 1975 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 5 मार्च 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1976

निदेश सं० ए०ल० डी० एच०/सी०/82/75-76.—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 3 कनाल 1 11/12 मरले भूमि है तथा जो गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कपूर सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरक)

2. मुख्य अधिकारी कबीर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल 1 11/12 मरले भूमि जोकि गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3009 जून, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 5 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर-9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1976

निदेश सं० एलडीएच/सी/291/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 5 कनाल 7½ मरले भूमि है तथा जो गाव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाज़ार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री चनन सिंह पुत्र श्री रण सिंह, निवासी गाव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना।

(अन्तरक)

2 मुख्य अधिकारी कबीर कोओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड गाव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5 कनाल 7½ मरले भूमि जोकि गाव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3899 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 30-1-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर, 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1976

निदेश सं० एलडीएच/सी/1583/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4 कनाल $9^{11}/_{12}$ मरले भूमि है तथा जो गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सर्वण सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना।

(अन्तरक)

2. मुख्य अधिकारी कबीर कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल $9^{11}/_{12}$ मरले भूमि जोकि गांव सुनेत तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है। (जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख सं० 3446 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 5-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1976

निर्देश सं० एसएनपी/780/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्टरी बिल्डिंग है तथा जो गांव जठेड़ी तहसील व जिला सोनीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था· या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (i) श्री राम निवास मोदी पुत्र श्री नागर मल मोदी
   (ii) श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री केसर देव मोदी
   (iii) श्रीमती उमा देवी मोदी पत्नी श्री राम जीवन मोदी।
   (iv) श्रीमती उषा देवी मोदी पत्नी श्री हरि भगवान मोदी निवासी ई/2/9, माडल टाऊन दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैं० विकट्री रबड़ प्रोडक्टस, 20 वां मील जठेड़ी रोड डाकघर प्रलप सटेडीयम सोनीपत, (हरियाणा) प्रशासन कार्यालय, 41, खान मार्केट, न्यू देहली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फैक्ट्री बिल्डिंग जोकि गाव जठेड़ी तहसील व जिला सोनीपत में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 1217, जून, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सोनीपत के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 5-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,

भुवनेश्वर, दिनांक 27 फरवरी 1976

निर्देश सं० 22/75-76/आईएसी (ए/आर)/बीबीएसआर—

यतः, मुझे जी० बी० यान्द
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं०-5(बी) है, जो भाभानगर (भुवनेश्वर) में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भुवनेश्वर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-7-75
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री बी० के० अमी पुत्र ए० डी अमी
(अन्तरक)

2. श्री ई० बी० पाल पुत्र ई० भारत पाल
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अनुसूची

एक महला मकान भुवनेश्वर का भाभा नगर में स्थित है, जिसकी प्लाट नं० 5(बी) है। यह मकान 19-7-75 तारीख में भुवनेश्वर सबरजिस्ट्रार आफिस में रजिस्ट्रार हुआ, जिसकी डकुमेंट नं० 4591 है।

जी० बी० यान्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

तारीख : 27-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, कानपुर
कानपुर, दिनाक 4 फरवरी 1976

निर्देश स० 851/अर्जन/सहारनपुर/75-76—अत, मुझे एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अत: अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, 'उक्त अधिनियम'. की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

1. श्री लाला अरुण कुमार पुत्र सेठ भगवान दास निवासी अम्बाला रोड सहारनपुर असल बजात खुद व मुख्तार आम मिनजानिब श्रीमती अगगूरी देवी धर्मपत्नी सेठ भगवान दास
(अन्तरक)

2. श्री सुरेन्द्र कुमार मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल मित्तल निवासी मोहल्ला चौन्ताला सहारनपुर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति एक किता प्लाट जिस का क्षेत्र फल 1086 2/3 वर्ग गज नम्बर खसरा 773 सहराई मुतालिका नम्बर, 273 खेवट वाकै शिवपुरी ईदरगाह रोड, जिला सहारनपुर 11,000 रु० मूल्य मे हस्तातरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, कानपुर

तारीख : 4-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 फरवरी 1976

निर्देश सं० 703/अर्जन/गाजियाबाद/75-76/2653—अत: मुझे एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए, और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री बलजीत सिंह पुत्र बरकत सिंह निवासी 4724 रोशना रोड, देहली।

(अन्तरक)

2. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री हरी राम निवासी 302, आकाश दी बिल्डिंग, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध मे कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण --इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति फैक्टरी बिल्डिंग नाम मैसर्स जयपाल उद्योग जो लोनी शाहदरा रोड, लोनी में स्थित है, 1,90,000 रु० मूल्य में हस्तांतरित की गई है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 फरवरी 1976

निर्देश सं० 509/अर्जन/गाजियाबाद/75-76/2654—अतः, मुझे एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1980 का 16) के अधीन, तारीख 14-7-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगदीश चन्द्र मित्तल निवासी 152, गांधीनगर, गाजियाबाद।

(2) श्री शिवचन्दर मित्तल निवासी 109 सरायकोना, बुलन्दशहर।

(3) श्री ओम प्रकाश मित्तल निवासी के० एल-49 कविनगर गाजियाबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी पं० जस्सी राम शर्मा

(2) श्रीमती इन्दुप्रभा पत्नी श्री उमश चन्द शर्मा निवासी मोहल्ला काजीमल डासना गेट, गाजियाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति सालिष एक दो मंजिला मकान (पूर्व मुखी) जो लगभग 250 वर्ग गज क्षेत्र में बना हुआ है जो मोहल्ला पक्की मोरी, गाजियाबाद जिला मरठ मे स्थित है, 72,000 रु० मूल्य में हस्तांन्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनाक 3 फरवरी 1976

निर्देश सं० 838/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2640—अतः, मुझे एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. कुमारी संयोगिता गुप्ता पुत्री स्व० श्री प्रकाश चन्द, गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड, सहारनपुर।

(अन्तरक)

2. मार्डन कोपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सक्रेट्री श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री हरी चन्द निवासी मोहल्ला चौनताला, सहारनपुर :

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 1 की भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलामपुरा) खसरा नम्बर्स 119/2, 3, 4 और 119/8, महल अमीर अहमद मौजा खानआलामपुरा में स्थित है 48,000 रु० मूल्य में हस्तांन्तरित किया गया है।

एफ जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 3-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1976

निर्देश सं० 839/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2641

अतः मुझे एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 'अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. कुमारी मधुलिका गुप्ता पुत्री स्व० श्री प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड, सहारनपुर।

(अन्तरक)

2. मार्डन कोओपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सक्रेट्री श्री त्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द निवासी मोहल्ला, चौनताला, सहारनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 1 की भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलामपुरा) खसरा नम्बर्स 119/4, 5 और 119/8, महल अमीर अहमद मौजा जनकपुरी (खानआलामपुरा) जिला सहारनपुर में स्थित है, 48,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे०बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 4-2-1976
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1976

निदेश सं० 844/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2642--

अतः, मुझे एफ० जे० बहादुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहारपुनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

1. कुमारी मधुलिका गुप्ता पुत्री श्री प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड, सहारनपुर। (अन्तरक)

2. मार्डन कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लिमिटेड, द्वारा सक्रेटरी श्री त्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द निवासी मोहल्ला, चौनताला सहारनपुर। (आन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट न० 4 की भूमि का टूकड़ा जिस का क्षेत्रफल 1200 वर्गगज है और खसरा नम्बर्स 119/2, 3, 4 और 119/बी०, महल अमीर अहमद मौजा खानआलामपुरा सहारनपुर में स्थित है, 30,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1976

निर्देश नं० 845/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2643—

अतः मुझे एफ० जे० बहादुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहारनपुर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुमारी संयोगिता गुप्ता पुत्री स्व० श्री प्रकाश चन्द, निवासी बाजीरिया रोड सहारनपुर। (अन्तरक)

2. मार्डन कोपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सक्रेटरी श्रीत्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द निवासी मोहल्ला चौनताला, सहारनपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 4 की भुमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलम-पुरा) खसरा नम्बर्स 119/2, 3, 4 और 119/बी महल अमीर अहमद मौजा खानआलमपुरा, सहारनपुर में स्थित है, 30,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1976

निर्देश सं० 849/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2644—

अतः, मुझे एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय सहारनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख 22-7-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. कुमारी मधुलिका गुप्ता पुत्री स्व० श्री प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड, सहारनपुर।

(अन्तरक)

2. मार्डन कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा सक्रेटरी श्री त्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द निवासी मोहल्ला, चौनताका , सहारनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 3 की भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो खसरा नम्बर्स 119/3 का 119/बी महल अमीर अहमद मौजा खानआलामपुरा जिला सहारनपुर मे स्थित है, 30,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 फरवरी 1976

निर्देश स० 4850/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2645—अत, मुझे एफ० जे० बहादुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है तथा अनुसूची के अनुसार स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए, और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात —

1 कुमारी सयोगिता गुप्ता पुत्री स्व० प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजौरिया रोड, सहारनपुर (अन्तरक)

2 मार्डन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सेक्रेटरी, श्री त्रिलोक चन्द पुत्र हरी चन्द निवासी मोहल्ला चौनताका, सहारनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के सबध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट न० 3 की भूमि का टूकडा जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलम-पुरा) खसरा न० 119/4 का 119/बी महल अमीर अहमद मौजा खानआलमपुरा सहारनपुर मे स्थित है 30,000 रु० मूल्य मे हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

तारीख : 23—1976
मोहर ·

प्ररूप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 फरवरी 1976

निर्देश सं० 853/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2646---

अतः, मुझे एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो [अनुसूची के अनुसार स्थित है (और उससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य

से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. कुमारी संयोक्ता गुप्ता पुत्री स्व० प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड, सहारनपुर। (अन्तरक)

2. मार्डन कोपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सेक्रेटरी श्री त्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द निवासी मोहल्ला चौनताला, सहारनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 5 जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलमपुरा) खसरा नं० 119/5 का 119/बी महल अमीर अहमद मौजा खानआलमपुरा में स्थित है, 30,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 3-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1976

निर्देश सं० 854/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2647—

अतः, मुझे एफ० जे० बहादुर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. कुमारी मधुलिका गुप्ता पुत्री स्व० श्री प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड सहारनपुर।

(अन्तरक)

2. मार्डन कोपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सेक्रेटरी श्री त्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द महोल्ला चौनताका, सहारनपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 2 की भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलमपुरा) खसरा नं० 119/3 का 119/बी, महल अमीर अहमद मौजा खानआलमपुरा सहारनपुर में स्थित है, 30,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 फरवरी 1976

निर्देश स० 787-ए/अर्जन/सहारनपुर/75-76/2618—

अतः, मुझे एफ० ए० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे उसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर म, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन तारीख 22-7-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269—ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात:—

1 कुमारी मयोगिता गुप्ता पुत्री स्व० श्री प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी बाजोरिया रोड, सहारनपुर।

(अन्तरक)

2, मार्डन कोपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड द्वारा सेक्रेटरी श्री त्रिलोक चन्द पुत्र लाला हरी चन्द निवासी मोहल्ला चौनताला, सहारनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट न० 2 जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है और जो जनकपुरी (खानआलमपुरा) सहारनपुर खसरा न० 119/2, 3, 4 और 119/बी महल अमीर अहमद मौजा खानआलमपुरा मे स्थित है 36,000 रु० मूल्य मे हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख 3-2-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ऐ० सी० एक्वी/भोपाल/75-76—अतः, मुझे वी० के० सिन्हा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है, जो जबलपुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 (i) श्री टोगर सिह पुत्र तरवर सिह
(ii) श्री रघुवर सिह पुत्र मलकन सिह लाघकी चौकी जबलपुर।

(अन्तरक)

2 श्री स्वामी प्रसाद श्रीपारस मलभल अग्रवाल, निवासी कटगी तहसील पाटन जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 4.665 एकड जो कि कटगी गाव पाटन जिला जबलपुर मे स्थित है।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल।

तारीख : 21-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/

अतः, मुझे वी० के० सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है, जो इन्दौर (पिपलया) में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-7-75 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हबीब पुत्र अब्दुल, निवासी 177 आजाद नगर, इन्दौर।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री विश्वनाथ आचार्य, निवासी 54 रूप राम नगर कालोनी इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 6.66 एकड़ जो कि पिपलया हाना गांव इन्दौर में स्थित है।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 21-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी/भोपाल/76-77/— अतः, मुझे वी० के० सिन्हा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० मकान है, जो जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम का दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री ए० वी० सिन्हा 1407, 51/25 नेपियर टाउन, जबलपुर।

(अन्तरक)

2. श्री राम नाथ पांडे पुत्र श्री जय नारायण पांडे, बारसपुर गोपीगंज, वाराणसी 9942 प्रेम नगर, मदन महल वार्ड नागपुर रोड़, जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(मकान) तीन ब्लाक नम्बर 1140, 1141, और 1142 जो कि मदन महल वार्ड, जबलपुर में स्थित है।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 21-2-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी/भोपाल/76-77/—

अतः, मुझे वी० के० सिन्हा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो जमाई छिन्दवाड़ा मे स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रताप सिंह पुत्र श्रीपिछोरा सिंह सिपाल, मेलसव स्कोयर, नागपुर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती कान्ता सिंह पत्नी श्री तेवीन्दर सिंह निवासी अनीत फ्लेट कोलफील्ड वेलफेयर हास्पिटल जमाई, छिन्दवाणा,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जिसकी माप 42′ × 42′ वर्ग फुट जो कि जमाई तहसील, छिन्दवाणा मे स्थित है।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 21-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी/भोपाल/76-77/— अतः, मुझे वी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० कृषि भूमि है, जो नोंगज, ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-8-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उससे बचने में सुविधा करना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री श्रीधर लाल पुत्र नारायणदास जी सिंधी, श्री नानक राम पुत्र शीतलदास जी दयानी, मुखतीयार श्री भगवानदास पुत्र शीतलदास दयानी निवासी दौलत गंज, लश्कर, ग्वालियर द्वारा हेमनदास बुक सेलर जलामा सिंह की गोठ-टोपी बाजार, लश्कर, डा० नानक राम पुत्र शीतल दास दयानी, जनता बचत योजना, निवासी सरस्वती प्रकाशन के सामने, नईम रोड भोपाल ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री रूस्तम सिंह पुत्र राम चरण एडवोकेट दुर्गा कालोनी, दालबजार लश्कर, ग्वालियर

(2) श्री रामजी दास पुत्र रतन लाल रनिंग फ्लोर मिल छतरी बाजार लश्कर, ग्वालियर।

(3) श्री नारायण दास पुत्र विश्म्भर दयाल सिंह तेली वाड़ा, नया बाजार लश्कर, ग्वालियर।

(4) श्री प्रकाश सिंह पुत्र विश्म्भर दयाल सिंह, कन्डकटर, एम० पी० रोडवेज शिवपुरी।

(5) श्री काशीराम पुत्र लाल चन्द निवासी लश्कर, ग्वालियर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त-अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 86 बीघा 7 बिस्वा जो कि नोंगज ग्वालियर में स्थित है।

वी० के० सिंहा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 21-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 फरवरी 1976

निदेश न० 285/ए० सी० क्यू० 23-634/6-2-/75-76 — अत: मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० बडोदा कस्बा स० न० 532 प्लाट न० 72 है, तथा जो विश्वास कालोनी के पीछे जेतलपुर रोड अलकापुरी, बडोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बडोदा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 31-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुनीत कुमार हीरालाल शाह
श्री मुकेश कुमार हीरालाल शाह
श्री हीरालाल चुनी लाल शाह
नूतन भारत सोसायटी, अलकापुरी के पास बडोदा।
(अन्तरक)

(2) श्री कृष्णकान्त जयन्ती लाल पटेल, श्रीमती ज्योतिबेन मनहरभाई पटेल, घंटी पोल, वाडी, बडोदा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बडोदा कस्बा स न० 532 प्लाट न० 72 पर 5085 वर्गफुट खुली जमीन जो अलकापुरी, विश्वास कालोनी के पीछे, जेतलपुर रोड बडोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बडोदा-II के जुलाई, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4128 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख 7-2-1976
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 फरवरी 1976

निदेश नं० 286/ए० सी० क्यू० 23-635/19-8/75-76 — अतः मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० वार्ड नं० 1 नोंध नं० 3377 और 3378 पैकी जमीन है, तथा जो काजी मैदान, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री पुरुसेन पानाचन्द जवेरी,
श्री रमेश चन्द पानाचन्द जवेरी,
अशोकभाई पानाचन्द जवेरी,
497, सरदार बल्लभभाई पटेल रोड, रूपराज, बम्बई-4

(अन्तरक)

(2) विमल एपार्टमेन्टस को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि० की ओर से
चेयरमेन:—जयन्ती लाल मफत लाल शाह, वानिया शेरी, महीदरपुरा, सूरत
सेक्रेटरी :—श्रीमति मालविका विजयकुमार शाह विमल एपार्टमेन्टस, गोपीपुरा, काजी मैदान सूरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 3377 और 3378 और कुल माप क्रमशः 87 और 121 वर्ग गज है तथा जो वार्ड नं० 1 काजी मैदान गोपीपुरा सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के जुलाई, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3150 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 6-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज -II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 16 फरवरी 1976

निदेश सं० 287/ए० सी० क्यू० 23-636/6-1/75-76:- अतः मुझे पी०एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 732 है, जो साधना नगर सोसायटी के पास कारेलीबाग, बड़ोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) डा० सुमंत लाल मोती लाल मोदीखाना रोड, जुबिलीबाग के पीछे बड़ोदा।

(अन्तरक)

(2) श्री मणीलाल छोटा लाल परीख
2. शान्ताबेन मणीलाल परीख 10, मिलन, बापू भाई वासी रोड, विले-पार्ले बम्बई।

(अन्तरिती)

(3) राज्य कर्मचारी बीमा निगम, साधना को० आ०-सोसायटी के पास रुपम एरिया, कारेली बाग, बड़ोदा (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भोन्कटिक नामक मकान व जमीन जिसका सर्वे नं० 732 हिस्सा-बी०, और कुल माप 0-3 गुंथा 108 वर्ग गज है और जो साधनानगर सोसायटी के पास, कारेली बाग, बड़ोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के जुलाई, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3736 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 16 फरवरी, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 फरवरी, 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1 704 (271)/1-1/75-76 यत: मुझे जे० कथूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 209, 209-1, 209-2, एफ० पी० नं० 269, टी० पी० एस० नं० 14, है, जो शाही बाग, अहमदाबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री भरतकुमार चिनुभाई बैंकर, मधवन , डफनाला, शाहीबाग, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवत लाल रामदास पटेल, श्यामलदास की-खडकी, गाम : कनीज, तालुका - अहमदाबाद डिस्ट्रीक्ट कैरा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त व्यक्ति, स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अविभक्त सम्पत्ति का आधा भाग (1304 वर्ग गज भूमि का आधा भाग) जिसका क्षेत्रफल 652 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 209, 209-1, 209-2, फायनल प्लाट नं० 269-ए प्लाट नं० 3, टी० पी० एस० नं० 14 है तथा जो दरीयापुर-काजीपुर, शाहीबाग, अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वरणन 20-7-75 वाले दस्तावेज नं० 10260 मे दिया गया है।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -2, अहमदाबाद

तारीख : 20 फरवरी, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 फरवरी, 1976

निदेश स० ए० सी० क्यू० ब23-1-704 (272)/ 1-1/-75-76/:—यतः मुझे जे० कथुरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० सर्वे न० 209,209-1, 209-2, एफ-पी० नं० है 269-ए०, प्लाट नं० 3, है, जो दरीया पुर-काजीपुर, 3 अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री भरतकुमार चिनुभाई बैकर, मधुवन, डफनाला, शाहीबाग, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री जयन्ती लाल जोईतराम पटेल, श्यामलदास नी खड़की, गाम : कनीज, तालुका : अहमदाबाद डिस्ट्रीक्ट : कैरा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अविभक्त अचल सम्पत्ति का आधा भाग (1304 वर्ग गज भूमि का आधा भाग) जिसका क्षेत्रफल 652 वर्गगज है तथा जिसकी सर्वे दनठ० 209, 209-1, 209-2; फायनल प्लाट नं० 269-ए०, प्लाट नं० 3, टी० पी० एस० नं० 14, तथा जो दरीयापुर,-काजीपुर, शाहीबाग, अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वरणान 29-7-75 वाले दस्तावेज नं० 10261 में दिया गया है।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 16-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 फरवरी 1976

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-685 (275) /10-1/ 75-76:—यत: मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 4-ए०, तथा 83-3-ए०-1 तथा 82-2-ए०-1, ब्लाक डी०, पहली मंजिल है, जो सुपर मार्केट, बेडी नाका, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमृत लाल वेलजी बोढिया, नई जेल के पास, जामनगर।

(अन्तरक)

(2) श्री मुक्ताबेन वखत चन्द महेता, धनबाई डहला के पास, जमनगगर।

(अन्तरिती)

(3) आनन्द गैस्ट हाउस, (मालिक एन० एम० पटेल तथा आई० एस० मेहता) (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जो सुपर मार्केट की पहली मंजिल पर स्थित ब्लाक डी० का भाग है तथा जिसका प्लिन्थ क्षेत्रफल 2947 वर्ग फुट है तथा जिसका सर्वे नं० 4-ए०, 83-3-ए०-1 है तथा जो बेडी नाका जामनगर में स्थित है।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 24-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 13 फरवरी 1976

निर्देश सं० अ० ई० 1/13071/ जुलाई, 75/:—
20

अतः मुझे व्ही आर० अमीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 128 (पार्ट) न्यु० सी० टी० सी० नं० ए०/720 है, जो विलेश बान्द्रा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या, उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कासमल के० पोरबन्दरवाला एण्ड ब्रदर्स (अन्तरक)

(2) हिलटन को० आ० हा० सो० लि० (अन्तरिती)

(3) सोसायटी के मेम्बर्स (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बृहत बम्बई के अन्तर्गत बम्बई रजिस्ट्रेशन उप जिले, बम्बई उपनगर जिले में बान्द्रा में 35ए और हिल रोड और बारन रोड के जंक्शन पर स्थित लगभग 887.59 वर्ग मीटर को वह समुचित भू-भाग अथवा भू-खण्ड या भू-स्थल उस पर बनी गृह-वाटिकाओं, चालकोठरियों अथवा रिहायशी मकानों और गैरेजों समेत-जिसका गैर-कृषिक सर्वेक्षण नं० 128 (आंशिक), न्यू सिटी सर्वेक्षण नं० ए/720 है तथा बृहत् बम्बई महानगरपालिका द्वारा जिसका मूल्यांकन एच्० वार्ड नं० 573 स्ट्रीट न० 35ए० के अधीन किया गया है, और जिसकी सीमा इस प्रकार घिरी हुई हैं, अर्थात्—उत्तर में अथवा उत्तर की ओर हिल रोड से, दक्षिण में अथवा दक्षिण की ओर श्री थामस विलियम डी० अलमिडा, की सम्पत्ति से, पूर्व में या पूर्व की ओर बारन रोड से पश्चिम में या पश्चिम की ओर एनथानी राड्रीग्स के सम्पत्ति से।

व्ही आर० अमीन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 13-2-1976
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5 बम्बई

बम्बई, दिनांक 18 फरवरी, 1976

निर्देश सं० अ०ई० 5/366/23/75-76 :—अतः मुझे, जे० एम० मेहरा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 1 सं० नं० 96/1 (पार्ट और 96-बी (पार्ट) है, जो व्हीलेज हरीयाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 27-7-75
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रताप सिंह शोरजी वल्लभदास
(2) श्रीमती खतिजाबाई एस० बरोडावाला
(3) श्री जमनादास सी० कापड़िया

(अन्तरक)

(2) (1) श्री हिम्मत लाल के० दोशी
(2) श्रीमती अलो० आर० दुभाष

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई नगर और बम्बई उपनगर रजिस्ट्रेशन जिले एवं उपजिले में हरियाली स्थित एवं अवस्थित लगभग 5353 वर्गगज अर्थात लगभग 4475.7 वर्गमीटर का वह समूचा भूखण्ड अथवा भूभागसर्वेक्षण सं० 96/1 (भाग) और सर्वेक्षण सं० 96-ख (भाग) में प्लाट नं० 1 है; वृहत्तर बम्बई में ग्राम हरियाली, विक्रोली में नगर सर्वेक्षण सं० शून्य है तथा जिसे अनुबंध में दिए गए नक्शों में लाल रंग की सीमारेखाओं से घर कर दिखाया गया है और जिसकी सीमाएं इस प्रकार घिरी हैं, अर्थात् पूरब में अथवा पूरब दिशा की ओर बम्बई-आगरा रोड, पश्चिम में अथवा पश्चिम दिशा की ओर 50 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क से, दक्षिण में अथवा दक्षिण दिशा की ओर सर्वेक्षण संख्या 96/बी० में 50 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर में अथवा उत्तर दिशा की ओर सर्वेक्षण सं० 96/1 (भाग) और 96-बी (भाग) का प्लाट नं० 2

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5, बम्बई

तारीख 18 फरवरी, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 5 बम्बई

बम्बई, दिनांक 28 फरवरी 1976

निर्देश सं० अ०ई० 5/ 36/18/75-76 :—अतः मुझे, जे० एम० मेहरा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 15 हि० नं० 14 (पार्ट) सं० नं० 15 हि० नं० 15 सं० नं० 52 है, जो मोहिली व्हीलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-7-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की

गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धर्मपाल मेहरा
(2) श्री वेद प्रकाश मेहरा
(3) श्री देवप्रकाश मेहरा

(अन्तरक)

(2) मैसर्स विजय सिन्थेटिक प्रोन्ट प्रा० लिम०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बान्द्रा रजिस्ट्रेशन जिले में बम्बई उपनगर जिले के अन्तर्गत मोहिली में स्थित एवं अवस्थित वह समूचा भूभाग अथवा भूखण्ड उस पर बने आवासगृहों, गृहवाटिकाओं और 'सी' ब्लाक नाम भवन समेत-जो बेनामे के हिसाब में माप में 7385 वर्गगज (6175 वर्गमीटर) और यथार्थ सर्वेक्षण के अनुसार 7657 वर्गगज (यानी 6401 वर्गमीटर) है और जिसके सर्वेक्षण संख्या इस प्रकार है :—

सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या
15	14 (हिस्सा)
15	15 (हिस्सा)
52	16 (हिस्सा)

तथा जिसका करनिधारण बृहद् बम्बई महापालिका "एल०" वार्ड 3938 (1) और 3938 (8) और शीट नं० 52 ए० के अन्तर्गत हुआ है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार घिरी हुई हैं अर्थात् उत्तर में अथवा उत्तर की ओर सर्वेक्षण सं० 15 की सम्पत्ति के भाग से और जो मेहरा इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन का है, दक्षिण में दक्षिण की ओर सर्वेक्षण सं० 52 की सम्पत्ति से, हिस्सा नं० 17 (हिस्सा), पूर्व में अथवा पूर्व की ओर सर्वेक्षण सं० 52, हिस्सा नं० 18 और पश्चिम में अथवा पश्चिम की ओर कुला अन्धेरा रोड से।

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5, बम्बई

तारीख : 28 फरवरी, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 19 फरवरी 1976

निदेश सं० ए० सि० -234/आर-4/कल०/75-76:—अतः मुझे, ए० के० बटब्याल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी प्लाट सं० 106 है तथा जो बागुर एवेन्यु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वाणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दमदम में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-6-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाश चन्द्र सेठी

(अन्तरक)

(2) श्री स्वपन साहा, तपन साहा, श्रीमती प्रियबाला साहा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

6 कट्ठा 5 स्कोयार फीट खाली जमीन, प्लाट सं० 106, ब्लाक -डी, बांगुर एवेन्यु, थाना -दमदम, जिला -24 परगना

ए० के० बटब्याल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 4, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 19-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 फरवरी 1976

निदेश सं० 319 /एकुरे 111/75-76/ कल० :— अत: मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह, विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 11 है तथा जो डोमार लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आलिपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत:, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अलोक कुमार घोष
(2) श्री प्रतीप कुमार घोष,
(3) श्री दिपंकर घोष,
सबका पता 1, बालीगंज पार्क, कलकत्ता 1 और 11, डोमार लेन, कलकत्ता ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती युशिका वर्मन 1/1, औलाइचन्डो रोड, कलकत्ता-37

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

करीब 2 कट्ठा 11 छटांक 26 स्को० फुट खाली जमीन जो 11 डोमार, लेन, थाना बालीगंज, कलकत्ता पर अब स्थित है और जो डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेशन, आलिपुर द्वारा रेजिस्ट्रीकृत दलिल सं० 6622/1975 का अनुसार है।

एल० के० बालसुब्रमनियन
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III
54 रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 27-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-III, 54, रफी अहमद किदवाई रोड, कलकत्ता,

कलजत्ता-16, दिनांक 27 फरवरी 1976

निदेश सं० 220/ए०कु०रे०-III/75-76/कल०—अतः मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11 है तथा जो डोभार लेन, कलकत्ता मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) अलोक कुमार घोष, (2) प्रतीप कुमार घोष, (3) दिपंकर घोष, सबका पता, 1, बालीगंज पार्क कलकत्ता अैरभी 11, डोभार लेन, कलकत्ता (अन्तरक)

2. अतिन्द्र नाथ शी 1 डी०, मन्डेभिला, गार्डनन्स कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क- मे परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

करीब 2 कट्टा 10 छटाक खाली जमीन जो 11 डोभार लेन, थाना बालीगंज, कलकत्ता पर अवस्थित और जो रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्सेस, कल० द्वारा रजिस्ट्रीकृत दलील स० 4032/1975 का अनुसार है।

एल० के० बालसुब्रमनियन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III4, रफीअहमद
किदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 27-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 फरवरी 1976

निदेश सं० 318/ए०कु०रे० III/75-76/कलकत्ता—अतः, मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 44 बी० है तथा जो बाबूराम घोष रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रकाश चन्द्र राय 40, बाबूराम घोष रोड, कलकत्ता-40 (अन्तरक)

2. श्री विनय कृष्ण देव और माधुरी देव 4 उदबोधिनी लेन, कलकत्ता-3 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

करीब 5 कट्ठा खाली जमीन जो 44 बी०, बाबूराम घोष, थाना यादवपुर, कलकत्ता पर अवस्थित।

एल० के० बालसुब्रमनियन;
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 27-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश स० टि०आर०-78/सी०-79/कल०-I/75-76—यत/: मुझे, स० क० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 23ए० रायेड स्ट्रीट एण्ड 53ए० बि०सी० एण्ड डी० रफी अहमद किदवई रोड कलकत्ता है तथा जो कलकत्ता मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट पर्लेस, नार्थ मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिमियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अजमेन्द्र कुमार बोस (2) अजित कृष्ण मित्र श्रीमती सिप्रा बोस (अन्तरक)

2. श्री अहमद हुसैन (2) मुसम्मद दौलत उन्नैसा (3) शेख नसीम अली (4) शेख सबीर अली (5) शेख अरीब अली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

23ए० रायेड स्ट्रीट, एण्ड 53ए० बी० सी० एण्ड डी० रफी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता में अवस्थित 1 बीघा 2 कट्ठा जमीन पर अवस्थित अविभकत मकान का 1/4 हिस्सा ।

स० क० चक्रवर्ती,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख: 4-3-76
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,
ज्योति बिल्डिंग्स, गोपाल प्रभ रोड, एरनाकुलम, कोच्चिन-II

एरनाकुलम्, दिनांक 4 मार्च 1976

निदेश सं० एल०सी०-55/75-76—यतः मुझे, एस० एन० चन्द्रचूटन नायर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो कन्नूर जिला में कानत्तूर देशुाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कन्नूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-6-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैस० तिरुपति मिल्स लिमिटेड, कन्नूर (अन्तरक)

2. (1) पुत्तनपुरमिल सदानन्दन (2) मुन्दनपुरमिल जगन्नाथन (अन्तरिती)

3. श्री पी० कृष्णन (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रमाण नं० 1244/75 तारीख 9-6-1975 के अनुसूची के अनुसार ।

एस० एन० चन्द्रचूटन नायर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरनाकुलम

तारीख : 4-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 फरवरी 1976

निदेश सं० एक्स०/12/140(जून)/75-76—यतः मुझे, जी० रामनाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 3, टी०एस०-2782 है, जो चोक्कीकुल्लम एक्सटेंशन मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तल्लाकुल्लम (पत्र सं० 1911/75) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती मल्लीकाम्बाल मैलापुट, मद्रास (अन्तरक)

2. श्रीमती स्यामलादेवी कामयगउन्डपट्टी 626521 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, चोक्कीकुलम वार्ड 6, टी०एस० सं० 2782 में प्लाट 3 में 13 सेंट की खाली भूमि।

जी० रामनाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 24-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 फरवरी 1976

निदेश सं०X/12/141(जून)/75-76—यतः मुझे, जी० रामनाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० 4, टी०एस० सं० 2782 है, जो चोक्की कुलम, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तल्लाकुलम (पत्र सं० 1941/75) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मल्लीकाम्बाल मद्रास (अन्तरक)

2. श्रीमती आर० तरनी पदुपट्टी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, चोक्कीकुलम, वार्ड 6, टी०एस. 2782, प्लाट सं० 4 में 11-3/8 सेंन्ट की खाली भूमि।

जी० रामनाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 24-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 फरवरी 1976

निदेश सं०एक्स० /12/142(जून)/75-76———यतः मुझे, जी० रामनाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० टी०एस० सं० 2782 प्लाट सं० 5 है, जो चोक्कीकुलम मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तल्लाकुलम (पत्र सं० 1962/75) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती मल्लीकाम्बाल, मद्रास (अन्तरक)

2. श्रीमती कृष्णसामी, कामैयगउन्डनपट्टी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै वार्ड 6, चोक्कीकुलम टी०एस० सं० 2782, प्लाट सं० 5 में 9½ सेंट की खाली भूमि।

जी० रामनाथन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 24-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनाक 7 फरवरी, 1976

निदेश सं० आर० ए० सी० एक्यू० नं० 307/के०आर०/ 96, 104,107 और 124/75-76—यतः मुझे, बी० वी० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० 12-6-22 और 12-7-20 है, जो हयाकतकान गली विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-75 और 31-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. महम्मद अब्दुल हकीम पुत्र महम्मद अब्दुल गफूर लब्बिपेट, विजयवाडा (अन्तरक)

2 (i) तोकचिच्यु सुब्रमन्यम अरया पुत्र नरसिंहाराव (ii) रामनेनि राजेश्वरी, पत्नी साताराम अम्मसु (iii) तोकचिच्यु नरासिंहा राव पुत्र सुब्रमण्यम (iv) आनन्द्राजु गोपाला स्वामी पुत्र समुद्रुड् विजयवाड़ा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-7-75/31-7-75 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2194/75; 563/75, 2538/75 मे और 2397/75 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 7-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 11 फरवरी 1976

निदेश सं० आर०ए०सी० एक्यू० नं० 315/जे० न० 73/वी० एस०पी०/74-75—यतः मुझे, बी० वी० सुब्बाराव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 8-1-9 (1) (2) ए० जी० रोड, है जो विजयनगरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयनगरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती पूसले कमलावती प० सुब्बाराव, विजयनगरम (अन्तरक)

2. श्री प्रताप सिंह माजर, (2) भवर सिंह माजर, विजयनगरम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

विजयनगरम रजिस्ट्री अधिकारी से 15-2-1975 पाक्षिक अंत में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3046/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 11-2-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनाक 11 फरवरी 1976

निदेश सं० आर० ए०सी० एक्यू० 316/जे० नं० 74/वी०एस० पी०/ 74-75—यत: मुझे, बी० वी० सुब्बाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 198, 199/1,2,3 धारपूडि है, जो विजयनगरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय, विजयनगरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री पटनाला वेंकट बंगारू सेट्टी, विजयनगरम। (अन्तरक)

2. श्रीमती आलविल्ली सावित्रम्म, प० अप्पाराव, विजयनगरम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयनगरम रजिस्ट्री अधिकारी से 15-7-75 पाक्षिक अंत में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3115/75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख। 11-2-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 19 फरवरी 1976

निदेश आर० ए० सी०स० एक्यू० 317/जे०-1 नं० 1139/एक्यू०—यतः मुझे, बी० वी० सुब्बाराव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० एम० नं० 52 है, तथा जो कलिजोला गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 क 16) के अधीन, तारीख 31-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कंठमणि रूतकुमार, राजामंद्रि (अन्तरक)

2. मोटु इंडस्ट्रीज, (प्रा०) लिमिटेड, राजामंद्रि (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

राजामंद्रि रजिस्ट्री अधिकारी से 31-7-75 पाक्षिक अंत में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4643/75 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

बी० वी० सुब्बाराव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 19-2-76

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाड़ा, दिनांक 19 फरवरी 1976

निदेश सं० आर० ए० सी० सं० ए० सी० क्यू० 319/जे०/सं० 158/के० आर०—यतः मुझे, बी० वी० सुब्बाराव, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 27-6-115 है, जो प्रकाशम गल्ली विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-7-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. वेसूरि नरसिंहाराव और वेसूरि सुभाराव मचिलीपटनम। (अन्तरक)

2. श्री सतपाल झींग, विजयवाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से 31-7-75 पाक्षिक अंत में पंजीकृत दस्तावेज सं० 2559/75 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 19-2-1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 19 फरवरी 1976

निदेश सं०आर०ए०सी०क्यू० 320 जे०नं०-159/के०आर०—
यतः मुझे, बी० वी० सुब्बाराव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० नं० 27-6-115 प्रकाशम है, जो गल्ली, विजयवाडा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 31-7-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री वेसूरि नरासिंहराव और वेसूरि सुब्बाराव, मछिलिपटनम। (अन्तरक)

2. दुलाव झीग, विजयवाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से 31-7-75 पाक्षिक अंत में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2560/75 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

बी० वी० सुब्बाराव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 19-2-76

मोहर :

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 20th February 1976

No. A-19036/2/76-A.D.V.—Director, C. B. I. and Inspector General of Police, S.P.E. hereby appoints Shri Rajinder Kumar Sharma as Dy. S.P. in the C.B.I., S.P.E., New Delhi in a temporary capacity with effect from the afternoon of 31-1-76, until further orders.

No A-20014/42/75-AD-I.—Shri Subhas Chandra Mitra, an officer of Central Excise and Customs, on deputation to CBI as Inspector of Police, has been relieved of his duties in the C.B.I., Calcutta on the afternoon of 2-2-76 on repatriation to his parent Department, with instructions to report for duty to the Assistant Collector, Central Excise, Cooch Behar.

No. A-35018/15/75-AD.I.—Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri Phanindra Lal Bhowmick Sub-Inspector of Police, Calcutta Police, on deputation as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation, Calcutta Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 1st February, 1976, until further orders.

The 21st February 1976

No. R-8/74-AD.V.—Consequent on his selection as Dy. Vigilance Officer in Bharat Aluminium Company Limited, Korba (Madhya Pradesh), Shri Bholan Dass, Dy. S.P., C.B.I., has relinquished charge of his office as Dy. S.P./C.B.I. on the afternoon of 12-12-75. His services have been placed at the disposal of Bharat Aluminium Company Limited, Korba with effect from 12-12-75 (A.N.) for being appointed as Dy. Vigilance Officer.

2. On attaining the age of superannuation, Shri Bholan Dass, Dy. S.P./C.B.I. retired from Government service with effect from the afternoon of 31-1-76.

No. PF/S-1/70-AD-V.—Director, C.B.I. and IGP/SPE hereby appoints, Shri S. K. Saxena, Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation, Lucknow Branch on promotion as Senior Public Prosecutor in the Central Bureau of Investigation on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 20th December, 1975 until further orders.

The 23rd February 1976

No. A-19036/1/76-AD-V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector-General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri K. Subbanna, a deputationist Inspector of Andhra Pradesh State Police as Deputy Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the afternoon of 10-2-76 until further orders.

G. L. AGARWAL
Administrative Officer (E)/CBI

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(EXAMINATION WING)

UPPER DIVISION GRADE LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION, 1976

New Delhi, the 20th March 1976

No. 13/9/75-ARRNG(i).—Examination Wing of the Institute of Secretariat Training & Management New Delhi, will hold on 17th and 18th September, 1976 at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Nagpur and at selected Indian missions abroad a Limited Departmental Competitive Examination for making additions to the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

2. *Conditions of eligibility* :

Must be a permanent or temporary regularly appointed officer of the Central Secretariat Clerical Service satisfying the following conditions :—

(a) *LENGTH OF SERVICE* : Must have, on the 1st January 1976, rendered not less than five years approved and continuous service in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(b) *AGE* : Not more than 45 years on 1st January, 1976. Upper age limit relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and certain other specified categories.

(c) *TYPEWRITING TEST* : Unless exempted, he should have passed the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by the UPSC/STS/ISTM (Examination Wing) on or before the notification of this examination for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade.

3. *FEE* : Rs. 12/- (Rs. 3/- for S.Cs./S.Ts.)

4. Full particulars and application forms are obtainable from Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing), West Block 1, R.K. Puram, New Delhi-110022 by remitting Re. 1.00 (Rs. 2.00 if the application form is desired to be despatched by Registered Post) by means of CROSSED (A/C Payee) INDIAN POSTAL ORDER payable to the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) at R.K. Puram (Delivery) Post Office New Delhi or on cash payment at the sale counter in Institute's office.

5. Completed application forms, must reach the Institute by 19th May, 1976 (2nd June, 1976 for candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshdweep).

UPPER DIVISION GRADE (RAILWAY BOARD) LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION, 1976

No. 13/9/75-ARRNG(ii).—Examination Wing of the Institute of Secretariat Training & Management, New Delhi, will hold on 17th and 18th September 1976 at Delhi a Limited Departmental Competitive Examination for making additions to the Select List for the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

2. *Conditions of eligibility* :

Must be a permanent or temporary regularly appointed officer of the Railway Board Secretariat Clerical Service satisfying the following conditions :—

(a) *LENGTH OF SERVICE* : Must have, on the 1st January, 1976, rendered not less than five years approved and continuous service in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

(b) *AGE* : Not more than 45 years on 1st January, 1976. Upper age limit relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and certain other specified categories.

(c) *TYPEWRITING TEST* : Unless exempted, he should have passed the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by the UPSC/STS/ISTM (Examination Wing) on or before the notification of this examination for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade.

3. *FEE* : Rs. 12/- (Rs. 3/- for SCs./S.Ts).

4. Full particulars and application forms are obtainable from Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing), West Block 1, R.K. Puram, New Delhi-110022 by remitting Re. 1.00 (Rs. 2.00 if the application form is desired to be despatched by Registered Post) by means of CROSSED (A/C Payee) INDIAN POSTAL ORDER payable to the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) at R.K. Puram (Delivery) Post Office New Delhi or on cash payment at the sale counter in Institute's office.

5. Completed application forms must reach the Institute by 19th May, 1976.

MADAN LAL
Director (Examinations)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110001, the 17th February 1976

No. O.II-916/73-Estt.—The President is pleased to accept the resignations of the following Junior Medical Officers in the CRPF w.e.f. the dates noted against each :

1. Dr. Balakrishna Bastia—15-12-75 FN.
2. Dr. P. B. Venkateswara Rao—25-12-75 FN.

The 18th February 1976

No. O.II-117/71-Estt.—The President is pleased to appoint in a substantive capacity late Shri P. K. Velluyadhan, Asstt. Commandant, CRPF, in the rank of Dy. SP w.e.f. 1-7-74.

A. K BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

DIRECTORATE OF COORDINATION (POLICE WIRELESS)

New Delhi-1, the 19th February 1976

No. A.38/5/74-Wireless.—S/Shri P. J. Zachariah, Extra Assistant Director (on *ad hoc* basis), V. Sitaraman and K. Saifullah, temporary Senior Technical Assistants of the Directorate of Coordination (Police Wireless) have been promoted to officiate as Extra Assistant Director in a temporary capacity in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000—EB—40—1200/- in the Directorate of Coordination (Police Wireless) with effect from the dates shown against them, until further orders :—

S. No.	*Name and Date of assumption of the charge*
1.	Shri P. J. Zachariah, Extra Assistant Director (on *ad hoc* basis)—1-1-1976 (FN).
2.	Shri V. Sitaraman, Sr. Tech. Assistant—2-2-1976 (FN).
3.	Shri K. Saifullah, Sr. Tech. Assistant—21-1-1976 (FN).

No. A.36/19/75-Wireless.—On his selection as Police Radio Officer in the A & N Administration, Port Blair on deputation basis, Shri B. K. Mitra, Extra Assistant Director of the Directorate of Coordination (Police Wireless) was relieved of his duties with effect from the afternoon of 3rd October, 1975.

C. P JOSHI
Director
Police Telecommunications

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL (CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-110003, the 9th February 1976

No. E-38013(3)/1/76-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector S. K. Banerjee to officiate as Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, T.I.F., Naini with effect from the afternoon of 17th January 1976, until further order, who assumed charge of the said post with effect from the same date *vice* Shri Sheoraj Singh, who relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 17th January 1976, on transfer to New Delhi.

No. E-38013(3)/1/76-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector S. K. Banerjee to officiate as Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Durgapur Steel Plant, Durgapur with effect from the forenoon of 12th January 1976, until further order and he assumed the charge of the said post with effect from the same date.

The 12th February 1976

No. E-38013(3)/1/76-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector K. C. Bhoombla to officiate as Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Bank Note Press, Dewas with effect from the forenoon of 21st January 1976 until further order and he assumed the charge of the same post with effect from the forenoon of the same date *vice* Shri K. A. Belliappa who relinquished the charge of the said post with effect from the forenoon of 21st January 1976.

No. E-38013(1)/4/75-Ad.I.—On transfer from Durgapur Sh. P. C. Wadhwa, IPS(Haryana-1952) assumed the charge of the post of Deputy Inspector General (Eastern Zone), Central Industrial Security Force with Headquarters at Calcutta with effect from the forenoon of 19th January, 1976 *vice* Shri PP Singh, IPS(Bihar-1956) relinquished the charge of the post with effect from the same date on transfer to Durgapur.

The 16th February 1976

No. E-16013(2)/4/75-Ad.I.—On transfer on deputation from Government of Meghalaya Shri R. Chongthu, IPS (Assam-1962) assumed the charge of the post of Assistant Inspector General, Central Industrial Security Force, Eastern Zone, with Headquarters at Calcutta with effect from the forenoon of 27th January 1976.

The 23rd February 1976

No. E-32015(2)/4/75-Ad.I.—The President is pleased to appoint Lt. Col. M. Shrivastav, as Group Commandant, Central Industrial Security Force, with Headquarters at Calcutta, on re-employment with effect from the forenoon of 27th January 1976, until further order.

L S. BISHT
Inspector General

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD

Nasik, the 11th February 1976

No. 1889(A).—The *ad hoc* appointment of Shri D. P. Jambotkar as Stamp Supply Officer issued *vide* Notification No. 3596/(A) dated 18-3-1975 has been regularised with effect from 24-1-1976.

Shri Y. R. Vaidya, appointed on *ad hoc* basis as Stamp Supply Officer against the vacancy of Shri D. P. Jambotkar *vide* Notification No. 1038/(A) dated 6-10-1975 will continue to work on officiating basis with effect from 24-1-1976.

V. J. JOSHI
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ORISSA

Bhubaneswar-751001, the 3rd February 1976

No. O.O.C.-1389—The Accountant General has been pleased to grant to Sri B. N. Murti, Accounts Officer, earned leave for 86 days as L.P.R. with effect from 5-2-76 to 30-4-76. On expiry of leave Sri B. N. Murthy, will retire from service with effect from 30-4-76 A.N.

G. R. SOOD
Assistant Accountant General (ADMN)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT-GENERAL, MAHARASHTRA-I

Bombay-400020, the 10th February 1976

No. Admn.I/IAD/31-Vol.II/10.—The Accountant General, Maharashtra-I, Bombay is pleased to appoint the following members of the subordinate Accounts Services to officiate as Accounts Officers with effect from the dates mentioned against each of them, until further orders :

Sr. No.	*Name and Date*
1	Shri V. S. Ranganathan—22-11-75 F.N.
2.	Shri B. P. Gore—22-11-75 A.N.
3.	Shri S. D. Karandikar—24-11-75 F.N.
4.	Shri P. E. Tongaonkar—21-11-75 A.N.
5.	Shri N. Seetharaman—1-1-76 A.N.
6.	Shri C. R. Narayanan—1-1-76 F.N.
7.	Shri C. S. R. Sripadam—31-12-75 A.N.

A. B PALEKAR
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR NORTHERN RAILWAY

New Delhi-110001, the 17th February 1976

No. Admn/17-14/72/33098.—Shri Khem Raj Atam, (S/C) Section Officer (Audit) a temporary member of Subordinate Railway Audit Service, is appointed to officiate as Audit

Officer at Divisional Audit Office, Northern Railway, Jodhpur w.e.f. 9-2-1976 forenoon until further orders.

No. Admn/17-14/72/33098.—Shri Inderjit Singh, Section Officer (Audit) a permanent member of Subordinate Railway Audit Service, is appointed to officiate as Audit Officer at Divisional Audit Office, Northern Railway, Ferozepore w.e.f. 9-2-1976 forenoon until further orders.

K. S. RANGAMURTI
Chief Auditor

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 16th February 1976

No. 40011 (2)/75-AN-A—(1) The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the pension establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

S. No.	Name with Roster Number	Grade	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
Sarvashri				
1.	Sital Chandra Chatterjee (P/21)	Permanent Accounts Officer	31-3-76	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta
2.	Ved Parkash Sardana (P/363)	Permanent Accounts Officer	30-6-76	Controller of Defence Accounts, Northern Command, Jammu.
3.	D. N. Mandke (P/579)	Permanent Accounts Officer.	31-3-76	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta
4.	G. B. Parkhi (P/633)	Permanent Accounts Officer.	30-4-76	Controller of Defence Accounts (Officers), Poona

Shri D. N. Mandke, Permanent Accounts Officer has been granted earned leave for 56 days from 5-2-76 to 31-3-76 pending his retirement.

(2) Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Article 459 (i) of Civil Service Regulations Volume I, Shri P. V. ANANTHANARAYANAN, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/160) serving on deputation with the R & D Organisation, CVRDE, Avadi and borne on the proforma strength of the Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta will be transferred to the pension establishment with effect from the forenoon of 1st April 1976.

S. K. SUNDARAM
Addl. Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 22nd January 1976

No. 7/76/G—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of DADGOF/Dy. Manager with effect from the dates shown against each:—

1.	Shri H. Dutta, Offg. Sr. DADGOF (Retd)	15th June, 1970
2.	Shri V. Horidops, Offg. Dy. Manager	15th June, 1970
3.	Shri V. K. Khosla, Offg. Manager	15th June, 1970
4.	Shri S. N. Das, Offg. Manager	15th June, 1970
5.	Shri I. P. Misra, Offg. Manager	15th June, 1970
6.	Shri M. Sarup, Offg. Manager	12th Sept. 1970
7.	Shri C. R. Ghosh, Offg. Manager	12th Sept. 1970
8.	Shri K. Viswanathan, Permt. Manager	12th Sept. 1970
9.	Shri R. C. Chawla, Offg. Manager	12th Sept. 1970
10.	Shri G. C. Khanna, Offg. Manager	12th Sept. 1970
11.	Shri P. K. Soni, Permt. Manager	12th Sept. 1970
12.	Shri G. R. Chari, Offg. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
13.	Shri A. M. Date, Offg Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
14.	Shri R. M. Chowdhury, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
15.	Shri M. G. Joshi, Permt. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
16.	Shri C. P. Mehta, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
17.	Shri A. W. Bharti, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
18.	Shri T.K. Srinivasan, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
19.	Shri B. K. Dutta, Permt. Manager	12th Sept. 1970
20.	Shri G. F. Mascarenhas, Offg. Manager	12th Sept. 1970
21.	Shri N. C. Mukherjee, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
22.	Shri J. S. Saini, Offg. Dy. Manager (Retd	12th Sept. 1970
23.	Shri .T. N. Sen, Offg. Sr. DADGOF	12th Sept. 1970
24.	Shri P. Roy, Offg. Sr. DADGOF (Retd)	12th Sept. 1970
25.	Shri Sudhir Kumar Ghosh, Offg. Dy. Manager (Expired)	12th Sept. 1970
26.	Shri B. C. Neogi, Offg. Sr. DADGOF	12th Sept. 1970
27.	Shri LIS Henry, Offg. Manager	12th Sept. 1970
28.	Shri N. N. Mondal, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
29.	Shri S. N. Dhir, Offg. Dy. Manager	12th Sept. 1970
30.	Shri H. Thomas, Offg. Dy. Manager (Retd)	12th Sept. 1970
31.	Shri D. N. Sarkar, Permt. Sr. DADGOF	12th Sept. 1970
32.	Shri B. N. Thacker, Offg. Manager	12th Sept. 1970
33.	Shri K. M. Mohile, Offg. Manager	125h Sept. 1970
34.	Shri S. P. Kulkarni, Offg. Manager	12th Sept. 1970
35.	Shri B. B. Chatterjee, Offg. Dy. Manager	12th Sept. 1970
36.	Shri Jit Singh, Offg. Dy. Manager	12th Sept. 1970
37.	Shri A. K. Ghosh, Offg. Dy. Manager (Expired)	12th Sept. 1970
38.	Shri R. Singh, Offg. Dy. Manager	12th Sept. 1970
39.	Shri S. K. Dalal, Offg. Dy. Manager	12th Sept. 1970
40.	Shri H. P. S. Ahluwalia, Offg. SO Gr. I	12th Sept. 1970
41.	Shri S. Sampath, Offg. Manager	12th Sept. 1970
42.	Shri C. R. Gupta, Offg. Sr. DADGOF	12th Sept. 1970
43.	Shri B. D. Biswas, Offg. Manager	12th Sept. 1970
44.	Shri L. M. Sriraman, Offg. Manager	12th Sept. 1970
45.	Shri K. K. Grover, Offg. Manager (Expired)	12th Sept. 1970

46. Shri S. R. Chakravorty, Offg. Manager 12th Sept. 1970
47. Shri V. S. Dakshinamurthi, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
48. Shri T. V. S. Rao, Offg. Manager 12th Sept. 1970
49. Shri F. E. Jolly, Offg. Manager (Retd) 12th Sept. 1970
50. Shri B. Lal, Offg. Manager 12th Sept. 1970
51. Shri K. R. Padmanabhan, Offg. Manager 12th Sept. 1970
52. Shri R. Padmanabhan, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
53. Shri Munnu Lall, Offg. Manager 12th Sept. 1970
54. Shri D. K. Sarkar, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
55. Shri K. P. Singh, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
56. Shri J. K. Jain, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
57. Shri S. Mukherjee, Offg. Manager 12th Sept. 1970
58. Shri A. K. Rastogi, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
59. Shri D. K. De Sarkar, Offg Dy. Manager 12th Sept. 1970
60. Shri S. K. Bhatia, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
61. Shri O. P. Gurwara, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
62. Shri S. R. Rao, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
63. Shri Dipak Chaudhury, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
64. Shri M. M. Menon, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
65. Shri R. K. Agarwala, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
66. Shri R. Govindarajan, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
67. Shri D. S. Prasad, Offg. DADGOF 12th Sept. 1970
68. Shri J. P. Das Gupta, Offg. DADGOF 12th Sept. 1970
69. Shri R. N. Bose, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
70. Shri B. C. Paul, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
71. Shri I. S. Ahluwalia, Offg. Dy. Manager 12th Sept. 1970
72. Shri R. C. Gupta, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
73. Shri M. N. Bhattacharjee, Offg. Dy. Manager (Retd) 13th Sept. 1970
74. Shri T. P. Sundaram, Offg. Dy. Manager (Retd) 13th Sept. 1970
75. Shri R. P. Jauhari, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
76. Shri C.S. Ranpise, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
77. Shri J.C. Dureja, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
78. Shri C. Venugopal, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
79. Shri N.L.S. Murthy, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
80. Shri M. B. G. G. Batcha, Offg. Dy. Manager 13th Sept. 1970
81. Shri C. P. K. Menon, Offg. Dy. Manager (Retd.) 13th Sept. 1970
82. Shri D. K. Das Gupta, Offg. Dy Manager 20th Sept. 1970
83. Shri S. Banerjee, Offg. Dy. Manager 21st Sept. 1970
84. Shri G. Sarkar, Offg. Dy. Manager (Retd.) 1st Oct. 1970
85. Shri B. M. Gupta, Offg. Dy. Manager 24th Nov. 1970
86. Shri C. P. Agarwal, Offg. Dy. Manager 4th Jan. 1971
87. Shri S. Singh, Offg. Dy. Manager 16th Jan. 1971
88. Shri R. Mohanarangan, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
89. Shri J. Singh, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
90. Shri N. Venkataraman, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
91. Shri K. Sundaramurthy, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
92. Shri S. Lakshminarayan, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
93. Shri Srikrishan Das, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
94. Shri R. Shiva Prasad, Offg. Dy. Manager 1st April, 1971
95. Shri S. K. Ghosh, Dy. Manager 1st April 1971
96. Shri D. L. Srivastava, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
97. Shri P. Satyanarayan, Offg. Dy. Manager 1st April 1971
98. Shri T. K. Banerjee, Offg. Dy. Manager 1st April, 1971
99. Shri K. P. S. Menon, Offg. Dy. Manager (Retd.) 10th Sept. 1971
100. Shri G. R. Sundram, Offg. DADGOF 10th Sept. 1971
101. Shri K. Gupta, Offg. DADGOF (Retd.) 26th Sept. 1971
102. Shri M. Mitra, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
103. Shri A. Ramamurthy, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
104. Shri S. Krishnamurthy, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
105. Shri V. Krishnamurthy, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
106. Shri S. K. Wadhawan, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
107. Shri L. N. Sharma, Offg. Dy. Manager (Retd.) 26th Sept. 1971
108. Shri A. W. Lalwaney, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
109. Shri A. K. Misra, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
110. Shri N. S. Sharma, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
111. Shri K. N. Chatterjee, Offg. DADGOF (Retd) 26th Sept. 1971
112. Shri P. M. Despande, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
113. Shri S. N. Tiwari, Offg. Dy. Manager 26th Sept. 1971
114. Shri N. C. Paul, Offg. Dy. Manager (Retd) 1st Oct. 1971
115. Shri H. L. Sharma, Offg. Dy. Manager 14th Nov. 1971
116. Shri G. N. Banerjee, Offg. Dy. Manager 1st Dec. 1971
117. Shri Balbir Singh, Offg. Dy. Manager 15th Dec. 1971
118. Shri V. K. Sharma, Offg. Dy. Manager 4th Jan. 1972
119. Shri Baldeo Ram, Offg. DADGOF 11th Jan. 1972
120. Shri R. Ramanathan, Offg. Dy. Manager (Retd) 20th June, 1972
121. Shri M. G. Bhate, Offg. Dy. Manager (Retd) 1st Feb. 1972
122. Shri K. S. Ratnaswamy, Offg. Dy. Manager (Retd) 20th Feb. 1972
123. Shri D. Santhanam, Offg. Dy. Manager 1st April, 1972
124. Shri K. D. Bose, Offg. Dy. Manager (Retd) 8th April, 1972
125. Shri J. G. Bellan, Offg. Dy. Manager (Retd) 30th April, 1972
126. Shri M. K. Menon, Offg. Dy. Manager 1st May, 1972
127. Shri K. Kunhiraman, Offg. Dy. Manager (Retd) 17th July, 1972
128. Shri R. D. Sapre, Offg. Dy. Manager (Retd) 29th Aug. 1972
129. Shri T. R. Murthy, Offg. Dy. Manager 9th Oct. 1972
130. Shri S. S. Seshan, Offg. Dy. Manager (Retd) 9th Oct. 1972
131. Shri K. K. Sodhi, Offg. Dy. Manager 7th Nov. 1972
132. Shri M. Singaram, Offg. Dy. Manager 17th Dec. 1972
133. Shri G. Khera, Offg. Dy. Manager 30th Dec. 1972
134. Shri T. Ramakrishna, Offg. Dy. Manager 1st Jan. 1973
135. Shri K. M. L. Bhatnagar, Offg. Dy. Manager (Expired) 1st Jan. 1973
136. Shri G. Agarwal, Offg. Dy. Manager 1st April, 1973
137. Shri S. N. Gupta, Offg. Dy. Manager 14th April, 1973
138. Shri V. Krishnan, Offg. Dy. Manager 20th April, 1973
139. Shri A. K. Banerjee, Offg. Dy. Manager 10th July, 1973
140. Shri R. Sankara Raman, Offg. DADGOF 3rd Sept. 1973
141. Shri K. Rao Choudhuri, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
142. Shri S. K. P. Viswanathan, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
143. Shri P. Ramaiah, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
144. Shri D. A. Srinivasan, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
145. Shri Y. P. Arora, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
146. Shri A. C. Pillay, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
147. Shri K. C. Sikka, Offg. Dy. Manager 15th Oct. 1973
148. Shri S. Krishnamurthy, Offg. DADGOF 15th Oct. 1973

M.P.R. PILLAI
Asstt. Director General, Ordnence Factories

D.G.O.F. HDQRS., CIVIL SERVICE

Calcutta-700016, the 13th February 1976

No. 12/76/G.—The D.G.O.F. is pleased to appoint the undermentioned Permt. Superintendents to the grade of Assistant Staff Officer (Class II-Gazetted) until further order with effect from 1st Mar., 1968 :—

1. Shri Samarendra Nath MITRA (Since retired)
2. Shri Biswanath CHATTERJEE (Since retired)
3. Shri Shambhu Nath SINHA (Since retired)
4. Shri Krishna Chandra BHATTACHARYA
5. Shri Dharm Chand VERMA (Since retired)
6. Shri Dhirendra Prasad SRIVASTAVA
7. Shri Ale HASAN (Since retired)
8. Shri K.A.V. LINGHAM (Since retired)
9. Shri Monoranjan BHATTACHARJEE (Since retired)
10. Shri Gobinda Chandra BHATTACHARJEE
11. Shri Monmohan Lal NANDA
12. Shri Amulya Kr. GHOSH CHOWDHURY (Since retired)
13. Shri Rabindra Nath BOSE
14. Shri Prakash Chandra DUTTA (Since retired)

No. 13/76/G.—The D. G. O. F. is pleased to appoint the under mentioned Offg. Superintendents to the grade of Assistant Staff Officer (Class II-Gazetted) in an offg. capacity with effect from the dates specified, until further orders:—

1.	Shri Hara Pada CHOWDHURY (Since retired)	1st Mar. 1968
2.	Shri Hari Bhusan GHOSH	1st Mar. 1968
3.	Shri Prafulla Nath SANYAL	1st Mar. 1968
4.	Shri Tirtha Prasad BAGCHI (Since retired)	1st Mar. 1968
5.	Shri Kanai Lal MUKHERJEE	1st Mar. 1968
6.	Shri Hari Pada CHATTERJEE	1st Mar. 1968
7.	Shri Manindra Nath MOITRA (Since retired)	1st Mar. 1968
8.	Shri Silananda BRAHMACHARI (Since retired)	1st Mar. 1968
9.	Shri Pulin Behari GHOSH (Since retired)	1st Mar. 1968
10.	Shri Satyabrata NAG	1st Mar. 1968
11.	Shri Gopal Chandra Das GUPTA (Since retired)	1st Mar. 1968
12.	Shr Timir Ranjan Dutta	1st Mar. 1968
13.	Shri Amiya Ranjan Bose	1st Mar. 1968
14.	Shri Nirmal Chandra Sengupta	1st Mar. 1968
15.	Shri Bhupati Bhusan Biswas	1st Mar. 1968
16.	Shri Santi Kumar Banerjee	1st Marl 1968
17.	Shri Rajeswar Mitra (Since retried)	1st Mar. 1968
18.	Shri Kshirode Lal Sengupta	1st Mar. 1968
19.	Shri Amarendra Nath Chaudhuri	1st Mar. 1968
20.	Shri Pravash Kumar Mukherjee (Since retired)	1st Mar. 1968
21.	Shri Krishan Lal Debnath	1st Mar. 1968
22.	Shri Suresh Chandra Banerjee (Since retired)	1st Mar. 1968
23.	Shri Kalipada Mukherjee	1st Mar. 1968
24.	Shri S. Sivasankaran (Since retired)	1st Mar. 1968
25.	Shri Narayan Das Chowdhury	1st Mar. 1968
26.	Shri Subodh Chandra Chaudhury (Since retired)	1st Mar. 1968
27.	Shri Guru Prasad Mazumdar (Since re-retired)	1st Mar. 1968
28.	Shri Sunil Kumar Dutta (Since retired)	1st Mar. 1968
29.	Shri Bhabani Prasad Dutta (Since retired)	1st Mar. 1968
30.	Shri Nalini Mohan Chatterjee	1st Mar. 1968
31.	Shri Subodh Kumar Mitter (Since retired)	1st Mar. 1968
32.	Shri Sudhir Chandra Bose (Since retired)	1st Mar. 1968
33.	Shri Patit Paban Jana (Since retired)	1st Mar. 1968
34.	Shri Bipulendra Nath Mitra	1st Mar. 1968
35.	Shri Byomkesh Manik	1st March 1968
36.	Smt. Atreyee Majumdar (Since retired)	1st Mar. 1968
37.	Shri Jiban Krishan Banerjee (Since retired)	14th Aug. 1968
38.	Shri Bibhuti Lal Banerjee (Since retired)	14th Aug. 1968
39.	Shri Narendra Mohan Ganguli (Since retired)	14th Aug. 1968
40.	Shri Raghunath Dasgupta	14th Aug. 1968
41.	Shri Sital Chandra Majumdar (Since retired)	14th Aug. 1968
42.	Shri Anileswar Mukehrjee (Since retired)	11th Nov. 1968
43.	Shri Mahima Ranjan Ghosal	10th Dec. 1968
44.	Shri V. Venkiteswaran (Since retired)	10th Dec. 1968
45.	Shri V. Kailasan	6th Oct. 1969
46.	Shri Parbati Kumar Goswami	6th Oct. 1969
47.	Shri Annada Mohan Ghosh	6th Oct. 1969
48.	Shri Hemtosh Kumar Nath (Since retired)	6th Oct. 1969
49.	Shri Animesh Dasgupta	2nd Dec. 1969
50.	Shri Nirmal Chandra Das	15th Dec. 1969
51.	Shri Radha Raman Chatterjee (Since retired)	25th June 1970
52.	Shri Prasanta Kumar Mallick	18th Aug. 1970
53.	Shri Sadhana Behari Sarkar (Since expired)	25th Sept. 1970
54.	Shri Mohini Mohan Kar (Since retired)	30th Sept. 1970
55.	Shri Ranjit Kumar Das	14th Dec. 1970
56.	Shri Probhat Chandra Nath	1st Apr. 1971
57.	Shri Ganesh Lal Ganguli (Since retired)	1st Apr. 1971
58.	Shri Bibhuti Bhusan Chowdhury	13th Dec. 1973
59.	Shri Kalika Prasad Sukul	13th Dec. 1973
60.	Shri Santosh Kumar Sen	13th Dec. 1973
61.	Shri Manik Lal Ganguli	13th Dec. 1973
62.	Shri Ram Narayan Prasad Deo	13th Dec. 1973
63.	Shri Nirmalaya Bhusan Chakraborty	13th Dec. 1973
64.	Shri Sabitansu Prokash Goswami	13th Dec. 1973
65.	Shri Parimal Chandra Bose (Since retired)	13th Dec. 1973
66.	Shri Shiv Chandra Sarkar	14th Dec. 1973
67.	Shri Benoy Bhusan Chowdhury	11th Jan 1974
68.	Shri Dilip Kumar Mitra	14th Dec. 1973
69.	Shri Pramode Chandra Roy	14th Dec. 1973
70.	Shri Barindra Nath Ghosh	14th Dec. 1973
71.	Shri Dhirendra Nath Saha	14th Dec. 1973
72.	Shri Ramani Ranjan Nag	14th Dec. 1973
73.	Shri Adhir Kumar Bose (Since expired)	14th Dec. 1973
74.	Shri Ajit Kumar Deb (Since retired)	14th Dec. 1973
75.	Shri Krishan Mohan	1st Jan. 1974
76.	Shri Jogesh Chandra Roy (Since retired)	11th Jan. 1974
77.	Shri Jogesh Chandra Sen	11th Jan. 1974
78.	Shri Manoranjan Roy (Since retired)	11th Jan. 1974
79.	Smt. Ranu Rajagopalan	11th Jan. 1974
80.	Shri Sushil Chandra Roy	28th Feb. 1974
81.	Shri H. B. Sensharma	20th Aug. 1974
82.	Smt. Banolata Majumdar	20th Aug. 1974
83.	Shri Tulsi Charan Das	20th Aug. 1974
84.	Shri Sushil Kumar Das	9th Sep. 1974
85.	Shri Sunil Kumar Sengupta	20th Sep. 1974
86.	Shri Kalidas Guha	10th Oct. 1974
87.	Shri Narayan Gangopadhyay	2nd Dec. 1974
88.	Smt. Jyotsna Sen	2nd Dec. 1974
89.	Shri Balaram Pain	2nd Jan. 1975
90.	Shri Sudhir Chandra Das	2nd Jan. 1975

91.	Shri Rabindra Nath Hazra	2nd Jan. 1975
92.	Shri Priya Gopal Goswami	29th May, 1975
93.	Shri Amiya Kumar Basu	29th May 1975
94.	Shri Sisir Kumar Chakravorty	1st Sep. 1975
95.	Shri Biswa Ranjan Gupta	3rd Oct. 1975
96.	Shri Lakshmi Narayan Samanta	4th Nov. 1975
97.	Shri Sudhir Kumar Dutta	4h Nov. 1975
98.	Shri Dilip Sen	4th Nov. 1975

No. 15/76/G.—The D.G.O.F. is pleased to appoint the undermentioned Offg. Assistants to the grade of Assistant Staff Officer (Class II, Gazetted) in an offg. capacity on *ad hoc* basis for the period indicated against each :—

1. Shri Surendra Nath Biswas—From 13th June 1975 to 26th January 1976.
2. Shri Amal Kumar Saha—From 1st August 1975 to 26th January 1976.

No. 14/76/G.—The D.G.O.F. is pleased to appoint Shri Vaidyanatha Natarajan, Offg. P.S. to DGOF to the grade of Stenographer (Selection Grade)/P.S. to DGOF (Class II Gazetted post) in an offg. capacity, with effect from 9th March, 1970 until further orders. (This Dte. Genl. Notification No. 10/73/C dt. 31st March, 1973 is hereby cancelled.)

M. P. R. PILLAI
Asstt. Director-General
Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR

MICA MINES LABOUR WELFARE FUND, BIHAR

Karma, the 30th October 1975

No. Mica-4(37)/75.—Shri S. P. Garga, Overseer, Coal Mines Labour Welfare Organisation, has been appointed as Assistant Engineer, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Bihar on *ad hoc* basis with effect from 20th September 1975 (F.N.) till further orders.

R. P. SINHA
Welfare Commissioner,
Mica Mines Labour Welfare Fund, Bihar, Karma

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Jagjivan Nagar, the 10th February 1976

No. ADM.12(4)72.—Shri K. K. Mukherjee, Assistant Secretary to the Coal Mines Welfare Commissioner, Dhanbad has been appointed as Welfare Administrator, Central Office, Dhanbad for UNFPA Project on *ad hoc* basis with effect from 19-1-1976 (forenoon).

R. P. SINHA
Coal Mines Welfare Commissioner
Dhanbad

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 19th February 1976

No. 6/1114/76-Adm(G)/1258.—The President is pleased to appoint Shri U. C. Chohan, a permanent Stenographer in the Grade II of the CSSS as Senior Personal Assistant (Grade I of the CSSS) in this office with effect from 1-1-1976 (forenoon) until further orders.

The 24th February 1976

No. 6/521/58-Admn(G)/1398.—The President is pleased to retire Shri M. M. Sanghi, a permanent officer of the Section Officer's Grade of the CSS and Controller of Imports and Export (CSS) in this office from Government service with effect from 20-12-1975 (forenoon) under clause (j) of rule 56 of the Fundamental Rules.

P. K. KAUL
Chief Controller of Imports & Exports

ORDER

Madras-600001, the 14th October 1975

the 4th February 1976

SUBJECT :—*Cancellation of Customs Copy of Licence No. PL 2734305/C/XX/56/M/39-40/P.1.1 dated 8-2-75 issued in favour of Central Silk Board, Bombay with letter of Authority in favour of M/s. Radha Silk Emporium No. 1, Sannadhi Street, Mylapore, Madras-4.*

The above mentioned licence was issued in favour of the Central Silk Board, Bombay with letter of Authority in the name of M/s. Radha Silk Emporium (P) Ltd., 1, Sannadhi St., Mylapore, Madras-1, for the import of the Silk.

The firm applied for grant of duplicate Customs purpose copy of the above mentioned licence in the ground that the original licence was lost. It has been stated that the licence was not utilised by them for the balance amount of Rs. 1,07,467/- in support of their claim M/s. Radha Silk Emporium (P) Ltd., Mylapore, Madras-4 have filed affidavit.

I am satisfied that the original Customs Copy of the licence has been lost and direct that a duplicate Customs Copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs copy of the licence mentioned above is cancelled.

(Issued from file No. NSF/6/JS74/EPC.III)

M. F. R. BIJLI
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Jt. Chief Controller of Imports and Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 19th February 1976

No. EST.I-2(615)/425.—The President is pleased to appoint with effect from the forenoon of the 12th December, 1975 and until further orders Shri S. Ravindran, Assistant Director, Grade II (P&D) in the Weavers' Service Centre, Bombay, as Assistant Director, Grade I (P&D) in the same centre.

R. P. KAPOOR
Textile Commissioner

Bombay-400020, the 18th February 1976

No. EST.I-2(657).—The Textile Commissioner is pleased to appoint with effect from the forenoon of the 20th January, 1976 and until further orders Shri J. P. Tyagi, Enforcement Inspector (Technical) in the Regional Office of the Textile Commissioner, Bombay as Assistant Director, Grade-II (Non-Technical) in the same office.

C. R. NEELAKANTAN
Deputy Director

DEPARTMENT OF SUPPLY

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS (ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 17th February 1976

No. A-1/1(825).—Shri M. D. Nayar permanent Superintendent and officiating as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies (Textiles) Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

The 20th February 1976

No. A-1/1(1013).—The Director General of Supplies & Disposals, New Delhi hereby appoints Shri N. L. Parameswaran, Dock Inspector in the office of the Director of Supplies & Disposals, Bombay to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director (Grade II) in the same office at Bombay with effect from the forenoon of 2nd February, 1976 and until further orders.

2. The appointment of Shri Parameswaran as Asstt. Director (Grade II) is temporary and subject to the result of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

K. L. KOHLI
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

New Delhi, the 18th February 1976

(ADMINISTRATION SECTION A-6)

No. A-6/247(398)/62-II.—Shri G. R. Bhatia Deputy Director of Inspection in the Engineering Branch of Grade II of the Indian Inspection Service, Class I in the Northern Inspection Circle New Delhi under the Directorate General of Supplies and Disposals retired from Govt. Service in the afternoon of the 31st January 1976 on attaining the age of superannuation.

The 20th February 1976

No. A-6/247(291)/73.—Shri S. K. Taraphdar, permanent Examiner of Stores and Officiating Asstt. Inspecting Officer (Engg.) in the Calcutta Inspection Circle of this Directorate General of Supplies and Disposals has been retired from Govt. service on 31-12-1975 (A.N.) under F.R. 56(j).

The 21st February 1976

No. A-6/247(149)/56.—Shri H. K. Ghosh permanent Examiner of Stores and officiating Asstt. Inspecting Officer (Engg), in the Calcutta Inspection Circle of this Directorate General of Supplies and Disposals has been retired from Govt. Service on 31-1-76 (AN) under F.R. 56(j).

No. A6/247(125)/58/III.—Shri Debabrata Chaudhury Inspecting Officer in the Engineering Branch of grade III of the Indian Inspection Service, Class I in the office of the Director of Inspection, Calcutta under the Directorate General of Supplies and Disposals New Delhi retired from Govt. Service in the afternoon of the 31st January 1976 on attaining the age of Superannuation (*i.e.* 58 years).

No. A-6/247(509)/65.—Shri B. B. Mitra, Inspecting Officer in the Engineering Branch of Grade III of the Indian Inspection Service, Class I in the office of the Director of Inspection, Calcutta under the Directorate General of Supplies and Disposals New Delhi retired from Govt. service from the afternoon of the 31st January 1976 on attaining the age of Superannuation.

SURYA PRAKASH
Dy. Director (Administration)
for Director General of Supplies and Disposals

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

OFFICE OF THE CHIEF PAY & ACCOUNTS OFFICER

New Delhi, the 11th February 1976

No. A-32014/75-76/Admn(CDN)/5627-29.—The Chief Pay and Accounts Officer, Department of Supply & Rehabilitation and Ministry of Food & Agriculture New Delhi has appointed Shri O. P. Sharma, Section Officer (Pay & Accounts) of his Organisation to officiate as Pay & Accounts Officer in the office of the Dy. Chief Pay & Accounts Officer, Department of Supply, New Delhi with effect from the forenoon of 30-1-1976 till further orders.

This promotion is without prejudice to the rights and claims of his seniors in the panel.

This promotion is subject to the conditions laid down in the Chief Pay & Accounts Officer's Organisation (Pay & Accounts Officer) Recruitment Rules, 1974.

ARUNA MAKHAN
Dy. Chief Pay & Accounts Officer

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 20th February 1976

No. E1-5047/1117-LPR.—The Surveyor General of India is pleased to retire Shri Hari Dev, Registrar of the Surveyor General's Office, Survey of India, Dehra Dun from the Government Service on superannuation with effect from 31st January, 1976 (A.N.).

No. E1-5048/1117-LPR.—The Surveyor General of India is pleased to retire Shri B. R. Pant, Establishment & Accounts Officer of the Map Record & Issue Officer (M.P.), Survey of India Dehra Dun from the Government Service on superannuation with effect from 30th November, 1975 (A.N.).

D. P. GUPTA
Major Engrs.
Assistant Surveyor General

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 12th February 1976

No. 2/12/75-SIII.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri L. D. Sharma, S.E.A., All India Radio, Jodhpur to officiate in the grade of Assistant Engineer on *ad hoc* basis with effect from 12-1-76 (F.N.) at All India Radio, Jammu until further orders.

HARJIT SINGH
Deputy Director of Admn.,
for Director General

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th February 1976

No. A.31014/1/74-SVI.—In this Directorate's Notification No. A-31014/1/74-SVI (Vol. III) dated 4-12-75 the following corrections may please be made :—

Against S. No. 39, *read* Shri S. Satyanarayana *for* Shri S. Satyabhama.

Against S. No. 73 *read* Shri B. M. Mathew, *for* Shri B. N. Mathew.

Against S. No. 75 *read* Shri M. N. Athavale, *for* Shri M. N. Athoralu.

P. K. SINHA
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 19th February 1976

No. 2/37/60-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri R. P. Saxena, Administrative Officer, All India Radio, Lucknow to officiate as Sr. Administrative Officer, Television Centre, All India Radio, Lucknow on *ad hoc* basis with effect from 9th December 1975 (F.N.).

The 23rd February 1976

No. 10/49/61-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri P. Mohd. Sr. Accountant, Central Sales Unit, All India Radio, Bombay to officiate as Administrative Officer, Radio Kashmir, Srinagar on an *ad hoc* basis with effect from 27th January 1976 (forenoon).

2. Shri Mohd. passed away on 3-2-1976.

I. S. PANDHI
Section Officer,
for Director General.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

(DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY)

New Delhi-1, the 19th February 1976

No. A-19012/2/74-Est.II.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri N. N. Bahl, to officiate as Field Exhibition Officer in this Directorate on regular basis with effect from 4th February, 1976 (forenoon), until further orders.

R. L. JAIN
Deputy Director (Admn.),
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 19th February 1976

No 9-15/75-Admn.1.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Smt. Mehar Sultana Zafar in a substantive capacity to the permanent post of Lecturer in English at the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi with effect from the 22nd April, 1972.

No. 11-2/75-Admn.I.—Shri S. Srinivasan relinquished charge of the post of Director of Administration and Vigilance in the Directorate General of Health Services on the afternoon of 31st January, 1976

No. A-12022/1/76-(CSSS)/Admn.-I.—The President is pleased to appoint Shri D. N. Dhingra, a Grade II Stenographer belonging to the Cadre of the Ministry of Health & Family Planning, to the post of Senior Personal Assistant (Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service) in the Directorate General of Health Services, with effect from the forenoon of the 9th February, 1976, until further orders.

S. P. JINDAL,
Dy. Driector Administration.

DELHI MILK SCHEME

New Delhi-8, the 20th February 1976

No. 5-2/75-Estt.(Spl.).—Shri S. C. Suri, Dairy Supervisor/Assistant Manager is appointed to officiate as Manager, Milk Collection & Chilling Centre/Section Manager (Class II Gazetted) on a purely *ad hoc* and temporary basis under the Delhi Milk Scheme with effect from 22nd October 1975 for a period not exceeding 6 months, or till alternative regular arrangements are made, whichever is earlier.

A. MOHAN LAL,
Chairman.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(HEAVY WATER PROJECTS)

Bombay-400008, the 29th January 1976

Ref. No. HWPs/Estt./1/M-13/1013.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Achyut Mukund Vaidya, a permanent Assistant Accountant and officiating Assistant Accounts Officer of Bhabha Atomic Research Centre now on deputation to Heavy Water Projects (Central Office) in the same grade, to officiate as Accounts Officer II in Heavy Water Project (Tuticorin) from December 1, 1975 (FN) to December 31, 1975 (AN), *vice* Shri K. K. Gopalakrishnan, Accounts Officer II, granted leave.

The 17th February 1976

Ref. No. HWPs/Estt./1/S-25/1014.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Shivputra Revappa Shidlyali, a permanent Lower Division Clerk and officiating Assistant Accountant of Bhabha Atomic Research Centre now on deputation to Heavy Water Project (Kota) in the same grade, to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Project (Kota) for a period of 120 days w.e.f. January 16, 1976 or till such time a regular Assistant Accounts Officer is posted to Heavy Water Project (Kota), whichever is earlier.

Ref. No. HWPs/Estt/1/M-13/1013.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Vasant Krishna Mahagaonkar, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant of Heavy Water Projects (Central Office) to officiate as Assistant Accounts Officer in the same office from January 31, 1976 to March 19, 1976 *vice* Shri A. M. Vaidya, Assistant Accounts Officer, granted leave.

T. C. SATHYAKEERTHY,
Senior Administrative Officer.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
(INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT)

New Delhi-3, the 13th February 1976

No. E(I)-03768.—On attaining the age of superannuation, Shri M. M. Wadhwani, Officiating Assistant Meteorologist, Office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 1975.

No. E(1)/04202.—On attaining the age of superannuation, Shri G. Appa Rao, Officiating Assistant Meteorologist, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January 1976.

No. E(1)/06680.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri R. C. Dube, Professional Assistant, office of the Director, Agricultural Meteorology, Poona as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of eighty-nine days with effect from the forenoon of 1st January 1976 to 29th March 1976.

Shri Dube, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the office of the Director, Agrimet, Poona.

M. R. N. MANIAN
Meteorologist
for Director General of Observatories.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 5th February 1976

No. A. 31014/1/75-EC—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following eighteen officers in a substantive capacity in the grade of Assistant Communication Officer in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department with effect from the 1st February, 1976:—

1. Shri B. B. Dutta
2. Shri Ramji Singh
3. Shri A. K. Narayanan
4. Shri J. S. Vedi
5. Shri S. K. Sen
6. Shri K. C. Sengupta
7. Shri B. K. Roy
8. Shri P. I. Idicula
9. Shri Mohd. Ali
10. Shri Madhu S. Menon
11. Shri H. Deb
12. Shri K. S. Chopra
13. Shri K. M. Mathew
14. Shri S. Madhu
15. Shri R. K. Mitra
16. Shri S. S. Gill
17. Shri K. Swaminathan
18. Shri S. Govindarajan

The 17th February 1976

No. A-32013/14/75-EC.—In continuation of this Department notification No. A-32013/14/75-EC, dated the 20th October, 1975, read with this Department notification of even number dated the 15th November, 1975, the President is pleased to extend the promotion of Shri P. Paulose as Communication Officer on an *ad hoc* basis upto the 30th April, 1976 or till the posts are filled on a regular basis, whichever is earlier.

In continuation of this Department notification No. A-32013/6/72-EC, dated the 9/10th January, 1975, the President is also pleased to extend the *ad hoc* promotion of Shri R. H. Subramaniam as Communication Officer in the CAD upto the 30th April, 1976, or till the post is filled up on a regular basis, whichever is earlier.

The 19th February 1976

No. A-32014/1/75-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Saibala Gupta, Communication Assistant, Aeronautical Communication Station, Calcutta as Assistant Communication Officer with effect from the 24th January, 1976 and post him at the same station.

H. L. KOHLI
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 19th February 1976

No. A-32013/4/75-EC.—The President is pleased to appoint Shri T. R. Seshadri, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Bombay as Technical Officer with effect from the 31st January 1976 (FN) on regular basis and until further orders and to post him in the office of the Regional Director, Bombay Region, Bombay Airport, Bombay.

No. A-39012/1/75-EC.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Mohinder Kumar Seth, Technical Officer in the office of the Director, Radio Construction and Development Units, Safdarjung Airport, New Delhi with effect from the 5th February 1976 (A.N.).

The 23rd February 1976

No. A-38013/1/75-EC.—Shri C. L. Magoo, Assistant Communication Officer in the office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi relinquished charge of his office on the 31st January 1976 (AN) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

H. L. KOHLI
Dy. Director (Administration)

New Delhi-110022, the 18th February 1976

No. A-19014/85/72-E(H).—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Ganguly relinquished charge of the office of the Director of Aeronautical Communcaitions in the Civil Aviation Department and retired from Government service on the afternoon of the 31st January, 1976.

T. S. SRINIVASAN
Assistant Director of Administration.

New Delhi, the 20th February 1976

No. A-12032/5/75-EA.—Shri G. S. Batura, Assistant Aerodrome Officer, Safdarjung Airport New Delhi resigned from Government service with effect from the 29th December, 1975 (A.N.).

C. K. VATSA
Assistant Director of Administration.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Patna, the 10th February 1976

C. No. II(7)5-ET/75/1589.—In pursuance of this office Estt. order No. 442/75 dated 6-12-75 issued under endt. C. No. II(3)43-ET/73/Loose/73256-84 dated 9-12-75, appointing Sri Biswa Nath Pd. Sinha, Inspector (S.G.) of Central Excise and Customs to officiate as Superintendent of Central Excise Class-II in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- plus usual allowances as admissible under rules, Sri Biswa Nath Pd. Sinha assumed charge as Superintendent (Prev) Central Excise, Dhanbad in the fore-noon of 1-1-76.

The 20th February 1976

C. No. II(7)5-ET/75/1788.—In pursuance of this office Estt. order No. 410/75 dated 4-11-75 issued under endt. C. No. II(3)43-ET/73/Loose/163725-47 dated 5-11-75, appointing Two Inspectors (S.G) of Central Excise to officiate as Superintendent of Central Excise Class-II in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB— 35—880—40—1000—EB—40—1200/- plus usual allowances as admissible under rules, Sri Bhudeo Narain Jha assumed charge as Superintendent Central Excise, Barkipur Range in the forenoon on 12-1-1976.

H. N. SAHU, Collector.

Allahabad, the 18th February 1976

No. 11/1976.—Shri Baij Nath Prasad Officiating Administrative Officer (Hdqrs) of Central Excise, posted in the Central Excise Collectorate Hdqrs. Office, Allahabad handed over the charge of the office of the Administrative Officer (Hdqrs) of Central Excise Collectorate Hdqrs. Office, Allahabad on 31-1-1976 (Afternoon) to Shri D. K. Saxena, Assistant Chief Accounts Officer of Central Excise Collectorate Hdqrs. Office, Allahabad and retired from Government Service with effect from the said date and hours.

H. B. DASS, Collector.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 19th February 1976

No. A-32012/9/75-Adm.V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee Class-II), the Chairman, Central Water Commission, is pleased to appoint Shri C. G. Deshpande, Research Assistant, to the post of Assistant Research Officer (Engineering) at the Central Water and Power Research Station, Poona in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB —35—880—40—1000—EB —40—1200, on regular basis, in an officiating capacity, until further orders, with effect from the date and time he takes over charge of the above post.

2. The above officer will be on probation in the cadre of Assistant Research Officer (Engineering), Central Water and Power Research Station, Poona for a period of two years, from the date of taking over charge of the above post.

K. P. B. MENON, Under Secy.
for Chairman, C. W. Commission.

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 8th January 1976

No. 3-307/73-CH(Estt).—The resignation tendered by Dr. L. Venkataratnam, Assistant Soil Chemist, Central Ground Water Board North Western Region, Chandigarh has been accepted w.e.f. 28-11-75 (A.N.).

The 18th February 1976

No. 3-294/73-CH (Estt.).—The resignation tendered by Shri R. S. Lihipande, Assistant Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Distt. Unit Trivandrum *vide* his letter No. RSL/R-JMS/CGWB/75-2 dated 15-12-75 has been accepted w.e.f. 19-1-76 (A.N.).

D. S. DESHMUKH
Chief Hydrogeologist & Member

N.H.IV, Faridabad, the 19th February 1976

No. 3-420/75-CH(Estt).—Shri J. K. Varma is hereby appointed to the post of Assistant Hydrogeologist GCS Class II (gazetted) in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—FB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on temporary basis in the Central Ground Water Board with his headquarter at Gauhati w.e.f. 20-1-1976 (F.N.) till further orders.

No. 3-414/75-C.H.(Estt.).—Dr. Atma Ram Pandey is hereby appointed to the post of Assistant Hydrogeologist, G.C.S. Class-II (Gazetted) in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on temporary basis in the Central Ground Water Board with his headquarter at Ahmedabad w.e.f. 22-11-1975 (F.N.) till further orders.

No. 3-411/75-C.H.(Estt.).—Shri A. K. Misra is hereby appointed to the post of Assistant Hydrogeologist G.C.S. Class—II (Gazetted) in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on temporary basis in the Central Ground Water Board with his headquarter at Calcutta w.e.f. 30-12-1975 (F.N.) till further orders.

B. K. BAWEJA
Chief Hydrogeologist & Member

INTEGRAL COACH FACTORY

Madras-38, the 23rd February 1976

No. PB/GG/9/Misc.II.—Sri M. D. KHAJA MOHIDEEN, Chief Design Assistant (Class III) has been promoted to officiate in Class II service as Assistant Mechanical Engineer/Jig & Tool on *ad hoc* basis from 16-1-76 to 7-2-1976.

Sri S. SANKARALINGAM, Officiating Works Manager/ Electrical (S.S.) (*ad hoc*) has been reverted to as temporary Assistant Electrical Engineer/Construction from 24-1-1976 A.N.

Sri P. R. NARAYANAN, Officiating Production Engineer/ Progress/Furnishing (S.S.) (*ad hoc*) has been reverted to Class II service from 7-2-1976 A.N.

S. SUBRAMANIAN
Deputy Chief Personnel Officer
for General Manager

NORTHERN RAILWAY
HEADQUARTERS OFFICE
New Delhi, the 18th February 1976

No. 4—The following Assistant Medical Officers who stand confirmed provisionally in Class II Service w.e.f. 1-1-1966 in terms of Northern Railway Notification No. 142 dated 18-9-71 circulated under endorsement No. 752E/104-II (Eia), dated 24-9-1971 are confirmed finally as Assistant Medical Officers in Class II service with effect from the same date:—

1. Dr. G. C. Chandra
2. Dr. J. C. Saluja
3. Dr. D. N. Chakravarty.
4. Dr. R. C. Mitra
5. Dr. S. K. Ganguly
6. Dr. D. R. Rao
7. Dr. A. N. Bose
8. Dr. Manoranjan Sen
9. Dr. S. D. N. Sinha
10. Dr. S. C. P. Verma
11. Dr. J. N. Mehta.
12. Dr. P. C. Chakravarty
13. Dr. P. D. Chatterjee
14. Dr. K. L. Mukherjee
15. Dr. S. G. Basu
16. Dr. B. Jha
17. Dr. S R. Chakravarty
18. Dr. A. Ghosh
19. Dr. N. N. Basu
20. Dr. D. D. Banerjee
21. Dr. Sukumar Mandal
22. Dr. K. C. Suthradhar
23. Dr. K. C. Das Gupta.
24. Dr. B. K. Chandra
25. Dr. K. C. Modak.
26. Dr. Arun Kumar
27. Dr. S. P. Basu
28. Dr. Nirpdda Santra
29. Dr. (Mrs) S. Srivastava
30. Dr. N. N. Mathur
31. Dr. J. S. Khalsa
32. Dr. N. K. Verma
33. Dr. V. P. Jain
34. Dr. S. N. P. Agarwal
35. Dr. C. M. Mukherjee
36. Dr. S. Raut
37. Dr. M. N. Gauri
38. Dr. S. Dey
39. Dr. M. L. Khan
40. Dr. M. M. Chaberia
41. Dr. A. K. Ghosh
42. Dr. G. S. Saxena
43. Dr. O. P. Gocl,
44. Dr. R. P. Mathur
45. Dr. N. K. Kohli
46. Dr. S. C. Srivastava
47. Dr. J. P. Singh
48. Dr. K. N. Gupta
49. Dr. Prem Prakash
50. Dr. Shamshad Ali
51. Dr. S. N. Aggarwal
52. Dr. (Mrs) M. I. Khan
53. Dr. L. R. Munjial
54. Dr. V. K. Sanadhya
55. Dr. S. P. Kholi
56. Dr. S. P. Ahuja
57. Dr. D. B. Ghosh
58. Dr. O. P. Mittal
59. Dr. A. P. Arora
60. Dr. (Mrs) S. Saluja
61. Dr. H. P. Rajmalani
62. Dr. A. K. Jolly.
63. Dr. S. S. S. Singhal
64. Dr. T. N. Mehrotra
65. Dr. M. L. Dewan
66. Dr. M. B. Singh
67. Dr. M. C. Gupta
68. Dr. Usha Gocl
69. Dr. S. M. Govil
70. Dr. Kulwant Rai
71. Dr. V. K. Verma
72. Dr. K. G. Misra
73. Dr. Y. Man Singh
74. Dr. S. Malhotra
75. Dr. Rajindra Pal
76. Dr. Raj Kumar
77. Dr. S. N. Srivastava
78. Dr. (Mrs) K. Rajkumar
79. Dr. (Mrs.) Santosh Sharma
80. Dr. S. C. Gupta
81. Dr. R. N. Mathur
82. Dr. A. K. Bose
83. Dr. (Mrs) L. D. Tahiliani
84. Dr. Ram Devnani
85. Dr. O. P. Sharma
86. Dr. S. K. Kapoor
87. Dr. Jagdish Raj
88. Dr. R. N. Sharma
89. Dr. B. P. Srivastava
90. Dr. J. S. Bathla
91. Dr. R. K. Goswami
92. Dr. Shashi Verma
93. Dr. (Mrs.) C. J. Garg
94. Dr. (Mrs.) Rashmi Goyal,

In addition, the following doctors are confirmed provisionally as Asstt. Medical Officers in Class II service on this Railway from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name of doctor	Date from which confirmed provisionally
1.	Dr. Chiman Lal	15-8-1973
2.	Dr. M. M. Banerjee	1-4-1973

V. P. SAWHNEY
General Manager

DEPARTMENT OF COMPANIES AFFAIRS
COMPANY LAW BOARD
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Mehar Publications (Andhra) Private Limited

Hyderabad, the 17th February 1976

No. 524/T(560).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Mehar Publications (Andhra) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Citrus Products Private Limited

Hyderabad, the 17th February 1976

No. 1162/560/T.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Citrus Products Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

O. P. JAIN
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Nellai Venus Limited (In Liquidation)

Madras-600006, the 13th February 1976

No. 1919/5-560(5)/Liqn/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956 that the name of Nellai Venus Limited (In Liquidation) has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

(Sd/-) ILLEGIBLE
Additional Registrar of Companies
Madras

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Narkatiaganj Sugar Mills Limited

Bombay, the 21st February 1976

No. 16454/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Narkatiaganj Sugar Mills Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. NARAYANAN
Addl. Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Bharatpur Dairy Private Limited

Jaipur, the 23rd February 1976

No. Stat/1198.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharatpur Dairy Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Agarwal Agro Industrial Manufacturers Private Limited

Jaipur, the 23rd February 1976

No. Stat/1341.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agarwal Agro Industrial Manufacturers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off company will be dissolved.

R. D. KUREEL
Registrar of Companies
Rajasthan, Jaipur

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

New Delhi, the 19th February 1976

INCOME-TAX

No. JUR-D.L.I./II/75-76/40753—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of all provious orders/notifications on the subject, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the Income-tax officers mentioned in Column 2 of the Schedule herein below shall perform their functions in respect or persons of classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases specified in Column 3 of the said schedule other than the persons or classes of persons, income or classes of income and cases or classes of cases which have been assigned or may hereafter be assigned u/s 127 of the said act to any other Income-tax officer.

S. No.	Designation of the ITO	Jurisdiction
1.	2	3
1.	Income-tax officer, Contractors Circle, Ward-A, New Delhi.	(*a*) All persons or classes of person incomes or classes of income and cases or classes of cases falling within the jurisdiction of the Income-tax officer, Contractors Circle, Delhi whose name begin with any of the alphabets from A to M (both inclusive.) (*b*) All persons being partners of firms falling in item (a) above.
2.	Income-tax officer, Contractors Circle, Ward-B, New Delhi.	(*a*) All persons or classes of persons incomes or classes of income and cases or classes of cases falling within the jurisdiction of the Income-tax officer, Contractors Circle, Delhi whose names begin with any of the alphabets from N to Z (both inclusive.) (*b*) All persons being partners of firms falling in item (a) above.
3.	Income-tax officer, Contactors Circle, Ward-C, New Delhi.	All persons or classes of persons incomes or classes income and cases or classes of cases which are assigned u/s 127 of the Income-tax Act. 1961.
4.	Income-tax officer, Contractors Circle, Ward-D, New Delhi.	All persons or classes of person incomes or classes of income and cases or classes of cases whcih are assigned u/s 127 of the Income-tax Act, 1961.
5.	Income-tax officer, Contractors Circle Ward-E, New Delhi.	All persons or classes of persons incomes or classes of income and cases or classes of cases which are assigned u/s 127 of the income-tax Act, 1961.

This notification shall take effect from 20-2-1976.

No. JUR-DLI/II/75-76/40662.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax Delhi-II, New Delhi hereby directs that the following new wards, shall be created in the Contractors' Circle, Delhi.

1. Contractors' Circle, Ward-E, New Delhi.

This order shall come into force w.e.f. 20-2-76.

JAGDISH CHAND
Commissioner of Income-tax
Delhi-II, New Delhi

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE,
AMRITSAR.

Amritsar, the 21st February 1976

Ref. No. ABR/263/75-76—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 50 situated at Gali No. 10, New Abadi, Alamgarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar in July, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kapoor Singh, Gurdev Singh ss/o
Shri Sher Singh S/o
Sbri Dial Singh R/o
Giddarwali, Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Lal S/o
Shri Arjan Dass S/o
Shri Tota Ram R/o
Gali No. 10, Nai Abadi, Abohar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 50, Gali No. 10 New Abadi, Alamgarh (Abohar) as mentioned in the Registered Deed No. 973 of July, 1975 of the Registering Authority, Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-2-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
AMRITSAR.

Amritsar, the 21st February 1976

Ref. No. ABR/264/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Gali Gian Talkie Wali, Abohar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar in July, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mangat Rai
S/o Shri Saudagar Chand
S/o Shri Roni Ram
R/o Gali Gian Talkie Wali, Abohar.
(Transferor)

(2) Smt. Piari Singh D/o
Shri Hira Singh S/o
Shri Bhagwana Singh r/o Abohar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House in Gali Gian Talkie Wali Abohar as mentioned in the Registered Deed No. 941 of July, 1975 of the Registering Authority, Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-2-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING

ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

AMRITSAR.

Amritsar, the 21st February 1976

Ref. No. GSP/265/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and Land situated at Near Naushera Bhandar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurdaspur in July, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Prithi S/o
Shri Kesar Singh s/o
Shri Budh Singh
R/o V. Naushera
(Transferor)

(2) S/Shri Ajit Singh, Sardar Singh, Tara Singh, Chanan Singh, Sulakhan Singh, Sarwan Singh, Ss/o Shri Nanak Singh,
R/o V. Naushera.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2908 of July, 1975 of the Registering Authority, Gurdaspur.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-2-1976.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR.

Amritsar, the 21st February, 1976

Ref. No. GSP/266/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at Near Naushera Bahadar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurdaspur in July, 1975
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition at the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Milkhi and Prithi S/o
Shri Kesar Singh s/o
Shri Budh Singh
R/o V. Naushera.
(Transferor)

(2) S/Shri Ajit Singh, Sardar Singh, Tara Singh, Chanan Singh, Sulakhan Singh, Sarwan Singh.
Ss/o Shri Nanak Singh,
R/o V. Naushera.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2941 of July 1975 of the Registering Authority, Gurdaspur.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-2-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
AMRITSAR.

Amritsar, the 6th March, 1976

Ref. No. BTD/267/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at Rattan Nagar, Guniana Road, Bhatinda.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in June, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ajinder Singh S/o
Shri Gurcharan Singh,
Near Panj Rattan Hotel, Guniana Road,
Bhatinda.
(Transferor)

(2) M/s. Panj Rattan Hotel,
Guniana Road,
Bhatinda.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land situated at Rattan Nagar, Guniana Road, Bhatinda as mentioned in the registered deed No. 1847 of June, 1975 of the registering authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 6-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
AMRITSAR.

Amritsar, the 6th March, 1976

Ref. No. BTD/268/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- **and bearing**
Plot of land situated at Rattan Nagar, Guniana Road, Bhatinda.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under **the Registration Act,**
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in June, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurcharan Singh
S/o Shri Rattan Singh,
Near Panj Rattan Hotel, Guniana Road,
Bhatinda.
(Transferor)

(2) M/s. Panj Rattan Hotel
Guniana Road,
Bhatinda.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land situated at Rattan Nagar, Guniana Road, Bhatinda as mentioned in the registered Deed No. 1868 of June, 1975 of the registering authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 6-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR.

Amritsar, the 6th March, 1976

Ref. No. MLT/269/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot of land situated at Surja Ram Market, Malout.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Malout in June, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

18—506GI/75

(1) Shri Jaswant Singh S/o
Chaudhry Harji Ram C/o
Jaswant Singh & Sons, Cotton Ginning and Pressing Factory, Abohar.
(Transferor)

(2) Shri Atma Ram S/o
Shri Walaiti Ram
Shri Vijay Kumar s/o Shri Phool Chand
Shri Pawan Kumar s/o Shri Raja Ram
C/o Walaiti Ram Raja Ram,
Commission Agents, Surja Ram Market, Malout.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land situated at Surja Ram Market, Malout as mentioned in the Registered Deed No. 711 of June, 1975 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 6-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1477.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Jullundur in July, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the 'said Act' 5, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Kumar s/o
Shri Ramji Das S/o
Jawand Lal,
R/o N.D. 112, Bikrampura,
Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shrimati Saraswati Bai W/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand,
Ali Mohalla W.F. 145,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land/Property as mentioned in the Registered Deed No. 2624/6/75 with S.R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date. 4-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1478.—Whereas I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in June, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sardaro Wd/o
Shri Ramji Das,
Bikrampura, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shrimati Saraswati Bai Wd/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand R/o
Ali Mohalla W.F. 145,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4041/7/1975 with S. R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-3-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1484.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in July 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Kumar s/o
Shri Ramji Dass S/o
Shri Jawand Lal,
R/o Bikrampura, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Krishan Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand,
Ali Mohalla W.F. 145,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 4044/7/1975 in the office of the Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-3-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1485.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in July 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons namely :—

(1) Shri Partap Chand S/o
Shri Ramji Dass S/o
Shri Jawand Lal,
R/o Bikrampura, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Ram Parkash S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand,
Ali Mohalla W.F. 145,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Any body interested in the property. [Person(s) in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 4042/7/1975 of sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 4-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1486.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in July 1975
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Parshotam Lal S/o
Shri Ramji Dass S/o
Shri Jawand Lal,
R/o Nehru Garden, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Ram Parkash, Bansi Lal, Krishan Lal Ss/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand, R/o
W.F. 145, Ali Mohalla,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Any body interested in the property. [Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3767/7/1975 of Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1487.—Whereas I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Re. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at
Jullundur in June 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has
not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Partap Chand S/o
Shri Ramji Dass S/o
Shri Jawand Lal,
R/o N.D. 112,Bikrampura,
Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Ram Parkash S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand R/o
Ali Mohalla, W.F. 145,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2620/6/1975 with Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1488.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in June 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the porperty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devinder Kumar S/o Shri Dev Raj S/o Shri Jawand Lal,
R/o N.L. 60, Bazar Kalan,
Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Ram Parkash S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand, R/o
W.F. 145, Ali Mohalla,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3005/6/1975 of Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1489.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under he 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hans Rani alias Sardaio Wd/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal,
R/o N.L. 60, Bazar Kalan,
Jullundur City,
GA of Smt. Darshana D/o
Shri Dev Raj (W/o Narinder Bhalla)
(Transferor)

(2) Shrimati Saraswati Bai Wd/o
Shri Ram Lal
R/o W.F. 146, Ali Mohalla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3006/June, 1975 of Sub-Registrar Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1490.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) Smt. Sardaro Rani alias Hans Rani Wd/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal
R/o N.L. 60, Bazar Kalan,
Jullundur City.
(Transferor)

(2) Krishan Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand,
R/o W.F. 146, Ali Mohalla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3004/June, 1975 of Sub-Registrar Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1491.—Whereas I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Uma D/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal R/o
Hall Mahli Gate, Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Bansi Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand, R/o
W.F. 145, Ali Mohalla
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3036/June, 1975 of Sub Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1492.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No As per chedule situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer,
at Jullundur in June, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Devinder Kumar S/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal
R/o N.L. 60, Bazar Kalan,
Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Ram Parkash S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand, R/o
W. F. 145 Ali Mohalla,
Jullundur.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3037/June, 1975 of Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1493.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Partap Chand S/o
Shri Ramji Dass S/o
Shri Jawand Lal
R/o N.D. 112,Bikrampura.
Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Ram Parkash S/o
Shri Ram Lal S/o
W.F. 145, Ali Mohalla
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2729/June, 1975 of Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1495.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Jullundur in June, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been on which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hans Rani alias Sardaro Wd/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal R/o
N. L. 60 Bazar Kalan, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Smt. Saraswati Bai Wd/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand, R/o
W. F. 145, Ali Mohalla
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter, XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3038/June, 1975 of Sub-Registrar Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1496.—Whereas I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Km. Uma D/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal R/o
Lal Mohli Gate, Phagwara.
(Transferee)

(2) Shri Bansi Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand, R/o
W. F. 145, Ali Mohalla,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Deed No. 3142/June, 1975 of Sub-Registrar, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1497.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing as per Schedule situated at Jullundur
(and more fully described in
the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in June 1975
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely .—

(1) Smt. Sardaro Rani alias Hans Rani Wd/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal R/o
N. L. 60 Bazar Kalan, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Krishan Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand
W. F. 145, Ali Mohalla
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Deed No. 3039/June, 1975 of S. R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1498.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refefred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said ct, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

20—506GI/75

(1) Smt. Hans Rani alias Sardaro Rani Wd/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawand Lal R/o
N. L. 60 Bazar Kalan, Jullundur City.
G. A. of Priti.
(Transferor)

(2) Shri Bansi Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand,
W. F. 145, Ali Mohalla,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registered Deed No. 3040/June, 1975 with S. R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March, 1976

Ref. No. AP/1499.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Kumar S/o
Shri Dev Raj S/o
Shri Jawan Lal,
N. L. 60, Bazar Kalan, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Bansi Lal S/o
Shri Ram Lal S/o
Shri Ram Chand,
W. F. 145, Ali Mohalla,
Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 3041/June, 1975 with S. R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX.
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR.

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1500.—Whereas I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hans Rani alias Saidaro Rani Wd/o Shri Dev Raj S/o Shri Jawand Lal, r/o N. L. 60, Bazar, Kalan Jullundur. G.A. of Priti Jain.
(Transferor)

(2) S/Shri Ram Parkash, Bansi Lal, Krishan Lal, ss/o Shri Ram Lal s/o Shri Ram Chand, r/o W.F. 145, Ali Mohalla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Regd. Deed No. 3141/June, 1975 of S. R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4.3.1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1501.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in June, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Kumar S/o Shri Dev Raj S/o Jawand Lal, N.L. 60 Bzr. Kalan Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Bansi Lal S|o Shri Ram Lal S|o Ram Chand, W.F. 145, Ali Mohalla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Anybody interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a peiod of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Deed No. 3140/June, 75 of Sub-Registrar Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1502.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in June, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (37 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Raj Gopal alias Ram Gopal S|o Shri Ramji Dass S|o Sh. Jawand Lal, N.D. 112, Bikarampura, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Shri Krishan Lal S/o Shri Ram Lal S/o Sh. Ram Chand, W.F. 145, Ali Mohalla, Jullundur City.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Registered Deed No. 2618/June, 1975 of S. R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th March 1976

Ref. No. AP/1503.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Kumar S|o Shri Ramjidass S|o Shri Jawand Lal, R|o N.D. 112, Bikaram pura, Jullundur City.
(Transferor)

(2) Smt. Saraswati Bai wd/o Sh. Ram Lal, s|o Shri Ram Chand, W.F. 145, Ali Mohalla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of, 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as registered vide Deed No. 2727/June, 1975 by S. R. Jullundur.

RAVINDAR KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 4-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi-1 (110001), the 26th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/883(42)/75-76.—Whereas, I, C. V. GUPTE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. W-25 situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 15-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. D.L.F United Ltd., 40-F, Connaught Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Mehta Cotton Mills (P) Ltd., 59, Golf Links, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are definned in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing No. 25 Block No. 'W' measuring 1528 sq. yds. in the residential Colony known as Greater Kailash-II New Delhi situated at Village Bahapur, in the Union Territory of Delhi and bounded as under :—
East : Plot No. W-23.
West : Plot No. W-27.
North : Road.
South : Other's Land

C. V. GUPTE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 26-2-1976

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi-1 (110001), the 26th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/Oct.I(15)/75-76.—Whereas, I, C. V. GUPTE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-E situated at Connaught Place, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 10-10-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bhola Nath & Bros. (HUF).
C/o M/s. Bhola Nath Bros. Jewellers, Connaught Circus, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Lal Chand Har Narain & Amar Chand Seth, 4-E, Connaught Place, New Delhi.
(Transferee)

(3) (1) M/s. Ragho Mull & Sons, Delhi, (2) M/s. Dena Bank (3) M/s. Anand Finance (P) Ltd. [Prsons in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The lease hold land under the Shop No. 4, Flat No. 9, Block 'E' Connaught Place, New Delhi with a right of joint use of staircase between this property and property of Mool Chand Trust of its successors together with all superstructure fittings' fixture with all ways passage rights privileges, easements of this property and bounded as under :—

East : Common passage between Connaught House, the property of the Vendors and the property under sale.

West : Connaught Place, Main Road.

North : Joint wall and staircase with property owned by Mool Chand Trust or its successors.

South : Joint wall with property of L. Narain Dutt Thekedar, or his successors.

C. V. GUPTE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisisoner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 26-2-1976
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi-1 (110001), the 26th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/August-I(10)/75-76.—Whereas, as, I, C. V. GUPTE,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-property, having a fair market value exceeding **Rs. 25,000/-** and bearing
No. S-222 situated at Greater Kailash-II, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 7-8-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. D.L.F. United Ltd., 40-F, Connaught Place, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Kamlesh Kaur w/o Shri S. K. Kapur C/o. R. Chopra & Co., Chartered Accountant, D. B. Road, Batala (Punjab).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land being Plot No. 222 Block 'S' measuring 454 sq. yds. in the residential Colony known as Greater Kailash-II, New Delhi, situated at Village Bahapur, in the Union Territory of Delhi and bounded as under :—
East : Service Lane.
West : Road.
North : Plot No. S-220.
South : Plot No. S-224

C. V. GUPTE
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 26-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi-1(110001, the 26th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/July-II(38) /900/75-76.—Whereas, I, C. V. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. E-263 situated at Greater Kailash-I, New Delhi,
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 30-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the education or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Patasho Devi w/o Shri Chet Singh, r/o. House No. 1876, Gurdawara Road, Kotla Mubarakpur, New Delhi
(Transferor)

(2) Smt. Chander Mohini Nigam w/o Dr. Indeshwar Nigam r/o. F-263, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land measuring 215 sq. yds, bearing No. 263 in Block No. 'E' in the residential Colony known as Greater Kailash-I, New Delhi, together with a single storey house constructed thereon, and bounded as under :—
East : Road.
West : Plot No. E-261.
North : Road.
South : Service Road.

C. V. GUPTE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 26-2-1976
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi-1(110001), 19th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/2085/1083/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C/32, Chiniot Basti situated at Pahar Ganj, Multani Dhanda, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in June 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Lal Khanna s/o Shri Bahadur Chand Khanna, r/o 4/94, Ramesh Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Janak Rani w/o Shri Raghbir Lal Sharma, r/o C-32, Chiniot Basti, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on a plot of land measuring 100 sq. yds. situated at C/32, Chiniot Basti, Pahar Ganj, New Delhi (Multani Dhanda).

S. N. L. AGARWALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi.

Date : 19-2-1976

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1(110001), 19th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1084/2195/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 17-C Jhabhu Colony, situated at Near Filmistan, Model Basti, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in June 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) (1) Smt. Ram Mala Devi
(2) Shri Satish Kumar
(3) Shri Shailendra Kumar (minor)
(4) Km. Seema Rani (minor),
both through Smt. Ram Mala Devi their mother and natural guardian all residents of 4578, Deputy Ganj, Sadar Bazar, Delhi.

(Transferor)

(2) (1) Shri Radhey Mohan Goel
(2) Shri Brij Mohan Goel, s/o Shri Babu Ram Goel, r/o 32, Manohar Market, Katra Neel, Chandni Chowk, Delhi-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of plot of land No. 17-C measuring 200 sq. yds. inside Jhabhu Lal Colony, Near Filmistan Cinema, Model Basti, New Delhi and bounded as under :—

North : 60 feet wide road.
South 15 feet wide road.
East : Plot No. 17-D.
West : Plot No. 17-B.

S. N. L. AGARWALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi.

Date : 19-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1 (110001), 21st February 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1085/2101/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 65 to 85 situated at Chowk Qutab Road, Sadar Bazar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on June 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishan Mohan Bijli s/o Shri Sain Dass Mehra alias Bijli Pahlwan (2) Smt. Sandhuro Rani w/o Shri Krishan Mohan Bijli r/o 31-32, New Rohtak Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) (1) Smt. Ram Pyari w/o Shri Gian Chand
(2) Shri Gian Chand s/o Shri L. Hans Raj, r/o Qr. No. 8 Punjabi Qrs. Naini, Allahabad (U.P.).
(3) Shri Hari Shanker s/o Shri Kasturi Lal
(4) Smt. Raj Rani w/o Shri Kasturi Lal r/o 73, Raja Garden, New Delhi.
(5) Smt. Kamla Vig w/o Shri Brij Mohan, T-438, Ahata Kidara, Delhi.
(6) Shri Satish Lal s/o Shri Hari Chand, r/o F-55, Malka Ganj, Delhi.

(Transferee)

Name of tenants and Shop No.	
Ground Floor	
1. M/s. Baldev Singh & Sons	65
2. M/s. Bata India Ltd.	66-67
3. M/s. Bansi Lal Roshan Lal	68
4. M/s. Narinder Kumar Ashok Kumar	69
5. M/s.. Sita Ram Kidar Nath	70-71
6. M/s. Amar Nath Verma & Co.	72-73
7. Shri Joginder Singh	75
8. M/s. Star Light House	75
9. M/s. Shahdi Lal Jain	76
10. M/s. Frontier Crockery House	77
11. M/s. Mohan Parkash Sarwan Kumar	82
12. M/s. Delhi Glass House	80-81
13. M/s. Jayana Watch Co. Godown	78-79
14. M/s. Krishan Lal Harbans Lal	
15. M/s. R. S. Mulakh Raj	83
16. M/s. Sethi General Stores	84
17. M/s. Bombay Glass House	85
First Floor	
18. M/s. A. Dass and Co.	74
19. Shri Durga Dass Nayyar	
20. M/s. Malik Trading Co.	
21. S. Inder Singh	
22. M/s. Pardeep Cable Co.	
23. M/s. Mangat Ram and Sons.	
24. Shri Chander Bhan.	

[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed house bearing Municipal No. 65 to 85 situated in Chowk Qutab Road, Sadar Bazar, Delhi with the land measuring 6110 sq. ft. under the said property and bounded as under :—

East : Others property.
West : Rasta Mandi Pan.
North : Road.
South : Ahta under the possession of Lala Chaman Lal etc.

S. N. L. AGARWALA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 21-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1(110001), 27th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1086/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. X-B-2 situated at East Azad Nagar, Illaqa Shahdara, Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Delhi in June 1975.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tej Kaur w/o Shri Didar Singh r/o B-2, East Azad Nagar, Delhi-51.
(Transferor)

(2) Shri Vas Dev Mankhand s/o Shri Shadi Ram Mankhand C/o State Bank of Bikaner and Jaipur, Krishna Nagar, Delhi-51.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storyed house constructed on a plot of land measuring 107.5 sq. yds. situated at No. B-2, East Azad Nagar, Delhi and bounded as under :—
North : Road
South : Portion of Plot B-2
East : Portion of plot B-2
West : Plot No. 2-A.

S. N. L. AGARWALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi.

Date : 27-2-1976
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1(110001), 27th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1087/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Municipal No. 1/53 situated at Village Chanderawali, Shahdara, Delhi
(and more fully
described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Delhi in June 1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to
between the Parties has not
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the 'said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Vinod Kumar Jain s/o Sh. Basant Lal Jain
(2) Smt. Brij Kishore Jain w/o Sh. Basant Lal Jain
(3) Smt. Kamla Devi Jain d/o Sh. Basant Lal Jain, r/o 1430 Gali Sanghian Fountain, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Bimla Wati Jain w/o Shri Sat Pal Jain r/o L/5728, Balbir Nagar, Gali No. 16, Shahdara, Delhi-32.
(Transferee)

(3) M/s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Parliament Street, New Delhi.
[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land measuring 1030 sq. yd. forming part of Khasra No. 2828/977/439, 2952/980/440, 1967/978/439 and 1971/979/440 Municipal No. 1/53 in the revenue Estate of Village Chanderawali, Alias Shahdara, Delhi and bounded as under :—
North : G. T. Road.
South : Jain Samaj Property.
East : others land.
West : others building.

S. N. L. AGARWALA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 27-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1 (110001), the 28th February 1976

Ref. No. IAC/Acq.III/SR.II/Oct/1062(20)/75-76.—Whereas, I, S. C. PARIJA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. J-/70, situated at Rajouri Garden, Delhi (1/3rd share) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 31-10-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dalip Singh s/o S. Jaswant Singh
J-7/70, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Khem Chand Bathla s/o Shri Topan Dass Bathla c/o M/s. Khem Chand Bathla,
506, Bartan Market, Sadar Bazar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3 share of 2½ storeyed House No. J-7/70, on a freehold plot of land measuring 160 sq. yds. situated in the colony known as Rajouri Garden, area of village Tatarpur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : House on plot No. J-7/71.
South : House on plot No. J-7/69.
East : Service on Road.
West : Service lane.

S. C. PARIJA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1 (110001), the 28th February 1976

Ref. No. IAC.Acq.III/SR.II/Oct/1061(19)/75-76.—Whereas, I, S. C. PARIJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. J-/70, situated at Rajouri Garden, Delhi (1/3rd share) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 31-10-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kulvinder Singh s/o S. Jaswant Singh, H. No. 2103, Prem Nagar, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Khem Chand Bathla s/o Shri Topan Dass Bathla, c/o M/s. Khem Chand Bathla, 506, Bartan Market, Sadar Bazar, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share of a 2½ storeyed House No. J-7/70, on a freehold plot of land measuring 160 sq. yds. situated in the colony known as Rajouri Garden, area of village Talarpur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : House on plot No. J-7/71.
South : House on plot No. J-7/69
East : Service on Road.
West : Service lane

S. C. PARIJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1(110001), the 28th February 1976

Ref. No. IAC.Acq.III/SR.II/Oct/1060(18)/75-76.—Whereas, I, S. C. PARIJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
J-7/70, situated at Rajouri Garden, Delhi (1/3rd share) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 31-10-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Amarjit Singh s/o S. Jaswant Singh, 2103, Prem Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Khem Chand Bathla s/o Shri Topan Dass Bathla, c/o M/s. Khem Chand Bathla, 506, Bartan Market, Sadar Bazar, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share of a 2½ storeyed House No. J-7/70, on a freehold plot of land measuring 160 sq. yds. situated in the colony known as Rajouri Garden, area of village Tatarpur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : House on plot No. J-7/71.
South : House on plot No. J-7/69.
East : Service on Road.
West : Service lane.

S. C. PARIJA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi.

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1(110001), the 28th February 1976

Ref. No. IAC.Acq.III/SR.II/Aug/1000(14)/75-76.—Whereas, I, S. C. PARIJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 83, situated at West Avenue Road, Punjabi Bagh, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Delhi on 26-8-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Avtar Singh Sethi s/o S. Teja Singh, 2/39, Punjabi Bagh, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Onkar Singh s/o S. Sardar Singh, Link Road, Cuttack (Orissa).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of the plot No. WA/83, measuring 300 sq. yds. situated at Punjabi Bagh, area of Villagge Madipur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : Service lane.
South : West Avenue Road.
East : Portion of plot No. WA/83, measuring 366.66 sq. yds. of the vendor sold to Shri Prithpal Singh.
West : Shopping market.

S. C. PARIJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi.

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi-1(110001), the 28th February 1976

Ref. No. IAC.Acq.III/SR.II/Aug/999(12)/75-76.—Whereas, I, S. C. PARIJA,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 83, situated at West Avenue Road, Punjabi Bagh, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Delhi on 26-8-1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) Shri Avtar Singh Sethi s/o S. Teja Singh, 2/39, Punjabi Bagh, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Prithpal Singh s/o S. Sardar Singh, Link Road, Cuttack (Orissa).
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said, Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of the plot No. WA/83, measuring 366.66 sq. yds. situated at Punjabi Bagh, area of Village Madipur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : Service lane.
South : West Avenue Road.
East : Plot No. 81.
West : Portion of plot No. WA/83, measuring 300 sq. yds. of the vendor sold to Shri Onkar Singh.

S. C. PARIJA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi.

Date : 28-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi-110001, the 4th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.886/July-II(4)/75-76.—Whereas, I, C. V. GUPTE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 10, Panchsheel Marg, situated at Chanakya Puri, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on 19/7/1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :

(1) Shri J. S. Sahani s/o Shri Maya Dass Sahani, r/o 20, Amrita Sher Gill Marg, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Rajdhani Vanijya Ltd., Himalaya House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any o fthe aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land admeasuring 2181.6 sq. yds. or three abouts situate at Plot No. 30 in Block No. 48 in the site acquired for the erection of the New Capital of Delhi and bearing municipal No. 10, Panchsheel Marg in Chanakyapuri, New Delhi, within the limits of New Delhi Municipality with constructions thereon of a double storey pucca building with a Barsati and garages and servants quarters and boundary walls on all four sides and bounded as follows :—

North : By Service Road.
South : By East West Main Road.
East : By Plot No. 31, Block No. 48, New premises No. 11, Panchsheel Marg, New Delhi.
West : By Plot No. 29, Block No. 48, New premises No. 9, Panchsheel Marg, New Delhi.

C. V. GUPTE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 4-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th Februay 1976

Ref. No. LDH/R/1574/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. Agricultural Land 12 Kanals situated at Village Dhandari Kalan Tehsil and Distt. Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registeration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Ludhiana in June, 1975
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Maghar Singh S/o Shri Ratna Resident of Village Dhandari Kalan Tehsil and District Ludhiana.

(Transferor)

(2) S/Shri Darshan Singh and Nachhatar Singh s/o Shri Faquiria R/o Village Dhandari Kalan Tehsil and Distt. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land 12 Kanals situated at Village Dhandari Kalan Tehsil and District Ludhiana.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2600 of June, 1975 of Registering Authority Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/R/1573/75-76.—Whereas, I. V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural Land 2 Kanals situated at Village Dhandari Kalan Tehsil and Distt. Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Maghar Singh S/o Shri Ratna Resident of Village Dhandari Kalan Tehsil and District Ludhiana.
(Transferor)

(2) S/Shri Gurdev Singh and Sukhdev Singh s/o Shri Faquiria R/o Village Dhandari Kalan Tehsil and District Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land 12 Kanals situated at Village Dhandari Kalan Tehsil and District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2579 of June, 1975 of Registering Authority Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 O F1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/R/1572/75-76.—Whereas, I. V. P. MINOCHA.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Kothi No. 33-B, Vikas Nagar Pakhowal Road Ludhiana situated at Ludhiana,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana (R) in June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Din Dayal Talwar s/o Shri Jagan Nath Talwar, R/o 33-B, Vikas Nagar Pakhowal Road Ludhiana. (Transferor)

(2) Shri Santokh Singh s/o Shri Kehar Singh and Shri Kehar Singh s/o Shri Basawa Singh, R/o Vikas Nagar Pakhowal Road Ludhiana. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE CHEDULE

Kothi No. 33-B, Vikas Nagar Pakhowal Road Ludhiana. (Property as mentioned in the Registered Deed No. 1567 of June, 1975 of the Registering Authority).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/C/123/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. ½ share of Kothi No. 43-B, Udham Singh Nagar situated at Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ludhiana in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Parkash s/o Shri Hira Nand
D-2/31 Janak Puri, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Lal Ghai s/o Shri Bansi Ram,
301 Neelam Building, Sea Face Road Bombay-37.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

½ share of Kothi No. 43-B, situated at Udham Singh Nagar Ludhiana.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2974 of June, 1975 of the Registering Authority).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/C/122/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. ½ share of Kothi No. 43-B, Udham Singh Nagar situated at Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in June 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Sarup s/o Shri Hira Nand,
43-B, Udham Singh Nagar Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Lal Ghai s/o Shri Bansi Ram,
301, Neelam Building Sea-Face Road Bombay-37.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

½ share of Kothi No. 43-B, situated at Udham Singh Nagar Ludhiana.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2973 of June, 1975 of the Registering Authority).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-D

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/C/121/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 46-A, Industrial Area 'A' situated at Ludhiana, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely:—

(1) Shri Gian Parkash S/o Shri Tara Chand, Mohalla Bandian Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Raj Sahib s/o Shri Tirath Singh, 54-Industrial Area 'A' Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 46-A situated at Industrial Area 'A' Ludhiana. (Property as mentioned in the Registered Deed No. 2956 of June, 1975 of the Registering Officer Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/C/105/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House No. B-XV/538, Millerganj situated at Ludhiana,
(and more fully described in the Scheduled hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indain Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Arjan Singh s/o Shri Babu Singh, B-XV/538, Millerganj Ludhiana

(Transferor)

(2) M/s. B. D. Steel Traders, Gill Road, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-XV/538 situated at Millerganj, Ludhiana. (Property as mentioned in the Registered Deed No. 2255 of June, 1975 of the Registering Officer Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 28th February 1976

Ref. No. LDH/C/1575/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot Area 607 sq. yards situated at Tagore Nagar Civil Lines, Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana (C) in June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent to such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) faciliating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, In pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Narinder Kumar s/o Shri Hans Raj, R/o Kucha Karta Ram Ghas Mandi Ludhiana, (Transferor)

(2) Smt. Raj Rani Sehgal w/o Shri M. S. Sehgal, R/o Kucha Maleri Mal 261/1 Ludhiana. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the that of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION. :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Area 607 sq. yards situated at Tagore Nagar Civil Lines Ludhiana.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2307 of June, 1975 of the Registering Authority Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 28-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 5th March 1976

Ref. No. LDH/80/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and being No.
Land measuring 8 Kanal 0 marla, situated at Village Sunet. Tehsil and District Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chanan Singh s/o Shri Ran Singh,
R/o Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
The Kabir Cooperative House Building Society Ltd;
Village Sunet Tehsil and District Ludhiana
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 8 Kanal 0 marla, situated at Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2045 of June, 1975 of the Registering Authority).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 5th March 1976

Ref. No. LDH/C/81/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 8 Kanal 0 marla, situated at Village Sunet, Ludhiana
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in June, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, by the following person, namely :—

(1) Shri Bikram Singh S/o Shri Kartar Singh,
R/o Village Sunet Tehsil and District Ludhiana.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
The Kabir Cooperative House Building Society Ltd;
Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferee)

Objections if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 8 Kanal 0 marla, situated at Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2452 of June 1975 of the Registering Authority Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5-3-1976
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 5th March 1976

Ref. No. I DH/C/82/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 3 Kanal 1-11/12 marlas,
situated at Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tansfrer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incmoe-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Kapoor Singh s/o Shri Ram Singh,
R/o Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
The Kabir Cooperative House Building Society Ltd.,
Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 3 kanal 1-11/12 marlas, situated in R/o Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3009 of June, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 5th March 1976

Ref. No. LDH/C/291/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason

to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, measuring 5 kanal 7½ marlas, situated at Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Ludhiana in June 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

24—506GI/75

(1) Shri Charan Singh s/o Shri Ran Singh,
R/o Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
The Kabir Cooperative House Building Society Ltd.;
Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 5 kanal 7½ marlas, situated in Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3899 of July, 1975 of the Registering Officer Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisioner of Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date :5-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-D

Chandigarh the 5th March 1976

Ref. No. LDH/C/1583/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land, measuring 4 kanal 9-11/12 marlas, situated at Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Ludhiana in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Sarwan Singh s/o Shri Ram Singh,
R/o Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
The Kabir Cooperative House Building Society Ltd.,
Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 4 kanal 9-11/12 marlas, situated in Village Sunet, Tehsil and District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3446 of July, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana).

V. P. MINOCHA
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Chandigarh

Dote : 5-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 5th March 1976

Ref. No. SNP/780/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,

being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Factory building situated at Village Jatheri, Tehsil and District Sonepat,

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Sonepat in June 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ram Niwas Modi s/o Shri Nagar Mal Modi,
2. Smt. Sharda Devi Modi w/o Shri Kesar Dev Modi.
3. Smt. Uma Devi Modi w/o Shri Ram Jiwan Modi,
4. Smt. Usha Devi Modi w/o Shri Hari Bhagwan Modi,
R/o E/2/9, Model Town, Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Victory Rubber Products,
20th Mile Jatheri Road P.O. Partap Stadium,
Sonepat, (Haryana).
Admn. Office 41, Khan Market, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building situated in Village Jatheri, Tehsil and District Sonepat.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1217 of June, 1975 of the Registering Officer Sonepat).

V. P. MINOCHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-9,
FOREST PARK, BHUBANESWAR-9

Bhubaneswar-9, the 27th February 1976

Ref. No. 22/75-76/IAC(A/R)/BBSR.—Whereas, I, G. B. CHAND,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter
referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 5(B) situated at Bhamanagar, Bhubaneswar,
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of
the Registering Officer
at Bhubaneswar on 19-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the Aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Col. B. K. Sharma S/o Shri A. D. Sharma. (Transferor)

(2) Shri E. B. Patra S/o. Shri E. Bharat Patra. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single Storeyed building situated at Bhamanagar, Bhubaneswar bearing plot No. 5(B) registered on 19-7-1975 in the Office of the Sub-Registrar, Bhubaneswar vide sale deed No. 4591.

C. B. CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhubaneswar

Date : 27-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1976

Ref. No. 851/Acq./Saharanpur/75-76/2652.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Saharanpur on 22-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27th of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Lala Arun Kumar s/o Seth Bhagwan Das R/o Ambala Road, Saharanpur, self and Mukhtaraam Minjanib Smt. Angoori Devi w/o Seth Bhagwan Das.
(Transferor)

(2) Shri Surendra Kumar Mittal s/o Shri Mohan Lal Mittal, R/o Moh. Chauntala, District Saharanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plot of land measuring 1086 2/3 sq. yds. Number 773, Khasra Sahrai Mutallika Number 273 Khewat, situated at Shivpuri, Idgah Road, Distt. Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 11,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd February 1976

Ref No. 703/Acq./G.Bad/75-76/2653.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 10-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilltating the conccalment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Baljeet Singh s/o Shri Barkat Singh, R/o 4724 Roshna Road, Delhi,
(Transferor)

(2) Shri Sudheer Gupta s/o Shri Hari Ram, R/o 302, Akash Dc Building, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Factory Building named as M/s. Jaipal Udyog, situated at Loni Shahadra Road, Loni, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,90,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd February 1976

Ref. No. 509/Acq./G.Bad/75-76/2654.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 14-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) of the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act'. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Jagdish Chand Mittal,
R/o 152, Gandhi Nagar, Ghaziabad,
(2) Shiv Chander Mittal,
R/o 109, Sarai Kauna, Bulandshaher, and
(3) Shri Om Prakash Mittal,
R/o K-L-49, Kavi Nagar, Ghaziabad.
(Transferor)

(2) (1) Smt. Kailashee Devi w/o Jassi Ram Sharma,
(2) Smt. Indra Prabha w/o Umesh Chand Sharma,
R/o Moh. Kazimal, Dasna Gate, Ghaziabad, Distt. Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the Said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of double storeyed house (Eastern side) built on an area of 250 sq. yds. situated at Pucki Mori, Ghaziabad, Distt. Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 72,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd February 1976

Ref. No. 838/Acq./Saharanpur/75-76.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 27-2-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Kumari Sanyogita Gupta D/o Late Sri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur. (Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala, Saharanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a piece of land in plot No. 1 measuring 1200 sq. yds. situated in Janakpuri (Khanalampura) pertaining to Khasra Nos. 119/2, 3, 4 and 119/B Mahal Aimr Ahmad of village Khanalampura transferred for an apparent consideration of Rs. 48,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 3-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1976

Ref. No. 839/Acq./Saharanpur/75-76/2641.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 22-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

25—506GI/75

(1) Kumari Madhulika Gupta D/o Late Shri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a piece of land in plot No. 1, measuring 1200 sq. yds. comprised in Khasra No. 119/4, 5 and 119/B, Mahal Amir Ahmed, situated in Village Janakpuri (Khanalampura), Distt. Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 48,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1976

Ref. No. 844/Acq./Saharanpur/75-76/2642.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 27-7-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kumari Madhulika Gupta D/o Late Shri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala, Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a piece of land in plot No. 4, measuring 1200 sq. yds. comprised in Khasra No. 119/2, 3, 4 and 119/B Mahal Amir Ahmed, situated in Village Khanalampura, Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 30,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1976
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1976

Ref. No. 845/Acq./Saharanpur/75-76/2643.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Saharanpur on 22-7-1975 for an apparent
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believ that the fair market value of the property as aforesaid excess the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration and such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Kumari Sanyogita Gupta D/o Late Sri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd.
Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala, Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a price of land in plot No. 4, measuring 1200 sq. yds. situated in Janakpuri (Khan-No. 119/2, 3, 4 and 119/B Mahal Ahmed of Village Khanalampura) pertaining to Khasra No. 119/2, 3, 4 and 119/B Mahal Ahmed of Village Khanalampura, Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 30,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1976

Ref. No. 849/Acq./Saharanpur/75-76/2644.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'). have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 22-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Kumari Madhulika Gupta D/o Late Shri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a plot of land No. 3, measuring 1200 sq. yds. comprised in Khasra No. 119/3 of 119/B Mahal Amir Ahmed, situated in Village Khanalampura, Distt. Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 30,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd February 1976

Ref. No. 850/Acq./Saharanpur/75-76/2645.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing,
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Saharanpur on 22-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitaitng the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kumari Sanyogita Gupta D/o Late Shri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person transferred in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land in plot No. 3, measuring 1200 sq. yds. situated in Janakpuri (Khanalampura) pertaining to Khasra No. 119/4 of 119/B Mahal Amir Ahmed of Village Khanalampura, Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 30,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 3-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd February 1976

Ref. No. 853/Acq./Saharanpur/75-76/2646.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Saharanpud on 22-7-1975.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(3 facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Kumari Sanyogita Gupta D/o Late Sri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.
(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Trilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala Saharanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a plot of land No. 5, measuring 1200 sq. yds. situated in Janakpuri (Khanalampura) pertaining to Khasra No. 119/5 of 119/B Mahal Amir Ahmed of Village Khanalampura, transferred for an apparent consideration of Rs. 30,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 3-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1976

Ref. No. 854/Acq./Saharanpur/75-76/2647.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Saharanpur on 22-7-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trnasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Kumari Madhulika Gupta D/o Late Shri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd. Through its Secretary Sri Tirlok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plot of land No. 2, measuring 1200 sq. yds. situated in Janakpuri (Khanalampura) pertaining to Khasra No. 119/3 of 119/B Mahal Amir Ahmed of Village Khanalampura, Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 30,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd February 1976

Ref. No. 787-A/Acq./Saharanpur/75-76/2648.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer
at Saharanpur on 22-7-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) Kumari Sanyogita Gupta D/o Late Shri Prakash Chand Gupta R/o Bajoria Road, Saharanpur.

(Transferor)

(2) Modern Cooperative Housing Society Ltd.
Through its Secretary Shri Tilok Chand S/o Lala Hari Chand R/o Mohalla Chauntala Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of a plot of land No. 2 measuring 1200 sq. yds. situated in Janakpuri (Khanalampura) Saharanpur pertaining to Khasra No. 119/2, 3, 4 and 119/B Mahal Amir Ahmad of Village Khatalampura, transferred for an apparent consideration of Rs. 36,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 3-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 21st February 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77.—Whereas, I. V. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act,
1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs.
25,000/- and bearing
No. agricultural land measuring 4.665 acres situated at Village Katangi of Patan Tehsil Distt. Jabalpur,
situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Jabalpur on 24-7-1975.
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Todar Singh S/o Tarwar Singh,
2. Shri Raguvar Singh minor S/o Shri Malkan Singh Lodhi, Chouki, Jabalpur.
(Transferor)

(2) Shri Swamiprasad S/o Parasram Agrawal, Village Katangi, Tehsil Patan, District Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 4.665 acres situated at Village Katangi of Patan Teh. Distt. Jabalpur.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 21-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 21st February 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77.—Whereas, I, V. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural land of 2.66 acres at Village Piplya Hana, Teh. Indore situated at Indore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Indore on 17-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice * under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act,' to the following persons, namely :—

(1) Shri Sk. Habib s/o Abdul R/o 177 Azad Nagar, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Krishnachandra s/o Shri Vishwanath Acharya, R/o 54, Rupram Nagar Colony, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land of 6.66 acres at Village Piplya Hana, Tehsil Indore.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 21-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 21st February 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77.—Whereas, I. V. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 Blocks No. 1140, 1141 and 1142 situated at Madan Mahal Ward, Jabalpur situated at Jabalpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jabalpur on 14-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri A. B. Shinde, 1407, 52/5 Napier Town, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Ramnath Pandey S/o Jainarayan Pande, Beraspur, Gopiganj, Varanasi—1142, Prem Nagar, Madan Mahal Ward Nagpur Road, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3 Blocks No. 1140, 1141 and 1142 situated at Madan Mahal Ward, Jabalpur.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 21-2-1976

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 21st February 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77.—Whereas, I. V. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One house measuring 42 ft × 42 ft. situated at Jamai Teh, Distt. Chhindwara, situated at Chhindwara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Chhindwara on 7-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1911 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Pratap Singh S/o Shri Pishora Singh Siyal, Nelson Square, Nagpur.
(Transferor)

(2) Smt. Kanta Singh w/o Shri Tavinder Singh, R/o Ajit Flact R/o Jamai, Near Caolfields Welfare Hospital Jamai, Chhindwara.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house measuring 42 ft. × 42 ft. situated at Jamai Tehsil, District Chhindwara.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 21-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 21st February 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77.—Whereas, I. V. K. SINHA,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'Said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural land of 86 Bigha—7 Biswa at Village Nauganj, Tehsil and District Gwalior situated at Gwalior,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Gwalior on 3-9-1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Shridharlal s/o Shri Narayandasji Sindhi,
(2) Shri Nanakram s/o Shri Shitaldasji Dyani, Mukhtiyar,
(3) Shri Bhagwandas s/o Shri Shitaldasji Dyani, R/o Daulatganj, Lashkar, Gwalior c/o Hemandas Book Seller, Jalamsing-ka-Goth, Topi Bazar, Lashkar,
(4) Dr. Nanakram s/o Shri Shitaldas Dyani, Janata Bachat Yojna R/o Opp : to Saraswati Prakashan, Nadim Road, Bhopal.

(Transferor)

(2) (1) Shri Rustam Singh s/o Ramcharan, Advocate Durga Colony, Dal Bazzaraz Lashkar, Gwalior,
(2) Shri Ramjidas s/o Ratanlal, Running Flour Mill, Chhatri Bazar, Lashkar Gwalior-3,
(3) Shri Narayandas s/o Shri Vishambhardayal Singh Teli Bada Naya Bazar Lashkar, Gwalior,
(4) Shri Prakash Singh s/o Vishambhardayal Singh Shivpuri,
(5) Shri Kashiram s/o Lalchand R/o Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land of 86 Bigha—7 Biswa at Village Nauganj, Tehsil and District Gwalior.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 21-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 7th February 1976

Ref. No. P.R. No. 285 Acq. 23-634/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Vadodara Kasba S.No. 532 Plot No. 72 situated behind Viswas Colony, on Jetalpur Road Alkapuri, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 31-7-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sunitkumar Hiralal Shah, Shri Mukeshkumar Hiralal Shah, and Shri Hiralal Chunilal Shah, Nutan Bharat Society, Near Alkapuri, Baroda.
(Transferor)

(2) Shri Krishnakant Jayantilal Patel; Smt. Jyotiben Manharbhai Patel, Chhelli Pole, Wedi, Baroda,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Vadodara Kasba S.No. 532, Plot No. 72 admeasuring 5085 Sq. ft. situated at Alkapuri Behind Viswas Colony, on Jetalpur Road, Baroda, as described in Sale-deed bearing Registration No. 4128 of July, 1975, Registering Office, Baroda-II.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 7th February 1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 6th February 1976

Ref. No. P.R. No 286 Acq 23-635/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Ward No. 1 Nondh No. 3377 & 3378 paiki land situated at Kazi Medan, Gopipura, Surat
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Surat on 14-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Puspsen Panachand Zaveri; Shri Rameshbhai Panachand Zaveri; Shri Ashokbhai Panachand Zaveri 497, Sardar Vallabhbhai Patel Road Roop Raj, Bombay-4.

(Transferor)

(2) Vimal Apartments Coop. Housing Society, Limited, Through :
Chairman; Shri Jayantilal Mafatlal Shah, Vania Sheri, Mahidharpura, Surat.
Secretary; Smt. Malvika Vijaykumar Shah, Vimal Apartments Gopipura, Kaji Medan, Surat.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Nondh No. 3377 and 3378 admeasuring 87 and 121 Sq. yds. respectively situated in Ward No. 1 Kazi Medan, Gopipura, Surat as fully described in sale deed registered at No. 3150 of July, 1975 by Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated : 6th February, 1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 16th February 1976

Ref. No. P.R. No. 287 Acq. 23-636/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and beanig No. As per Schedule situated at Jullundur,
No. S.No. 732 situated Near Sadhananagar Society, Karelibag, Baroda.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Baroda in July, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Sumantlal Motilal Modikhana Road, Behind Jubileebag, Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Shri Manilal Chotalal Parikh;
2. Shantaben Manilal Parikh, 10, Millan, Bapubhai Vasi Road, Vile-Parle, Bombay.

(Transferee)

(3) Employees State Insurance Corporation Near Sadhananagar Coop. Society, Roopam area, Karelibag, Baroda.

(person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building known as 'Monktic' bearing Survey No. 732 Hisso-B, Near Sadhananagar Society, Karelibag, Baroda, land admeasuring 0-3 guntha 108 sq. yds. as described in the sale deed bearing registration No. 3736 of July, 1975-Registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated : 16th February, 1976
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 20th February 1976

Ref. No. Acq 23-I-704(271)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No Survey No. 209, 209-1, 209/2, F.P. No 269, of T.P.S. No. 14 situated at Shahibaug, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Ahmedabad on 29-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bharatkumar Chinubhai Bankar, Madhu van Dufnala, Shahibaug, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Jaswantlal Romdas Patel, Shyamaldas-III Khadki, Village Kanij, Tal. Mehmedabad, Distt : Kaira.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressons used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of undivided immovable property admeasuring in all 1304 sq. yds. (i.e. 652 sq. yds.) bearing Survey No. 209,, 209-1, 209-2, Final Plot No. 269A, Plot No. 3 of T.P.S. No. 14 situated at Dariapur-Khazipur, Shahibaug, Ahmedabad and fully described in the sale deed No. 10260 dt. 29-7-1975.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 20-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 20th February 1976

Ref. No. Acq. 23-1-704(272)/1-1/75-76—Whereas, I, J. KATHURIA
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. Survey No. 209, 209-1, 209-2, F.P.No. 269A, Plot No. 3 situated at Dariyapur Kazipur, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Ahmedabad on 29-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bharatkumar Chinubhai Bankar, Madhu van Dufnala, Shahibaug, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Jayantilal Joitaram Ramdas Patel, Shyamaldas, in Khadki, Village Kanij, Tal. Mehmedabad, Distt : Kaira
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the public cation of this notice in the Official Gazet'e.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of undivided immovable property admeasuring in all 1304 sq. yds. (i.e. 652 sq. yds.) bearing Survey No. 209,, 209-1, 209-2, Final Plot No. 269A, Plot No. 3 of T.P.S. No. 14, situated at Dariyapur-Kazipur, Shahibaug, Ahmedabad and as fully described in the sale deed No. 10261 dt. 29-1-1975.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 20-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 24th February 1976

Ref. No. P.R. No. Acq. 23-I-685(275)/10-1/75-76.—Wheras, I, J. KATHURIA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 4-A ond 83-3-A-1 and 82-2-A-1 Block D, first floor, situated at Super market Bedi Naka, Jamnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Jamnagar on July, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of in any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Amritlal Velji Dodhia, Near New Jail, Jamnagar. (Transferor)

(2) Muktaben Waikatchand Mehta, Near Dhanbai Delha, Jamagar. (Transferee)

(3) Anand Guest House (Proprietors N.M. Patel and I.S. Mehta). (person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Block D, on first floor of super Market bearing Survey No. 4-A and 83-3-A-1 & 82-2-A-1, situated at Bedi Naka, Jamnagar having a plinth area of 2947 sq. ft.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 24-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-BOMBAY 400002

Bombay-400002, the 13th February 1976

Ref. No. AIR/1307/20July 75.—Whereas, I, V. R. AMIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 128 (PG) New C.T.S. No. A/720 situated at Village Bandra (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exeeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indain Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kasmal K. Porbunderwala & Others. (Transferor)

(2) Hilton Co-Op. Housing Society Ltd. (Transferee)

(3) Members of the Society.

(person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate at 35A Junction of Hill Road and Boran Road, Bandra in Greater Bombay in the registration Sub-district of Bandra, District Bombay Suburban together with the messuages, tenement or dwelling house and grages standing thereon to contain an area of 887.59 sq. meters or thereabouts and bearing non-agricultural survey Nos 128 (part) New City Survey No. A/720 and assessed by the Bombay Municipal Corporation of Greater Bombay under H Ward No. 573 and Street No. 35A and bounded as follows : that is to say on or towards the North by Hill Road, on or towards the Sourth by the property of Mr. Thomas William D, Almeida, on or towards the East by Boran Road on or towards the West by the property of Anthony Rodrigues.

V. R. AMIN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 18-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V, Bombay 400002

Bombay-400002, the 18th February 1976

Ref. No. AR.V/366/23/75-76.—Whereas, I, P. M. MEHRA being teh Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1, Survey No. 96/1(P)&96-B(P).—situated at Village Hariali (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 21-7-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitate the reduction or evasion of liability the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Pratapsinh Shoorji Vallabhdas,
(2) Mrs. Khatijabai S. Barodawalla,
(3) Jamnadas C. Kapadia
(Transferor)

(2) (1) Shri Himatlal K. Doshi &
(2) Mrs. Alee R. Dubash
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of land situate, lying and being at Hariali in the Registration District and Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban being Plot No. 1 in Survey Nos. 96/1 (Part) and Survey No. 96-B(Part) bearing City Survey No. Nil Village Hariali, Vikhroli in Greater Bombay and admeasuring 5353 square yards I.E. 4475.7 square metres of thereabouts and shown on the plan hereto annexed and thereon surrounded by red coloured boundary lines and bounded as follows : that is to say on or towards the East by the Bombay Agra Road on or towards the West by proposed 50 feet wide road on or towards the South by 50 feet wide road in Survey No. 96/B and on or towards the North by Plot No. 2 Survey No. 96/1 (Part) and 96-B(Part).

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-V,
Bombay.

Date : 18-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V BOMBAY

Bombay-400002, the 25th February 1976

Ref. No. AR.V/361/18/75-76.—Whereas, I, J. M. MEHRA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. S.No. 15, H.No. 14(Pt), S.No. 15 H.No. 15(Pt), S.No. 52 H. No. 16(Pt) at Mohilli Village situated at
Mohilli Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 15-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dharampal Mehra.
Shri Vedprakash Mehra
Shri Devprakash Mehra
(Transferor)

(2) M/s Vijay Synthetic Prints P. Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of he said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Officjal Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL that piece or parcel of land or ground together with massuages, tenements, and buildings including the building knows as Block C thereon situate lying and being at Mohilli Bombay Suburban District in the Registration District Bandra containing by admeasurement 7385 Sq. yds. (6175 Sq. mtrs.) according to Title Deed and 7657 sq. yds. (i.e. 6401 sq. mtrs.) according to actual survey and being the following survey Numbers.

SURVEY NO.	HISSA NO.
15	14(Part)
15	15(Part)
52	16(Part)

and assessed by the Municipality of Greater Bombay under Ward "L" Ward 3938(1) and 3938(8) and Sheet No. 52A Mohilli and bounded as follows : that is to say on or towards the North by the property forming part of Survey No. 15 and belonging to Mehra Industrial Corporation on or towards the South by the property bearing Survey No. 52 Hissa No. 17 (Part) on or towards the East by the property bearing Survey No. 52 Hissa No. 18 and on or towards the West by Kurla Andheri Road.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspectnig Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V.
Bombay

Date : 25-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
CALCUTTA

Calcutta the 19th February 1976

Ref. No. AC-234/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, A. K. BATABYAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter refered to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Plot. 106 situated at Bangur Avenue
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in tht Office of the Registering Officer
at Dum Dum on 18-6-1975
for an apparent consideration,
which is less han the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the sald instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-Tax act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakash Ch. Sethi.
(Transferor)

(2) Shri Swapan Saha, Tapan Kumar Saha, Sm. Priyabala Saha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6 Kottahs & 5 sft of vacant land at Plot No. 106, Block-D, Bangur Avenue, P.S. Dum Dum, Dist. 24 Parganas.

A. K. BATABYAL,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Comissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 19-2-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CALCUTTA

Cacutta, the 27th February 1976

Ref. No. 319/Acq.R-III/75-76/Cal.—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 11 situated at Dover Lane, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Alipore on 14-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secion 269D of the Said Act to the following person, namely :—

(1) Alok Kumar Ghosh& others
1. Alok Kumar Ghosh
2. Protip Kr. Ghosh
3. Dipankar Gosh

All of 1 Ballygunge Park, Calcutta Also of 11 Dover Lane, Calcutta.

(Transferor)

(2) Sm. Juthika Burman 1/1, Olaichandi Road, Cal-27.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of vacant land measuring 2 cottahs 11 chittacks 26 sft. more or less at No. 11 Dover lane, P. S. Ballygunge, Calcutta as per deed No. I-6622 of 1975 registered before the Dist. Registrar, Alipore.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Calcutta-16.

Date : 27-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
CALCUTTA

Cacutta, the 27th February 1976

Ref. No. 320/Acq.R-III/75-76/Cal.—Whereas, I, L. K. BAI ASUBRAMANIAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 11 situated at Dover Lane, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 11-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Alok Kumar Ghosh& others
1. Alok Kumar Ghosh
2. Protip Kr. Ghosh
3. Dipankar Gosh
All of 1 Ballygunge Park, Calcutta
Also of 11 Dover Lane, Calcutta.
(Transferor)

(2) Atindra Nath Shee 1D, Mandeville Gardens, Col.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of vacant land measuring 2 cotahs 10 shittacks at No. 11 Dover lane, P. S. Ballygunge, Calcutta as per deed No. I-4032 of 1975 registered before the Dist. Registrar, Assurance, Calcutta.

L. K. BAI ASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Calcutta-16.

Date : 27-2-1976
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSION OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Cacutta, the 27th February 1976

Ref. No. 318/Acq.R-III/75-76/Cal—Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 44B situated at Baburam Ghosh Road, Cal-40
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Alipore on 7-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act,1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Prokash Chandra Roy, 40 Baburam Ghosh Road, Cal-40.
(Transferor)

(2) Shri Benoy Krishna Dev & Sm. Madhuri Dev, 4 Udbodhan Lane, Calcutta-3.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of vacant land measuring 5 cottohs more or less at 44B, Baburam Ghosh Road, P.S. Jadavpur, Calcutta.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-III,
Calcutta16.

Date : 27-2-1976

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
CALCUTTA

Calcutta, the 4th March 1976

Ref. No. TR-78/C-79/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. CHAKRAVARTY,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
23A, situated at Royd St, and 53A, B, C, D Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta on 4-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee, for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ajoyendra Kumar Bose
2. Shri Ajit Krishna Mitter and
3. Sm. Sipra Bose.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ahmed Hossain.
2. Must. Daulat Unnessa.
3. Sk. Nasim Ali.
4. Sk. Sabir Ali.
5. Sk. Arib Ali.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 1/4th share of premises No. 23A, Royd St. and 53A, B, C, D, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta together with land measuring 1 Bigha 2 Cottahs.

S. K. CHAKRAVARTY
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Calcutta

Date : 4-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JYOTHI BUILDINGS, GOPALAPRABHU ROAD,
ERNAKULAM, COCHIN-11

Cochin-11, the 4th aMrch 1976

Ref. L.C. No. 55/75-76.—Whereas, I, S. N. CHANDRACHOODAN NAIR,
being the Competent Authority under
Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. Nos. as per schedule,
situated at Kanathur desom in Cannannore Dist.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Cannannore on 9-6-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Thiruvapathy Mills Ltd; Cannannore.
(Transferor)

(2) 1. S/Shri S. A. Puthenpura alias Puthenpurayil Sadanandan, C/o Vasava Tyre Works, Station Road, Dhulia, Maharashtra.
(Transferee)

2. J A. Puthenpura alias Puthenpurayil Jaganathan, M/s. Vasava Tyre Works, Station Road, Dhulia, Maharashtra.
(Transferee)

(3) Shri P. Krishnan, C/o M/s. Vasava Tyre Remoulding Works, Cannannore-2.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as per schedule attached to document No 1244/75 dated 9-6-75 registered with the S.R.O., Cannannore.

S. N. CHANDRACHOODAN NAIR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 4-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 24th February 1976

Ref. No. X/12/140(JUNE)/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Plot No 3, T.S. 2782 situated at Chokkikulam Extension Ward 6, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Pallakulam (Doc. No. 191175) on June, 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely—

(1) Smt. Mallikambal,
No. 26, Rakkiappa Mudali Street,
Mylapore, Madras.
(Transferor)

(2) Smt. K. Syamala Devi,
w/o K. Karunakaran,
Kamayagoundenpatti 626521,
Uthamapalayam taluk,
Madurai District.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by the other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 13 cents in plot No .3, T.S. No. 2782, Ward, 6, Chokkikulam Extension, Madurai.

G. RAMANATHAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 24-2-1976
Seal

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 24th February 1976

Ref. No. X/12/141(JUNE)/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 4, T.S. No, 2782,
situated at Chokkikulam Extension Ward 6, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Thallakulam (Doc. No. 1941/75) on June 1975,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mallikambal,
26, Rakkiappa Mudali Street,
Mylapore, Madras.
(Transferor)

(2) Smt. R. Tharani,
W/o A. Ravindran,
Pudupatti 626116,
Madurai District.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 11 and 3/8 cents in plot No. 4, T.S., No. 2782, Chokkikulam Extension, Madurai.

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 24-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 24th February 1976

Ref. No. X/12/142(JUNE)/75-76.—Whereas, I, R. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 5, T.S. No. 2782,
situated at Chokkikulam Extension Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Tallakulam (Doc. No. 1942/75) on June 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mallikambal,
No. 26, Rakkiappa Mudali Street,
Mylapore, Madras.
(Transferor)

(2) Shri R. K. Krishnaswamy Gowder,
Kamayagoundenpatti 626521,
Madurai District.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 9 and 3/8 cents in plot No. 5, T. S. No. 2782, Chokkikulam Extension, Ward 6, Madurai.

G. RAMANATHAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 24-2-1976

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 7th February 1976

Ref. No. Acq. File No. 207/J. No. I(96, 104, 107 & 124/KR/75-76.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 12-6-22 and 12-7-20, situated at Hyatkhan Street, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 15-7-75 & 31-7-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Mohd. Abdul Hakeem,
S/o Late Mohd. Abdul Gafoor,
Labbipeta, Vijayawada.
(Transferor)

(2) 1. Shri Tokachichu Subramanya Sarma,
S/o Narasimharao.
2. Smt. Ramineni Rajeswarai W/o. Seetharama-brahmam.
3. Shri Tokachichu Narasimharao S/o Subra-Vijayawada.
4. Shri Andraju Gopalaswamy S/o Samudrulu,
Vijayawada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document Nos. 2194/75, 563/75, 2538/75 and 2397/75 of the S.R.O., Vijayawada registered during the month of July, 1975.

B. V. SUBBARAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 7-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 11th February 1976

Ref. No. Acq. File No. 315/J. No. 73/VSP/75-76.—Whereas, I, B. V. SUBBARAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
8-1-9(1)(2), situated at M G. Road, Vijayanagaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Vijayanagaram on 15-7-75
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act'. or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

29—506GI/75

(1) Shrimati Pusarla Kamalavati,
W/o Subbarao,
Vijayanagaram.

(Transferor)

(2) 1. Pratap Singh Chhajer,
2. Bavarsingh Chhajer,
Vijayanagaram.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 3046/75 of the S.R.O., Vijayanagaram, registered during the fortnight ended on 15-7-1975.

B. V. SUBBARAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 11-2-1976

Seal :

FORM ITNS————→

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 11th February 1976

Ref. No Acq. File No. 316/J. No. I(74)/VSP/75-76 — Whereas, I, B. V. SUBBARAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Survey No. 198, 199/1, 2, 3 situated at Dwarapudi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayanagaram on 15-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Patnala Venkata Bangaru Setty,
Vijayanagaram.
(Transferor)

(2) Shrimati Alavilli Savitramma,
W/o Apparao,
Vijayanagaram.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 3115/75 of the S.R.O., Vijayanagaram, registered during the fortnight ended on 15-7-1975.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 11-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 19th February 1976

Ref. No. Acq. File No. 317/J. No. I(139)EG.--Whereas I, B. V. SUBBARAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 52, situated at Kallijolla Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajahmundry on 31-7-75,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) Sri Kantamani Ratnakumar, Rajahmundry. (Transferor)

(2) Motu Industries (Pvt) Ltd., Rajahmundry. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 4693/75 of the SRO, Kakinada registered during the fortnight ended on 31-7-75.

B. V. SUBBARAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 19-2-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 19th February 1976

Ref. No. Acq. File No. 319/J. No. I(158/KR).—Whereas, I, B. V. SUBBA RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27-6-115, situated at Prakasam Road, Vijayawada, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Vijayawada on 31-7-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Vemuri Narasimha Rao and Vemuri Subba Rao, Masulipatam. (Transferor)

(2) Shri Satpal Singh, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 2559/75 of The SRO, Vijayawada registered during the fortnight ended on 31-7-75.

B. V. SUBBARAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 19-2-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I, KAKINADA

Kakinada, the 19th February 1976

Ref. No. Acq. File No. 320/I No. I(159/KR)—Whereas, I, B. V. SUBBARAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the Said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
27-6-115, situated at Prakasam Road, Vijayawada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Vijayawada on 31-7-75
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ——

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Vemuri Narasimha Rao and
2. ShriVemuri Subba Rao,
Masulipatam.
(Transferor)

(2) Shri Dulab Singh, Vijayawada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per document No. 2560/75 of the SRO, Vijayawada registered during the fortnight ended on 31-7-75.

B. V. SUBBARAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 19-2-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur the 4th March 1976

Ref. No. AP 1494.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under Sction 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act, have reason to believe that the immovable property, having a fair market value As per Schedule exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in June, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Raj Gopal alias Ram Gopal s/o Shri Ramji Dass s/o Shri Jawand Lal, R/o Bikrampura, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Krishan Lal s/o Shri Ram Lal s/o Shri Ram Chand, W.F 145, Ali Mohalla, Jullundur City.

(Transferee)

(3) At S. No. 2

[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interest in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2728/ June 1975 of Sub-Registrar, Jullundur

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 4-3-1976

Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976